राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चौवनवां दिवस [संख्या : 11

सोमवार

28 मार्च, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अनेक माननीय सदस्य : होली की राम-राम, होली की राम-राम।

अध्यक्ष : आपको भी सबको होली की शुभकामनाएं।

श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में विद्युत अभियन्ता कार्यालय

164. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र में कितने कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय कहां-कहां कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम किशनपुरा, निवाणा तथा बांसा में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम कालाडेरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्यालय कब तक खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम उपखण्ड	कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय
सहा. अभि. (ए-1) चौमूं	1. कनि. अभि. (ए-1) चौमूं
	2. कनि. अभि. (ए-1) कालाडेरा
	3. कनि. अभि. (ए-1) सामोद
सहा. अभि. (ए-11) चौमूं	1. कनि. अभि. (ए-11) चौमूं
	2. कनि. अभि. (ए-11) इटावा
	3. कनि. अभि. (ए-11) तिगरिया
सहा. अभि. (पवस)	1. कनि. अभि. (पवस) गोविन्दगढ
गोविन्दगढ	2. कनि. अभि. (पवस) खेजरोली
	3. कनि. अभि. (पवस) हस्तेडा
सहा. अभि. (पवस) जैतपुरा	1. कनि. अभि. (पवस) जैतपुरा

(2) जी नहीं। ग्राम किशनपुरा, निवाणा, तथा बांसा में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। ग्राम कालाडेरा में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उसके उपयुक्त पाये जाने पर उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महादय से जानना चाहूंगा कि जो विभागीय निर्धारण मापदण्ड हैं, उनके

(श्री रामलाल शर्मा)

तहत एक ग्रामीण क्षेत्र में यदि कंजूमर 3000 से अधिक हैं तो वहां पर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलना प्रस्तावित है। इसी तरह से यदि ग्रामीण क्षेत्र में 9000 से अधिक कंजूमर होते हैं तो वहां पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सहायक अभियन्ता कार्यालय ए-1 है, इस ए.ईएन. कार्यालय के तहत 22585 कंजूमर हैं तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का श्रम करेंगे कि निर्धारित अवधि के अन्दर यह कार्यालय खोल दिया जायेगा ? नम्बर एक। नम्बर दो, किशनपुरा जो क्षेत्र है, इसके अन्दर लगभग 4500 कंजूमर हैं और यदि जे.ईएन. कार्यालय खोलने के जो आपके विभाग के निर्धारित मापदण्ड हैं उसके अन्तर्गत आता है तो इसको करेंगे ? इसके साथ ही क्या विभाग कंजूमरों की संख्या के आधार पर नहीं, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भी यह कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखता है क्योंकि किशनपुरा से जो गोविन्दगढ़ की दूरी है वह लगभग 22 किलोमीटर है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह कालाडेरा के अन्दर सहायक अभियन्ता कार्यालय और किशनपुरा के अन्दर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय कब तक खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री गजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अभी प्रश्न पूछा, किशनपुरा के अन्दर अभी 1700 उपभोक्ता हैं, निवाणा के अन्दर 1167 हैं और बांसा के अन्दर 1272 हैं। हमारे मापदण्ड के अनुसार 3000 उपभोक्ता जब होते हैं तो एक जे.ईएन. का आफिस खोला जाता है तो जैसे ही ये 3000 हो जायेंगे, शहर के अन्दर तो मापदण्ड 4000 उपभोक्ता का रखा है और गांवों के अन्दर 3000 का रखा है, जैसे ही 3000 उपभोक्ता हो जायेंगे तो जे.ईएन. का आफिस किशनपुरा, निवाणा और बांसा के अन्दर खोला जायेगा। दूसरा, खण्ड (3) के अन्दर वापस आपने जो बात की, उसके अन्दर ऐसा है अध्यक्ष महोदय, एक ए.ईएन. चौमूं है, उसके अन्दर ए-1 चौमूं के अन्दर 13059 उपभोक्ता हैं और ए-1 सामाद के अन्दर 2752 उपभोक्ता हैं और ए-1 कालाडेरा के अन्दर 6774 उपभोक्ता अभी है। अभी कालाडेरा के अन्दर जब तक 9000

(श्री गजेन्द्र सिंह)

उपभोक्ता नहीं होते हैं, ए.ईएन. आफिस खोलना सम्भव नहीं है परन्तु क्योंकि जो चौमूं का ए-1 कार्यालय है, उसके अन्दर उपभोक्ता ज्यादा हैं और कार्यभार ज्यादा है। इसलिए हम कुछ क्षेत्र चौमूं का कालाडेरा के अन्दर जोडकर ए.ईएन. आफिस शीघ्र खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

नदबई (भरतपुर) हेतु बाइपास मार्ग निर्माण

165. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ब्राडगेज रेलवे लाइन शुरू होने के कारण कस्बा नदबई में रेलवे क्रासिंग से सम्बन्धित आवागमन की समस्या के समाधान के लिए नदबई बाइपास का निर्माण कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भारी वर्षा एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों के लिए आबंटित बजट राशि में से नदबई कस्बे में बाइपास विकल्प के तौर पर अस्थाई बाइपास हेतु सी.सी. सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) (1) जी नहीं। इस बाइपास का निर्माण वर्तमान में राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारम्परिक प्राथमिकता के आधार पर सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। भारी वर्षा व बाढ़ से नदबई कस्बे की सड़कें क्षतिग्रस्त न होने के कारण राहत विभाग द्वारा नदबई कस्बे में सड़कों के मरम्मत एवं स्थाई रेस्टोरेशन हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि क्योंकि इन्होंने भैरा मोड़ से नदबई

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

सड़क मार्ग को एम.डी.आर.-86 में शामिल किया हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो काम किया है मेरे क्षेत्र में नदबई से कुम्हेर मार्ग को 550 मीटर सी.सी. रोड और 645 किलोमीटर की लम्बाई में बी.टी. कराई है। इसी तरह से भैरा मोड़ से नदबई के लिए इन्होंने 600 मीटर सी.सी. रोड़ और साढ़े तीन किलोमीटर बी.टी. रोड़ कराई है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आभारी भी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि नदबई कस्बे में जो रेलवे फाटक है, जो ब्राडगेज हुई है, अगले माह से इसके ऊपर काफी ट्रेनें चलेंगी, फाटक बन्द होने के कारण कस्बे में काफी जाम लगेगा और मैं चाहती हूं कि अस्थाई बाइपास बनायें जिससे इस हैवी ट्रेफिक को हम डाइवर्ट करके इसको कम कर सकते हैं। यह अस्थाई बाइपास नगर चुंगी से कस्बे की परिक्रमा मार्ग तक होते हुए सीनियर सैकण्डरी स्कूल की ओर से हलेना मार्ग तक बन सकता है जिसकी लागत करीब 1.45 करोड़ रुपये लगेगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस यातायात और कस्बे की सुविधा के लिए स्थाई बाइपास बनाने का अगर विचार रखते हैं तो कब तक रखेंगे और कब तक करेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस अस्थाई बाइपास का जिक्र माननीय सदस्या ने किया है, वह नगरीय क्षेत्र में है। यह नगरीय क्षेत्र में होने के कारण जो वर्तमान में सड़क है, यह एक तरह से गांव की परिक्रमा का डेढ़ किलोमीटर का मार्ग है और इस मार्ग को चूंकि यह नगरिय क्षेत्र में है इसलिए नगर पालिका के माध्यम से बनाया जाना ज्यादा ठीक रहेगा। उसके पश्चात भी माननीय सदस्या की भावना के अनुसार निश्चित तौर पर इसका तसमीना 1.25 करोड़ रुपये का आया है, मैं इसको दिखवाऊंगा। यह बाइपास का रूट तो है नहीं पर इस सड़क की उपादेयता जरूर है इसलिए मैं इसको दिखवाऊंगा, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निश्चित तौर पर इसका प्रयास करूंगा।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : थैंक्यू।

एक माननीय सदस्य : इसको बनवा दो ना, नगर पालिका के भरोसे क्यों टाल रहे हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 166.

कृषि सहकारी समिति, गीदपट्टा (बारां) की भूमि का आबंटन

166. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में भूमि आबंटन करने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कृषि सहकारी समिति, गीदपट्टा जिला बारां की 689 बीघा 15 विस्वा भूमि का आबंटन करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा इसे किन-किन व्यक्तियों को कब-कब आबंटित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी भूमि का आबंटन कर सकती है जिनके पास पहले से ही सिंचित और असिंचित भूमि उपलब्ध हो ?

(4) उक्त भूमि आबंटन में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास पहले से ही सिंचित और असिंचित भूमि उपलब्ध होते हुए भी उन्हें भूमिहीन मानकर भूमि का आबंटन किया गया ? क्या यह आबंटन नियमानुसार था ? यदि हां, तो नियमो की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) नियमों के विपरित आबंटन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 166 को स्थगित किया गया है। जवाब अभी आया नहीं है। नैक्स्ट टर्न में जवाब आएगा।

(प्रश्न संख्या-166 स्थगित)

श्री नवरतन राजोरिया।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में कागज क्रय में किये गये गबन राशि की वसूली

167. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 से 1999 तक राज्य के केन्द्रीय मुद्रणालय (गवर्नमेंट प्रेस) में कितनी मात्रा में कितनी राशि का कागज कब-कब व किससे खरीदा गया ? विवरण सदन मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में भण्डार में कौन-कौन से भण्डारपाल किस-किस अवधि में कार्यरत रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में भण्डारपालों द्वारा कागज के गबन का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई ? यदि हां, तो किस-किस भण्डारपाल के विरुद्ध जांच की गई ? और उसमें कौन-कौन भण्डारपाल कितनी-कितनी राशि के कागज के गबन में दोषी पाये गये ?

(4) क्या उक्त अवधि में भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया था ? यदि हां, तो कब-कब व किसके द्वारा व नहीं तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

(5) क्या उक्त भण्डारपालों के गबन की राशि की वसूली कर ली गई ? यदि हां, तो कितनी व किस-किससे व नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार दोषियों से गबन की राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) वर्ष 1990 से 1999 तक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में विभिन्न प्रकार के पेपर कुल राशि

(श्री कनकमल कटारा)

30,86,04,830 रुपये का विभिन्न फर्मो से क्रय किया गया है जिसका विवरण प्रश्न के उत्तर में अंकित है।

(2) वर्ष 1990 से 1999 तक कुल 10 भण्डारपाल राजकीय मुद्रणालय में कार्यरत रहे, जिनके कार्यकाल का विवरण उत्तर में प्रस्तुत है।

(3) वर्ष 1990 से 1999 की अवधि में स्टाक एवं स्टोर के लेखे तैयार नहीं होने के कारण यह मामला प्रकाश में नहीं आया। परन्तु उक्त अवधि में सम्बन्धित मामले कागज के स्टाक एवं स्टोर के लेखे वर्ष 2002 से 2004 की अवधि में प्राप्त होने पर प्रकाश में आये। गबन के दो मामलों में थाना अशोक नगर में विभाग द्वारा सम्बन्धित भण्डारपालकों के विरुद्ध दिनांक 19-9-2002 को 17 लाख के गबन एवं दिनांक 11-11-2002 को 1.82 करोड़ की एफ.आई.आर. भिजवाई गई जिसमें दिनांक 20-7-2003 को 17 लाख के सन्दर्भ में एफ.आई.आर. दर्ज हुई। जिसमें एफ.आर. लगा दी गई तथा एक करोड़ बयासी लाख रुपये की भेंजी गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट बाबत पुलिस कार्यवाही कर रही है। अन्य छोटे मामलों में कागज की मात्रा में कम पाई गई राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं तथा जांच के पश्चात ही ज्ञात हो सकेगा कि कौन-कौन कर्मचारी कितनी-कितनी राशि के लिए दोषी है, तत्पश्चात् दोषी भण्डारपालकों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी। पूर्ण विवरण उत्तर में अंकित है।

(4) वर्ष 1990 से 1999 तक की अवधि में पेपर भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया था लेकिन वर्ष 1992-93 की अवधि का भौतिक सत्यापन श्री बंकट लाल, सहायक लेखाधिकारी द्वारा कागज की स्टेकिंग सही ढंग से नहीं होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जिसके लिए तत्कालीन अधीक्षक (भण्डार) स्वर्गीय श्री मदन राज मेहता जिम्मेदार थे। वर्ष 1996-97 में तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय श्री वेदप्रकाश सोनी द्वारा भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया किन्तु भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत

(श्री कनकमल कटारा)

नहीं किया गया जिसके लिए वे दोषी हैं। उक्त अवधि में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन का पूर्ण विवरण उत्तर में अंकित है।

(5) जांच कार्यवाही जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्पष्ट होगा कि किस भण्डारपाल का कितनी राशि, मात्रा में कागज की कमी, गबन राशि का दायित्व निर्धारण होता है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जांच कार्यवाही करने में सम्बन्धित भण्डारपालकों का मूल रिकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण जांच पूर्ण करने में कठिनाई आ रही है। अब कई मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जा चुके हैं, अतः न्यायालय से रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी हां। दायित्व का निर्धारण होने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी व जांच की कार्यवाही छह माह में पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण आदि के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि वर्ष 1990 से 99 की अवधि में स्टाक एवं स्टोर के लेखे तैयार नहीं होने के कारण यह मामला प्रकाश में नहीं आया। जब प्रकाश में आया तो आपने बताया कि 1991-92 में 17 लाख रुपये का गबन किया गया, 1992-93 में लगभग एक करोड़ चवालीस लाख का गबन किया गया और 1993-94 में, लगातार आपने माना है कि गबन की राशि, प्राइमाफेसी केस में आपने माना है, इसके कारण आपने एफ.आई.आर. भी लॉज कराई और एफ.आई.आर. के बाद में न्यायालय में एफ.आर. लग गई। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या विभागीय स्तर पर पैरवी करने में कोई कमजोरी रही या सम्बन्धित अधिकारियों ने उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्यवाही होनी थी उसमें उनको प्रोटेक्शन देकर कार्यवाही में लापरवाही की गई। उसी प्रकार तब एफ.आर. लग गई तो प्रोटेक्टर एप्लीकेशन जो लगानी चाहिये थी सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से, वह लगाई या नहीं, आपने न्यायालय में प्रोटेस्ट का प्रार्थना पत्र देना बताया है, वह कब प्रस्तुत किया, यह

(श्री नवरतन राजोरिया)

इसमें जानकारी नहीं दी है। क्या मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि उनके विरुद्ध, जो प्राइमाफेसी केस में लाखों रुपये का गबन किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गई और क्या कार्यवाही की जा रही है ? संक्षिप्त आप जानकारी दें।

श्री कनकमल कटारा : यह दस वर्ष का पुराना पिछली सरकार का मामला है, मैंने तो आते ही यह....

श्री संयम लोढ़ा : पिछली सरकार का नहीं, भैरोंसिंह जी की सरकार के वक्त का मामला है।

श्री कनकमल कटारा : हां, पिछली सरकारों का हो गया न। जब आपकी सरकार थी तो....

श्री संयम लोढ़ा : पिछली सरकार कहो कि आपकी सरकार के वक्त का।

श्री कनकमल कटारा : 90 से लेकर अब तक की स्थिति में यह बात, मैंने तो आते ही यह लेखे तैयार करवाये और लेखे तैयार करवाने के तुरन्त बाद जो कार्यवाही मैंने शुरू की है और दोषी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जायेगा और बहुत ही कम समय में, छह माह के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका तुरन्त निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण

168. **श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 2004 में सरकार द्वारा नर्स ग्रेड द्वितीय के संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये गये थे, परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

द्वारा रोक हटवाने की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या तथा उन अभ्यर्थियों को अब कब तक नियुक्ति दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवेदकों को प्रशिक्षण बैच अनुसार वरीयता का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) फरवरी, 2004 की नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु कितने पदों के विरुद्ध कितने-कितने किस-किस वर्ग के आवेदक पत्र प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन पत्रों की वरीयता अनुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नर्स ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों के विरुद्ध सरकार सीधी भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र श्रीगंगानगर में वर्ष 2000 से प्रारम्भ जी.एन.एम. के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल जयपुर में पंजीकृत हो जाने के बाद भी अभी तक नर्सिंग सर्टिफिकेट नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक दे दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह) : (1) जी हां।

स्थगन आदेश हटवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है एवं निरन्तर अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता से स्थगन हटवाने के प्रयास हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रोक हटाये जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) जी नहीं।

(3) फरवरी, 2004 में नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 11-2-2004 की अनुपालना में कुल 7130 आवेदन पत्र प्राप्त हुए

(डा. दिगम्बर सिंह)

भी समस्या इस भर्ती पर रोक की वजह से आई हुई है। तो विभाग का प्रयास यह है कि जल्दी यह स्थगन आदेश हटे तो इनकी भर्ती की प्रक्रिया चालू करें।

श्री अर्जुन लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 5 में है कि जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण का वर्ष 2000 का बैच नवम्बर, 2003 में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण केन्द्रों से पंजीकरण फार्म भिजवाये जाने पर सफल छात्रों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नम्बर दे दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो मूल नर्सिंग प्रमाण-पत्र समाप्त होने की वजह से नहीं दिये हैं, यह उन छात्रों को कब तक दिये जायेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह : यह तो मुद्रणालय से प्राप्त होते ही बहुत जल्दी ही इनको दिलवा दिये जायेंगे, मेरे ख्याल से एक महीने के अन्दर हम इश्यू कर देंगे।

श्री अर्जुन लाल मीणा : धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना यह चाहूंगा कि कांट्रेक्ट बेस पर आपने जिन नर्सिंग कर्मचारियों को लिया है, सरकार का क्या चार साल सर्विस पूरी होने के बाद उनको स्थायी करने का इरादा है या हमेशा ही कांट्रेक्ट बेस पर रखने का है। यह मंत्री महोदय, क्योंकि बार-बार चार साल पांच साल इनके हो गये है कइयों को तीन साल हो गये हैं, कांट्रेक्ट यह था कि दो साल पूर्ण होने के बाद उनको स्थायी नौकरी दे दी जायेगी लेकिन चार तक नहीं दी है। क्या आगे भी इनको कांट्रेक्ट पर ही रखने का है या स्थायी करने का इरादा है सरकार का ?

डा. दिगम्बर सिंह : देखिये, कांट्रेक्ट पर जो अपाइंटमेंट दिया जाता है तो देट इट प्योरली कांट्रेक्ट बेसिस का ही होता है। इसमें उन कर्मचारियों को काफी राहत हमने दी है, उनको छुट्टी का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है उनको एक्चुअल टी.ए.डी.ए. का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो परमानेन्ट की बात बताइये। यह छोड़िये बात आप तो यह बताइये।

श्री अमराराम (धोद) : परमानेन्ट करने में क्या दिक्कत है जब ट्रेंड हैं आप ले रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : कांट्रेक्ट का मतलब कांट्रेक्ट ही है।

श्री अध्यक्ष : हां तो वो ही बता दीजिये परमानेन्ट करोगे कि नहीं ?

डा. दिगम्बर सिंह : अभी सरकार इस बात पर विचार करेगी इसमें वित्त का काफी, अभी ये तो कांट्रेक्ट पर हैं तो इनको रेगुलराइज एज सच तो नहीं कर सकते।

श्री अमराराम (धोद) : एज सच क्यों नहीं कर सकते जब ट्रेंड हैं, आप मैरिट के अनुसार ....।

डा. दिगम्बर सिंह : ट्रेंड हैं पर जिस समय हमने अपाइंटमेन्ट दिया वो कान्ट्रेक्ट पर दिया।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, कांट्रेक्ट पर किया आपने इसलिए किया है कि भर्ती प्रक्रिया में टाइम लगता है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कांट्रेक्ट पर किया था। लेकिन जब मैरिट से किया है, ट्रेंड लोग हैं तो क्यों नहीं उनको वो ही सेवाएं लेकर आप स्वास्थ्य मंत्री महोदय, एक ही हास्पिटल में एक ही आप ड्यूटी लेवें और उनको दो तरह की तनख्वाह मिले, यह मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय नहीं है। सरकार ने मैरिट के आधार पर उनको भर्ती किया है तो उनका परमानेन्ट करने का एक समयबद्ध प्रोग्राम करके उनको परमानेन्ट किया जाना चाहिए।

डा. दिगम्बर सिंह : ये तो केवल राजस्थान में नहीं है बल्कि सब जगह है। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं न मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह : और कांट्रेक्ट पर जिन शर्तों पर उनको सर्विस में लिया है वो सारी शर्तें हम फुलफिल कर रहे हैं, उसमें कहीं भी हमने यह नहीं लिखा कि हम इनको कभी परमानेन्ट करेंगे या परमानेन्ट इनको नौकरी देंगे और कांट्रेक्ट पर हमने पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी मैरिट के साथ इनको सलेक्शन किया है तो अभी तो सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन नर्सों ....।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप इनको नियमित तो चलिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तब करेंगे, क्या करेंगें जो आप कह रहे हैं। पिछले सत्र में आपने इसी हाउस में यह बात कही थी कि जो आपने कांट्रेक्ट पर पैरा मेडिकल स्टाफ या चिकित्सक लगा रखे हैं उनकी सेवा शर्तों में उनको कोई विशेष परिस्थिति आ जावे उसमें उनका स्थानान्तरण वहां से नहीं कर सकते। आपने इसी सत्र में यह कहा था कि ऐसी परिस्थितियों को देख कर राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ऐसी स्थिति आयीं थी कि एक-दो कांट्रेक्ट पर लगे....।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि आपने यह आश्वासन दिया था उसमें क्या प्रगति हुई ? क्या आप इनके स्थानान्तरण करने का विशेष परिस्थितियों में आप कह रहे थे सेवा नियमों में हम संशोधन कर रहे हैं वो कुछ आपने प्रगति की तो जरा अवगत करायें।

डा. दिगम्बर सिंह : देखिये इस तरह का कोई सदन में आश्वासन नहीं दिया पहली चीज तो यह है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने दिया था।

डा. दिगम्बर सिंह : दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कांट्रेक्ट पर जो स्टाफ हमने लिया है वो डाक्टर्स हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हैं उनका बजट उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं है और आगे भी कोई विचार नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, आपने किये हैं आपने सिरोही से पाली उनको रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे फिर आपने कांट्रेक्ट पर, जो संविदा पर, पैरा मेडिकल स्टाफ लग रहा है उनके 3-4 के आपने ट्रांसफर किये हैं। जब आप कह रहे हैं कि कोई प्रावधान नहीं है तो क्यों किये हैं ? मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा तो फिर आप उनके जो गलत किये हैं उनको सुधार कर लेंगे....(व्यवधान)..... नहीं-नहीं आप बताइये न। मैं वो ही संविदा पर जो कर्मचारी नियुक्त किये हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आपने कहा उनका बजट उसी जिले का होता है, उनको वहां से दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कुछ किये हैं उनको फिर सुधार करायेंगे ? क्यों किये नियम विरुद्ध आपने ? दे जवाब अब आप इसका।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको जवाब देता हूं। सवाल शुरू हुआ है संविदा पर लगे हुए कर्मचारी चाहे वो नर्स ग्रेड-II के हैं इनको इसमें स्थानान्तरण की बात करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है और मुझे बताइये मैं उसका समाधान करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ये जो आपने कांट्रेक्ट बेसिस पर हजारों नर्सों का भविष्य अन्धकार में डाल रखा है...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : आपने नहीं, आपने।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ...(व्यवधान) आप मेरा सवाल तो सुन लें साहब।

श्री अध्यक्ष : इनका मतलब सरकार से है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : आपकी सरकार के कारनामे हैं हमने एक को ही नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष : इनका मतलब आपसे मतलब सरकार से है, आप यों क्यों करते हो ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपने जो हजारों पैरा मेडिकल .....। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि....।

श्री अध्यक्ष : हां, आप पूछिये-पूछिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : कि हजारों पैरा मेडिकल स्टाफ जिनको आपने कांट्रेक्ट बेसिस पर लगा रखा है उनका भविष्य अंधकार में है। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि उनको स्थायित्व दिया जायेगा ? उनको परमानेंन्ट सरकारी नौकरी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ? अगर लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा ? और दूसरा।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं वो ही सवाल रिपीट किया जा रहा हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : उस समय इनका ध्यान कहीं और था। अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार रिपीट कर रहे हैं उस समय इनका ध्यान कहीं और था जब मंत्री महोदय, जवाब दे रहे थे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जब आप परमानेन्ट सर्विस में....(व्यवधान) जब आप परमानेन्ट लेंगे तब इनको प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं दी जायेगी ? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

आदमी सरकार की नौकरी में तीन साल से चार साल से लगा हुआ है और जब आप परमानेन्ट करेंगे तो उसको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : जवाब देना पसन्द करेंगे आप ?

डा. दिगम्बर सिंह : नहीं अध्यक्ष महोदय, पहले ही जवाब दे चुका हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, एक मेरा भी सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फरवरी, 2004 में नर्स ग्रेड में संविदा पर जो भर्ती के लिए फार्म लिये थे सात हजार से अधिक आदमी उस लाइन में लगे हुएं है। मंत्री महोदय ने फरमाया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रोक दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस रेफरेन्स में स्थगन दिया और क्या स्थगन दिया और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष : ये तो अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र सराधना : उच्च न्यायालय के कारण .....। 7 हजार आदमी ....। उसी में है यह प्रश्न यही है। इसी के कारण, रोक के कारण वो भर्ती नहीं हो रही है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : नहीं इसी में है। मंत्रीजी ये बता दें इन्होंने कह दिया कि स्थगन आदेश....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, एक बात आप स्पष्ट करवायें कि जब बजटेड पोस्ट हैं और आपकी अध्यक्षता में अनुमोदित बजट है फिर ये कांट्रेक्ट बेसिस पर नौकरी क्यों देते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये इनसे भी पूछो।

श्री अध्यक्ष : वो तो कह रहे हैं न कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी इसलिए देनी पड़ी।

श्री रामनारायण चौधरी नहीं उनसे क्यों पूछे आपसे पूछेंगे। सरकार आप चलाते हैं। जब भारत सरकार से पूरा पैसा मिलता है तो आप कान्ट्रेक्ट बेसिस पर क्यों देते हैं ? जवाब तो आपको देना है। ..(व्यवधान) मैं बैठा हूं क्या जो मैं जवाब दूंगा। उधर तो आप बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इधर बैठाइये। आप इनको इधर बैठाइये जवाब देंगे ये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास भारत सरकार से पूरा पैसा आता है, नर्सिंग स्टाफ का पूरा पैसा आता है, पूरा पैसा, उसके बाद में आप कांट्रेक्ट पर क्यों नौकरी दे रहे हैं ?

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, पैरा टीचर, पैरा मेडिकल स्टाफ, पैरा डाक्टर्स ये लगाये तो सब इन्होंने है कांट्रेक्ट बेसिस पर। अब कह रहे हैं कि आपने क्यों लगाये, हमने तो उल्टा 38 हजार टीचर्स को अभी नौकरी दी है आपने एक आदमी को नौकरी नहीं दी सबको कांट्रेक्ट बेसिस पर लगा करके सारा तहस-नहस कर दिया और अब आप हमको कह रहे हैं कि आपने क्यों लगाया...(व्यवधान) गवर्नमेंट भी ....(व्यवधान) गवर्नमेंट थी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं तो सरकार को कह रहा हूं आप तो मेरे जैसे ही हैं। आपको नहीं कह रहा हूं। मैं तो सरकार से पूछ रहा हूं। आपका सरकार से क्या लेना-देना है ?

श्री कालीचरण सर्राफ : अच्छा, सरकार से आपका लेना-देना है हमारा नहीं है वाह साहब, वाह। अभी तो हमारा ही लेना-देना है। आपका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : ....(व्यवधान) नहीं आपको यह भ्रम हो गया है कि आप सरकार हैं....(व्यवधान) उनको भ्रम हो गया कि वो सरकार है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रमेश खींची।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री कालीचरण सर्राफ : अब पांच साल तो आप उधर ही बैठो अभी तो हमारा ही लेना-देना रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ....(व्यवधान) बजट में स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्राविजन है पूरा रेगुलर अपाइंटमेंट का तो फिर उन्होंने कांट्रेक्ट बेसिस क्यों चालू कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रमेश खींची।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का नाम लेकर नौकरी नहीं देना.....।

श्री अध्यक्ष : श्री रमेश खींची।

गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

169. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील जयपुर के पटवार हल्का हीरापुरा के राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा में राजकीय भूमि जो कि गांव की तलाई (तालाब) है, का कुल रकबा कितना है ? क्या उक्त भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है ?

(2) क्या यह सही है कि नगर निगम चुनाव वर्ष 2004 के दौरान उक्त भूमि पर झोंपड़ियां व धार्मिक स्थल बनाकर उसकी आड़ में अवैध कब्जे किये गये हैं ? यदि हां तो क्या इसकी शिकायत कन्ट्रोल रूम जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 20 से 24 नवम्बर, 2004 को दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय लोगों द्वारा माह नवम्बर, 2004 के अन्तिम सप्ताह में कोई ज्ञापन पत्र कमिश्नर जयपुर विकास प्राधिकरण को

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(5) ऐसी सभी सम्पत्तियों की सुरक्षा जयपुर विकास प्राधिकरण की हैल्प लाइन सेवा के माध्यम से निरन्तर की जा रही हैं।

(ज्ञापन की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रमेश खींची : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं आपने बताया कि खसरा नम्बर 85, 7 बीघा 5 बीघा, दूसरा रकबा बताया 9 बीघा, इस तरह से तीनों रकबा में आपने बताया और आप स्वयं कह रहे हैं कि इसको बोलचाल में तलाई बताया जाता है तो यह आप मानते हैं कि सरकारी जमीन है और आप स्वयं भी कहते है कि जे.डी.ए. के नाम दर्ज है। उसके बाद आपने खण्ड 2 में बताया जी नहीं शिकायत दर्ज हुई है और शिकायत पर आपके अधिकारी गये। क्या वहां पर कोई फोटोग्राफी की। क्या वह अतिक्रमण पुराना है या कोई आज का है, यह बतायें। खण्ड 3 में आपने बताया कि कमिश्नर जयपुर विकास प्राधिकरण को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर मौके पर जांच की गई। उस जांच में आपने स्वयं ने पाया, आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वहां के लोग मौके पर थे। क्या आसपास के खातेदारों से आपने उनके बयान लिये, जांच में क्या पाया गया, यह आप बता दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : तहसील जयपुर के पटवार हल्का हीरापुरा के ग्राम गिरधारीपुरा में राजकीय भूमि जो आप तालाब कह रहे हो, तालाब के नाम से जानी जाती है रिकार्ड में तालाब अंकित नहीं है। प्रश्नगत भूमि जिसका आप जिक्र कर रहे हो खसरा नम्बर 85 व 86 की है जिसका 9 बीघा रकबा मैंने बताया है बारानी जमीन है। इस पर 30 वर्ष पुराना शिवलिंग बना हुआ है और चबूतरा बना हुआ है यह बात सही है।

श्री रमेश खींची : आपसे मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि जो खण्ड दो में आपने कहा है कि हमने जांच कराई है, क्या उसकी फोटोग्राफी आपने कराई है। शिवलिंग है, मन्दिर है क्या है वह आप बता दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह कोई अतिक्रमण नहीं है। 30-40 वर्ष पुराना चबूतरा बना हुआ है। वहां डेली पूजा होती है कोई आज का अतिक्रमण नहीं है।

श्री रमेश खींची : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देख लें, मैं मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर सकता हूं यह नया निर्माण है। इसकी फोटोग्राफी मंत्री महोदय ने स्वयं ने, जो अधिकारी मौके पर गये उन्होंने भी की है आप इसको देख लें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह क्या गांरटी है कि आपने उसी चबूतरे की फोटोग्राफी कराई है।

श्री रमेश खींची : और जब हनुमाननगर में बात आई, हनुमान जी का जो मंदिर था तब इन्होंने स्वयं ने.....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या गांरटी है कि इन्होंने उसी चबूतरे की फोटोग्राफी कराई है। प्रस्तुत कर दें।

श्री रमेश खींची : आप जांच कर लें, मौके पर दिखा लें कि आपकी यह झोंपड़ियां बनी हुई हैं और जो अतिक्रमी है उनके बारे में क्या आपको जानकारी है ? आप पहले जो मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दे दें। जो अतिक्रमी हैं वह कौन हैं ? क्या आपको जानकारी है। क्या वहां कोई पूजा होती है, पूजा होती है तो कोई पुजारी का नाम बता दो ? कब पूजा होती है ? 40 वर्ष पुराना आप शिवलिंग बता रहे हैं या मन्दिर बता रहे हैं वह बता दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां 30 साल पुराना चबूतरा बना हुआ है और वहां के आसपास के जो निवासी हैं .....

श्री लालचन्द कटारिया : 30 साल पुराने चबूतरे का क्या मापदण्ड है ? आपको कैसे मालूम है कि 30 साल पुराना चबूतरा बना हुआ है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां के लोगों से जानकारी की है।

श्री लालचन्द कटारिया : वहां का निवासी मैं हूं मेरे पास फोटोग्राफी है। वह जमीन बिलकुल खाली पड़ी थी पिछले 6 महीने में वहां कब्जा किया गया है। जिन लोगों ने आपको ज्ञापन दिया है वह खुद वहां कब्जाधारी हैं, उन्होंने कब्जा किया है। आपके पास जो लिस्ट है उसमें 11 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने उस पर कब्जा किया है और अपना मकान बनाना चाहते हैं मन्दिर के माध्यम से और यह जमीन पृथ्वीराज नगर में आती है। आपको जितनी भी जानकारी दी गई है, वह अधूरी है और आपको अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किये हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अब सही बात बता दूं क्या, अभी सबका बोलना बन्द हो जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : अभी तक गलत बता रहे थे क्या ? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार है या क्या है ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, यह क्या इतनी देर असत्य बोल रहे थे क्या ? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप किस तरह की बात कर रहे हैं ? (व्यवधान) आप सच बात बताइए। अब तक आपने जो कहा वह असत्य कहा क्या ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : आप सही बात सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी और माननीय मुख्य

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्रीजी की मौजूदगी में ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब आनरेबल मिनिस्टर ने दिया है, यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : आप जवाब सुनना नहीं चाहते, कौन सा गैर जिम्मेदाराना जवाब हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी, आप विराजें। नहीं, एक मिनट नहीं, आप बैठें। आप लोग एक साथ यदि इकट्ठा होकर यूं बोलना शुरू करेंगे तो आपके प्रश्नों के जवाब नहीं आयेंगे। मंत्रीजी, आप तो केवल इतना बता दीजिए कि नया निर्माण तो नहीं मिला तहसीलदार को, जो पुराना निर्माण था उन्होंने 91 की कार्यवाही की है क्या, पुराना कोई कब्जा है क्या ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई अतिक्रमण है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इसका जवाब आने दीजिए, आप जवाब ही नहीं आने दे रहे।

श्री अमराराम (धोद) :.... सच्चाई खोल दूंगा तो बहुत बुरा हो जायेगा, तो कम से कम मंत्री महोदय यह जरूर बताये कि कौनसी पोल खुल जायेगी और मंत्रीजी का कितना हिस्सा है इसलिए नहीं खोलना चाहते। सच्चाई खोल दें आप। (व्यवधान) मंत्री महोदय सच्चाई नहीं खोलना चाहते तो हम यह मानेंगे कि मंत्री महोदय का भी इसमें हिस्सा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अमरारामजी, 7 महीने हो गये तो लोग मुझे भी शांति धारीवाल बना देते। 7 महीने हो गये कोई माई का लाल चार्ज नहीं लगा सकता। मैं शान्ति धारीवाल नहीं हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सच्चाई बता दूंगा तो पोल खुल जायेगी, वह पोल खुलनी चाहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : शांति धारीवाल अगर बना देंगे तो राजस्थान का कायाकल्प हो जायेगा। (व्यवधान) शांति धारीवाल ने तो जो काम किया है न जे.डी.ए. का वह किसी एक ने भी नहीं किया है अभी तक, विकास की गंगा बहाई है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, आप शांतिजी के दोस्त हैं आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ खड़े होकर बोल रहे हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए, दे रहे हैं जवाब वह, आप विराजें। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री ओम बिरला : हां, यह सही किया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का सबसे बडा आंकड़ा उनके कार्यकाल में हुआ। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आप जानते हो, आप बुलवाओं मत। (व्यवधान) हम भी जानते हैं क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारे राज में अगर गड़बड़ी हुई तो आप कार्यवाही करो ना, आपको कोई रोक रहा है क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप जांच कराइए, आप मंत्रिमण्डल के सदस्य हो, जांच करवाओ। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : एक-एक प्रकरण की जांच होगी और राजस्थान का पूर्व मंत्री बच नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो जांच करवाइए। (व्यवधान) आप जांच करवाइए इस बात की। जांच तो करवाते नहीं हो, खुलेंगे आपके भी कारनामे। सब जानते हैं कि कहां से कहां पहुचे हैं।

श्री ओम बिरला : सदन के पटल पर खोलो, सदन का पटल इसलिए है। कोई कारनामा है तो खोलो।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति हाउस में नहीं है, उनके ऊपर इस तरह का चार्ज लगाना......

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, शांति धारीवाल का नाम एक्सपंज कराया जाये।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसका नाम ले रहे हैं, बिना नोटिस के नाम ले रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, शांति धारीवाल का नाम एक्सपंज कराया जाये। जो इस सदन में नहीं हैं उस पर लगे आरोप को एक्सपंज करायें। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : मंत्रीजी ने गलत आरोप लगाया है और मंत्रीजी को अगर आरोप लगाना है तो नोटिस देकर लगाये।

श्री सी.डी. देवल : हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, इस वर्ड को आप एक्सपंज करायें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश का हम पालन करेंगे पर जिस तरह से मंत्रीजी लगातार गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रहे हैं, आप उनको भी तो कुछ कहो। कभी किसी एक्स मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं कि वह करप्ट थे, कभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एक पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी कह रहा है कि उन्होंने बहुत घोटाले किये। आपकी सरकार है आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हो, करो आप कार्यवाही आपमें हिम्मत है तो पूरे 5 साल की जांच कराओ। आप ए.सी.डी. को दो पूरे मामले। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देना....(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : आप मंत्री महोदय, का जवाब सुनने के लिये तैयार हो जाइए अगर जांच करवाई तो प्रतिपक्ष का एक मंत्री नहीं बचेगा। हम विकास में विश्वास रखते हैं, हम जांच के लिये नहीं रखते हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप कराओ न जांच, सवा साल हो गया क्या हुआ, आप जांच करवाइए।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते जब आसन का आदेश हो गया तो जवाब सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो सुनना नहीं चाहते।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाना सदन की गरिमा के खिलाफ है और जो सदस्य यहां है नहीं .....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : स्थान ग्रहण कर रहे हैं आपके आदेश की पालना कर रहे हैं लेकिन क्या ? आप इस व्यवस्था को अच्छा मान रही है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : इर्रेलेवेंट नाम ले रहे हैं, फिर भी आप चुप बिराज रहे हैं। इन्होंने कैसे नाम लिया, जब यह विवाद पैदा हुआ। किसी पूर्व मंत्री का जो इसका सदस्य नहीं है उसका कैसे नाम लिया ? जब ही तो यह विवाद पैदा हुआ। उस कारण ही तो यह हुआ। आप रोको तो, उनको रोको। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : जो स्पष्टीकरण दे ही नहीं सकते (व्यवधान) उनका राजस्थान सरकार के मंत्री पूर्व मंत्री का नाम ले रहे हैं। मैं शांति धारीवाल हो जाता। शांति धारीवाल ने ऐसा क्या कर दिया, अगर शांति धारीवाल ने कोई गलती की है आप जांच करवाइये। फांसी की सजा दीजिये ....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : शांति धारीवाल अच्छे आदमी हैं ना ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : खड़े होकर कह रहे हैं एक मंत्री (व्यवधान) यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ? आपके पास है शांति ? जांच करवाइये ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भ्रष्ट आदमी है क्या शांतिलाल ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपके मंत्री कह रहे हैं सात महीने, मैं ऐसा करता तो शांति धारीवाल बन जाता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपके मंत्री कह रहे हैं....(व्यवधान) शांति धारीवाल ने महान काम किया था खराब काम किया दोनों में से एक बात स्पष्ट कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चोर की दाढ़ी में तिनका। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : शांति धारीवाल ने खराब की, तो वह भी कीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : आपके संसदीय सचिव ने कहा है। आपके संसदीय सचिव ने कहा है।

श्री महीपाल सिंह यादव : इन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : उन्होंने बहुत घोटाले की बात कही (व्यवधान) उन्होंने कहा हैं, जांच करवाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो घोटाला किया .....(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : जांच कराइये ना। उन्होंने कहा है। बेकार में ही बात कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : परेशानी क्या है ? हो जायेगी जांच (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप नोटिस देकर आइये। जो सदन का मैम्बर नहीं है आप उसको कैसे कह सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसी पर आरोप लगाना, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि आप राजस्व नियमों से भली भांति परिचित हैं। तीस वर्ष पहले और छह महीने पहले के रिकार्ड की बात आ रही है। राजस्व नियमों में, प्रक्रिया में यह शामिल है कि यदि कोई भी अतिक्रमण आता है तो उसका उल्लेख आता है। तीस वर्ष के रिकार्ड में दर्ज है क्या इसका अतिक्रमण ? शिवलिंग का उसमें उल्लेख है जब तो हम मान जाएंगे कि रिकार्ड है, छह महीने का है, आप लोग दिखवा लें। जमाबंदी में गिरदावरी में उल्लेख आता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात तो सुने वह जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह शिवलिंग 30 वर्ष पुराना है, फिर भी जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं उस पर किसी प्रकार का निर्माण हुआ है तो चूंकि यह धार्मिक मामला है, इसको एस.पी. कलक्टर से कानून व्यवस्था की जानकारी करते हुए इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह धार्मिक मामले की बात नहीं है, रिकार्ड की बात है। रिकार्ड में 30 वर्ष ....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आपने जब मन्दिर तुड़वाया था (व्यवधान) वह धार्मिक मामला नहीं था क्या ?

श्री रामचन्द्र सराधना : धार्मिक मामला नहीं है....(व्यवधान) 30 वर्ष हो पुराना रिकार्ड में दर्ज है क्या ? उसका उल्लेख है क्या ? बात यह आ रही है।

श्री अमराराम धोद (धोद) : धार्मिक नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप जवाब तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़। (व्यवधान) जवाब दे दिया है, जांच करवा लेंगे। (कानूनी रूप से सही है या नहीं (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : प्रश्न संख्या 170

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आप तो जो पोल खोलने वाले थे वह खोलो आप तो। (व्यवधान) आप चुप क्यों हो, पोल खोलो आप तो। (व्यवधान) हम चुनौती देते हैं आपको, आप खोलो पोल....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सुनो तो सही, अकल का ठेका आपका ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सत्य बात तो सत्य है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : यह सत्य बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्षः श्री मदन राठौड़।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिवलिंग है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी, कुछ कहना चाहते हैं आप ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शिवलिंग है उसके पास, दुर्रू मीयां एक नेता हैं कांग्रेस के, उसके पी.ए. की जमीन है। मैथिलीशरण शर्मा के नाम की, वह जमीन पर कब्जा करवाना चाहता है इसलिए उन्होंने रमेशजी खींची के मार्फत यह प्रश्न उठवाया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बहुत गम्भीर और गलत बात कह रहे हैं।

श्री रमेश खींची : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का सदस्य हूं, मुझे अधिकार है मैं सवाल उठा सकता हूं। मैं किसी दूसरे के कहने पर सवाल थोड़े ही उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़ :

श्री मदन राठौड़ : प्रश्न संख्या 170

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के दो माननीय सदस्यों के खिलाफ....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह सदन के सदस्य हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपको रिकार्ड करेक्ट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : आपको रिकार्ड करेक्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको रिकार्ड करेक्ट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : वह सदन के सदस्य हैं।

श्री रमेश खींची : मैं अपना सवाल पूरा करूं, उसके बाद मेरा जवाब आ जाए, उसके बाद आप दूसरा...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड करेक्ट करवाइये, अधिकार दीजिए मैम्बर को बोलने का । (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है, आरोप लग जाए माननीय सदस्य पर और आप रिकार्ड में करेक्ट नहीं करना चाहें, आपको रिकार्ड करेक्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान) आपने विधान सभा को मजाक कर रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य के रिकार्ड को करेक्ट करना पड़ेगा। मंत्री ने आरोप लगाया है....(व्यवधान) कि उन्होंने यह प्रश्न क्यों उठाया.....

एक माननीय सदस्य : पी.ए. की जमीन है किसकी जमीन है आप जांच करा लें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्री ने आरोप लगाया है कि इन्होंने इस कारण प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरो पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल सिंह यादव : कठूमर से आने वाले सदस्य सदन के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए पहले, पहले स्थान ग्रहण करें पहले आप मुझे सुनेंगे। जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं यदि उन पर किसी प्रकार का भी आरोप, या उनकीं कोई बात कही जाती है, उनको मौका मिलेगा वह आकर अपना स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, अपनी पूरी बात कह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : मेरे पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वेग है या असली वह तो अलग बात है। वेग है तो आकर वह देंगे वह सदन के सदस्य हैं........(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यह भी तो सदन के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : अपना कहेंगे वह।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं हैं। मंत्री महोदय, ने यह कहा है कि इनसे प्रश्न इसलिए उठवाया गया...

श्री अध्यक्ष : क्या कहा ?

डा. सी.पी. जोशी : आप सुनें क्या ? आप रिकार्ड दिखवाइये कि क्या कहा।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा ?

डा. सी.पी. जोशी : फिर रिकार्ड क्या करवाया ? (व्यवधान) आप रिकार्ड दिखवाइये। सदन में कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है उस पर मोटिव लगाने का मतलब सदन की कार्यवाही बेकार हो जायेंगी। आपको रिकार्ड

(डा. सी.पी. जोशी)

उठाकर देखना पड़ेगा, यह जितने माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, हम भी यह आरोप लगायें कि माननीय मंत्री ने पैसा खाकर उत्तर लगाया है यह जवाब होगा क्या ? यह कोई उत्तर होगा क्या ? (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : इनके पास क्या सबूत है ?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, निर्णय करना पड़ेगा। आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के उत्तर में....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, खण्डन करिए।

डा. सी.पी. जोशी : आपको भी अध्यक्ष महोदय अधिकार नहीं है। यह सदन ऐसे नहीं चलेगा। आपको रिकार्ड उठाकर देखना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अतिक्रमण करना चाहते हैं यह बताया है... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : क्या बताया ? हम यह आरोप लगायें कि मंत्री ने पैसे खाकर, यह आरोप है क्या ? यह कोई ठीक ढंग की बात है क्या ? क्या सदन की गरिमा ऐसी होती है ?

श्री महीपाल सिंह यादव : इनको मंत्री पद की गरिमा का ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। मंत्री महोदय ने यह कहा कि प्रश्न इसलिए उठाया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री रमेश खींची : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की शंका का समाधान कर दूं। सदन की परम्परा भी रही है और ऐसे अनेक मौके आए हैं इस सदन में कि जब प्रश्न का उत्तर देते समय, जब आप लोगों ने बहुत अधिक इस बात की अपेक्षा की कि किसने किया, किसने किया, उन्होंने यह कहा है कि ऐसा किया है। तो माननीय सदस्य को मौका है इस बात का अपना स्पष्टीकरण देने का इसलिए वह दे सकते हैं, कह सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : क्या कार्यवाही में आरोप हैं ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैंने तथ्यों के आधार पर बात कही है, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैंने सदन की कार्यवाही पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, ना सदन की कार्यवाही पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : अवैध कब्जे के मामले में, आपके द्वारा पूछा गया अवैध कब्जा, उन्होंने बता दिया, अवैध कब्जा किसका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, स्थान ग्रहण करें। आपने अवैध कब्जे के बारे में पूछा कि अवैध कब्जा किसने किया और उन्होंने बता दिया, अवैध कब्जा किसने किया, इसमें क्या गलत बात हो गयी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मुझे जानकारी दी है, वह बता दी। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : x x x

श्री संयम लोढा : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप हनुमान नगर की बात कर रहे हो। तत्कालीन कब्जा हुआ था, हाथों-हाथ कब्जा किया जाता है।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

पाली जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास

170. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले के प्रसिद्ध सालासर महादेव तीर्थ व कोरटा जैन तीर्थ को सरकार पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री रमेश खींची : x x x

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती उषा पूनिया) (1) पर्यटन विभाग द्वारा पाली जिले के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन साहित्यों को प्रकाशित कर वितरित किया जाता है। जिला पाली में पर्यटकों की सुविधा हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम की तीन इकाइयां पनिहारिन पाली में, शिल्पी रणकपुर में व मोटल बर में कार्यरत हैं। (व्यवधान)

स्थानीय मुख्य मेलों जैसे सोनाला खतलाजी व पाली उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले के दौरान 19 व 20 फरवरी, 2005 में पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाये गये हैं। जोधपुर सम्भाग के पर्यटन

(श्रीमती उषा पूनिया)

स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन गाइड प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। (व्यवधान) वर्ष 2000-01 में सम्पर्क सड़क नोडल का विकास एवं जैतारण कुड़की ग्राम से गढ़ तक सड़क निर्माण करवाया गया है। (व्यवधान) जिले के रणकपुर व सिरियारी समाधी स्थल के "आध्यात्मिक पर्यटन" की दृष्टि से विकास के लिये कार्य योजना तैयार की जा रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री रमेश खींची : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको मंत्रीजी ने जांच कराने को कह दिया और क्या चाहते हैं आप। जांच करा रहे हैं ना वे। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : x x x

श्रीमती उषा पूनिया : (2) पर्यटन विभाग की प्राथमिकताएं एवं सीमित वित्तीय प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में योजना विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करूंगा कि मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि पाली जिले में कितने हैरिटेज होटल्स हैं। क्या नये भवन को भी हैरिटेज का लाभ मिल सकता है।

दूसरा, क्या यह सही है कि खुसरा महादेव तीर्थ स्थल, कोरटा जैन तीर्थ, (व्यवधान) रणकपुर जैन तीर्थ, सालासर महादेव, बाबा रामदेव तीर्थ.... (व्यवधान) पर प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं। यदि हां, तो इनकी सुविधाओं के लिये क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और यह होटल किस तहसील में स्थित है तथा जैतारण कुड़की ग्राम से गढ़ तक सड़क निर्माण करवाने से कितने पर्यटक लाभान्वित होंगे जबकि सालासर महादेव मन्दिर पर लाखों यात्री आते हैं तथा

(श्री मदन राठौड़)

प्राचीन परम्परागत घेरों का आगमन प्रमुख आकर्षण हैं वहां सड़क निर्माण प्राथमिकता से क्यों नहीं है ? (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्रीमती उषा पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) पाली में निगम द्वारा होटल पनिहारिन, पाली शिल्पी पनिहारिन और मोटल बर संचालित किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री रमेश खींची : x x x

श्रीमती उषा पूनिया : सम्भागीय गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान चयनित गाइडों को पाली जिले के पर्यटन स्थलों पर भी प्रशिक्षण दिया गया है व इस जिले में लगभग 30.... (व्यवधान) पाली जिले में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों का विवरण निम्नानुसार है 1-वित्तीय वर्ष 1998-99 में म्यूजियम मे जन सुविधाओं के निर्माण हेतु 5 लाख की राशि की योजना स्वीकृत की गयी है। जिस पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निर्माण कार्य 4.40 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं शेष कार्य 31-3-2005 तक पूर्ण कर दिये जाएंगे। सिरियारी जिला पाली तहसील मारवाड़ में सोजत सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। उक्त स्थल जैन तेरहपंथी समुदाय के आचार्य श्री भक्षु समाधि स्थल के रूप में विख्यात हैं। इस स्थल पर भादवे की तेरस को प्रतिवर्ष वार्षिक मेला लगता है जिसमें हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। 26 दिसम्बर, 2004 को आचार्य भिक्षु द्वितीय शताब्दी

(श्रीमती उषा पूनिया)

महोत्सव के अवसर पर श्री एल.के. आडवाणी एवं श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री राजस्थान आदि समारोह में उपस्थित थे। उनके समक्ष उक्त को होली टूरिस्ट सेण्टर के रूप में घोषित करने की मांग की गयी थी। डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पत्र दिनांक 1-10-2004 को उक्त स्थल को होली टूरिस्ट सैक्टर घोषित करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया है। जिसके प्रत्युत्तर में देवस्थान विभाग द्वारा इसको विकसित करने के लिये संयुक्त रूप से कार्य योजना बनायी जा रही है। सालासर महादेव का जो स्थान है वह मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्राचीन महादेव मन्दिर है और यह धार्मिक आस्था का केन्द्र है। यहां शिवरात्रि के अवसर पर वार्षिक मेला लगता है। जिसमें 15-20 हजार यात्री आते हैं। यहां पहुंचने के लिये सड़क मरम्मत योग्य है और हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री सी.डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि मैंने धारेश्वर महादेव के मन्दिर को, जो बहुत पुराना मन्दिर है, उसको विकसित करने के लिये, 3 किलोमीटर की सड़क बाकी थी, उसका भी पत्र आपको भेजा था, उसकी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कोई जवाब भी नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मीरा की जन्म स्थली कुड़की और मगरमडी, दोनों बहुत ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। इन दोंनो स्थानों को विकसित करने का मंत्री महोदय विचार रखती हैं कि नहीं रखती हैं।

श्रीमती उषा पूनिया : आपने सड़क की जो बात की थी, हमारा यह है कि, इस योजना में है 2005-2006 तक कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा और उनको सड़क की जो भी जहां पर कमी है, उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने चन्द्रशेखरजी का जवाब दिया है, मेरे पत्र का तो कोई जिक्र ही इन्होंने नहीं किया, मैं पूर्व में लिख चुका हूं। (व्यवधान)

श्रीमती उषा पूनिया : और कुड़की में काफी कार्य हो चुका है और कार्य अभी भी प्रगति पर है, उसका भी काम पूरा हो जाएगा।

श्री सी.डी. देवल : आपने बताया ही नहीं, आप पूछिये कौन से तीर्थ के लिये मैंने पत्र लिखा। धारेश्वर महादेव, सोजत का पत्र लिखा था।

श्रीमती उषा पूनिया : यह वैसे तो मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। पर फिर भी मैं आपको आश्वासन दे रही हूं कि यह सारा कर देंगे।

श्री सी.डी. देवल : मंत्री महोदय, यह पाली जिले में पयर्टन स्थल है। पाली जिले की ही बात कर रहा हूं। मैं कोई चूरू और दूसरी जगह की नहीं कर रही हूं।

श्रीमती उषा पूनिया : हां, तो पाली जिले का मैं बता रही हूं कि सड़क के जो भी निर्माण हैं, वे अवश्य हो जाएंगे।

प्रश्न संख्या : 171

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट, एब्सेंट। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

छतरगढ़ (बीकानेर) के किसानों को आबंटित भूमि के विवादों का निस्तारण

172. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की तहसील छतरगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना के कारण विस्थापित हुए किसानों को

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कृषि भूमि आबंटित की गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन को, कब व कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किसानों मे सें अधिकांश को आबंटित भूमि विवादास्पद है ? यदि हां, तो किन-किन की व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त किसानों को आबंटित कृषि भूमि का भूदान बोर्ड द्वारा भी अन्य व्यक्तियों को आबंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विस्थापित किसान अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद आबंटित भूमि पर निर्विवाद काब्जि नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके समाधान हेतु क्या फैसला कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) जी हां, 1828 किसानों को भूमि आबंटित की गयी। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, नहीं। केवल 48 प्रकरणों में भूदान बोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक ही खसरे में आबंटन कर दिये जाने से सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुए हैं। सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) खण्ड-2 के अनुसार।

(4) समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या 3-ए(126) उप/71 पार्ट-1, दिनांक 6-3-2002 एवं एफ 2(12) राज-6/92/पार्ट, दिनांक 30-11-2004 के द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को आदेशित कर दिया गया है। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट "ग", "घ" पर संलग्न हैं।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस पत्र का हवाला

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

दिया जा रहा है, दिनांक 6-3-2002 और उसके आद दिनांक 30-11-2004, इस पत्र को, जिसको आंशिक रूप से लागू किया गया, क्या इसके साथ जिन विस्थापित काश्तकारों की भूमि का प्रकरण जो अभी भी विवादास्पद है, उनको अन्यत्र भूमि अगर वे स्थानांतरण चाहते हैं, पूर्व की भांति तो क्या उनको स्थानांतरण करने की सरकार इजाजत देने की मंशा रखती है ?

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, हमने जो परिपत्र दिया है, उन दोनों परिपत्रों को इसी उद्देश्य से दिया गया था कि जिन काश्तकारों को जमीन अलाट कर दी गयी और आपके छत्तरगढ़ के अन्दर जिन काश्तकारों को जमीन दी गयी है उसके अन्दर कुछ काश्तकारों को दोहरी, एक तो भूमि भूदान बोर्ड की जमीन थी और अध्यक्ष महोदय, कुछ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज वालों को जमीन देनी थी, ऐसे मामलों के अन्दर कुछ में दोहरे आबंटन हो गये थे। दोहरा आबंटन हो गया तो यह दोनों परिपत्र उन्हीं परिप्रेक्ष्य के अन्दर निकाले गये थे और आज भी केवल 48, जहां पर यह पहले 1828 मामले भूमि आबंटन के थे और अब केवल 48 मामले ऐसे रहे हैं, जिनके अन्दर कहीं पर कोई टीला था तो काश्तकार जमीन को नहीं लेना चाहते थे, कहीं भूदान और रेवेन्यू बोर्ड ने, उपनिवेशन विभाग ने अलाट कर दिया है तो ऐसे थोडे ही मामले हैं और उसको एक्सचेंज करने की हमारी कमेटी बनी हुई है। केवल जो पात्रता रखते हैं, सिंचित भूमि का असिंचित हो जाना, भूमि तारबन्दी, सड़क या वन विभाग में आ जाना और भूमि नहर में आ जाना और दोहरा आबंटन, इस केटेगरी के अन्दर यदि कोई काश्तकार आता है तो यह एक्सचेंज और विनिमय किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

कारूभाई मीणा, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री कारूभाई मीणा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्तुत करती हूं।

पूर्व सदस्य श्री कारूभाई मीणा का जन्म 8 अप्रैल, 1926 को चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील के हीगोरिया ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री कारूभाई मीणा छठी राजस्थान विधान सभा (1977 से 80) में प्रतापगढ़ सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे।

समाज सेवा में रूचि रखने वाले श्री मीणा अपने क्षेत्र के विकास तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री कारूभाई मीणा का दिनांक 28 फरवरी, 2005 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत श्री मीणा को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट का मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य को 24-3-2005 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 मार्च, 2005 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से सी.टी.ओ., आबूरोड़ द्वारा नियमों को ताक में रखकर 12,000/- रुपये की जबरन वसूली करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढ़ा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से सोजत में साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में तूफान व ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री जुबेर खान एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि के कारण किसानों की तैयार फसल के बरबाद होने के सम्बन्ध में।

यद्यपि, इन स्थगन प्रस्तावों पर मैं प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन मैं चाहूंगी कि ओलावृष्टि के कारण किसानों की तैयार फसल जो बरबाद हुई है, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार एक वक्तव्य दे।

(5) श्री बाबूलाल नागर एवं 1 अन्य सदस्य की ओर से पुलिस थाना जैतारण के गांव भेडकला में एक दलित युवक की दिन-दहाड़े हत्या की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा की जाए अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं लेकिन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करके उस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरज्ञान सिंह, सदस्य की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री लालचन्द, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों की राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नैनवा में भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी के लिए एनीकट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बृजकिशोर शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश इस साल डाण्डी मार्च की 75वीं सालगिरह मना रहा है और गुजरात के अन्दर उस 75वीं सालगिरह के मौके पर, उस पद यात्रा के मौके पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन की व्यवस्था को मानते नहीं हैं और हमेशा अव्यवस्था फैलाते हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : हर बार खड़े हो जाते हैं यह। यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कहां डाण्डी मार्च की बात हो गयी ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : आसन के आदेशों की पालना नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पर यात्रा के माध्यम से महात्मा गांधी के उन महान आदर्शों और विचारों को, जो पूरे देश को जोडने का प्रयास और कोशिश की जा रही है और विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग उस डाण्डी मार्च में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सदन में अव्यवस्था नहीं फैलायें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप सदन में व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और पूरे देश को सर्व-धर्म-सम्भाव के विचारों से जोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान) और महात्मा गांधी के उन महान् आदर्शों पर समाज को ले जाने की दिशा में पूरा देश योगदान करना चाहता है। ऐसे वक्त

(श्री संयम लोढ़ा)

में राजस्थान की यह सरकार उन महान् आदर्शों को चकनाचूर करना चाहती है....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कैसे बोल रहे हैं ? यह समय का दुरूपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सोजत की उस हिंसा के ऊपर आकृष्ट करना चाहता हूं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी व्यवस्था दी है।....(व्यवधान) मैं सरकार से सूचना प्राप्त कर रही हूं।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : होली का त्यौहार हमारी सांस्कृतिक एकता का त्यौहार है। एक-दूसरे के आपसी सम्बन्ध को मजबूत करने का त्यौहार है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। अव्यवस्था करने की अनुमति नहीं दूंगी मैं आपको।....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हिंसा से सोजत जल रहा है। वहां कर्फ्यू लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के गुण्डों ने वहां अराजकता मचा रखी है। निर्दोष लोगों के मकान जला दिये, निर्दोष लोगों की दुकानें जला दीं।...(व्यवधान) हमला कर दिया और इस प्रकार के....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, किस तरह से सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं।

श्री सी.डी. देवल : विधान सभा के अन्दर आपको जवाब देना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।....(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं के लिये कहा है, उसको एक्सपंज किया जाये।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अपशब्द जो बोले गये हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाये।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के असामाजिक कार्यकताओं द्वारा वहां पर दुकानें तोड़ी गयी। वहां पुलिस मूकदर्शक खड़ी देखती रही और पूरा का पूरा सोजत जलता रहा।...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, लोढ़ाजी से यह पूछना चाहता हूं कि होली का जुलूस जा रहा था और उस जुलूस पर किन लोगों ने पथराव किया और किन लोगों ने शुरूआत की दंगे की ?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सरासर असत्य है।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : दुकानें जलानी शुरू की...(व्यवधान) समुदाय के लोगों की दुकानें जल रही हैं और लूटकर हमला करते रहे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गुण्डागर्दी नहीं चलेगी।...(व्यवधान) यह आपके लोगों ने किया है।....(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि वहां पर यह काम करने वाले लोगों के खिलाफ और वह बीजेपी के कार्यकर्ता मस्जिद के ऊपर गुबारे फोड़े, मस्जिद के अन्दर जाकर रंग फेंका, काजी के साथ में मारपीट की... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी शामिल हैं सदस्यों में। (व्यवधान) मैं इस सदन के अन्दर अव्यवस्था फैलाने की किसी को भी अनुमति नहीं दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : तीन-तीन घंटे तक... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और यह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, आप सुन तो लो।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो थे ही नहीं। मैंने व्यवस्था दे दी उसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यहीं था। मैं कहां था ?

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था दे दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं। आज सोजत जल रहा है। वहां पर कानून नाम का कोई राज नहीं। दो-दो घंटे तक वहां दुकानें जल गयीं. मकान जल गये और मैं स्वंय जाकर आया हूं अध्यक्ष महोदय।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह कौन से नियम में बोल रहे हैं ? यह सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है। कौन से नियमों में बोल रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : आप क्या भाषण दे रहे हो ? आप तो आग लगवा रहे थे थाने में बैठकर। तीन घंटे तक सोजत को जलाने का काम आपने किया है।.....(व्यवधान) आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। आप थाने में बैठकर सारा कुछ करवा रहे थे। आपके हाथ गरीबों के खून से रंगे हुए हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन निर्दोष व्यक्तियों पर.....(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : सिरोही से आये हुए माननीय सदस्य, आपसे मैं पूछना चाहता हूं होली का जुलूस जा रहा था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं। आप स्थान ग्रहण कर लें। प्रतिपक्ष के

(श्री अध्यक्ष)

नेता खड़े होते हैं..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अनुमति दी है क्या ? आपने अनुमति दी है तो हम सब बैठते हैं, अगर आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। आपकी अनुमति से बोल रहे हैं ?...... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आपकी अनुमति से यहां अव्यवस्था फैला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद : प्रतिपक्ष के नेता को अनुमति लेना जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं यह। प्रतिपक्ष के नेता के काबिल नहीं है।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात क्या कर रहे हैं ?..... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : यह तो अशोक गहलोत थे आपके ..... (व्यवधान) यह तो राधेश्यामजी के साथी हैं।......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको बीजेपी से निकाल दिया...... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप तो सैण्डिल साफ करते हैं उनके नाम बताओ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : सैण्डिल साफ करने वालों में यह खड़े हैं न दो तो।

एक माननीय सदस्य : सर्वशक्तिमान आप हो।.....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : सैण्डिल साफ करने वालों में आप खड़े हो दो तो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आप जिस किस्म से बोलते हैं और जिस किस्म की बात करते हैं वह सब जनता जानती है। आपने मुख्य मंत्री के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

लिये क्या कहा था, आपकी सरकार के लिये क्या कहा था ? आप ऐसे ही अनर्गल कहते रहते हैं और मर्जी आये जो बोलते रहते हैं। अब आप उस बात को छिपाने के लिये यह बोल रहे हैं।......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने काफी बार आपका नाम पुकारा। आप पर कोई असर नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो प्रश्न उठाया सोजत का, उतनी चिन्ता सरकार को भी है और सरकार भी इस बारे में जब मैंने कह दिया कि जानकारी की जा रही है। मैंने कहा जानकारी प्राप्त की जा रही है तो होम मिनिस्टर बतलायेंगे।.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : लोग जल जायेंगे, मर जायेंगे, उसके बाद जानकारी कौन देगा ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : चिन्ता होती तो सरकार खुद यह कहती कि हमको वक्तव्य देना है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार को चिन्ता होती तो खुद कहना चाहिये था कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी। सरकार को तो जैसी चिन्ता है, पता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सरकार को अगर चिन्ता होती तो खुद वक्तव्य देती। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : 26 तारीख को 6 बजे मैंने इनको टेलीफोन पर कहा है और इन्होंने यह कहा कि मुझे सूचना मिल गयी है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, वैल में आने का विचार है प्रतिपक्ष का। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब यह वाक-आउट करना चाहते हैं। इनको बाहर जाने दो ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू चले।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : आसन से कोई व्यवस्था होती है तो सरकार उसके लिये हमेशा तैयार रहती है। आज भी तैयार है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह व्यवधान पैदा करते हैं।.....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अभी तो चुनाव बहुत आगे हैं। अभी कोई वोट नहीं पडने हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार को चिन्ता होती तो सुओमोटो कहना चाहिये था कि सरकार इसके ऊपर वक्तव्य देगी। धार्मिक उत्सव के दिन दंगा हो जाये, कहना चाहिये था।....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह वोट बटोरने का तरीका अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (हाथ के इशारे से मना किया)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में धरना एवं नारेबाजी)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : x x x

श्री हीरालाल : x x x

श्री रामलाल शर्मा : x x x

श्री बीरूसिंह राठौड़ : x x x

श्री नवरतन राजौरिया : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री हीरालाल : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : x x x

श्री हीरालाल (निवाई) : x x x

श्री नवरतन राजौरिया : x x x

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : वैल में खड़े हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, आप सुनना नहीं चाहते, गृह मंत्रीजी खड़े हैं कुछ कहने के लिए। गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे थे। आप सुनना नहीं चाहते।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप सुनना नहीं चाहते ? गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय गृह मंत्रीजी, आप खडे होएं। गृह मंत्रीजी खड़े हैं, आप कोई शोर नहीं मचायेंगे। आपको बैठना है तो बैठिये वरना सुनिये आप गृह मंत्रीजी को।

मिस्टर प्रकाश चौधरी। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। गृह मंत्रीजी खडे हैं कुछ कहने के लिए, गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके उठाये हुए मुद्दे पर कहना चाह रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मजबूर ना करें, माननीय सदस्यगण। गृह मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : x x x

श्री अध्यक्ष : क्या बोलेंगे जब मुद्दा उठा दिया आपने। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है और स्थगन प्रस्ताव होम मिनिस्टरी से सम्बन्धित है, आपने स्थगन प्रस्ताव दिया गृह मंत्रीजी खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने नाम पुकार लिया, आसन ने नाम पुकारा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री अध्यक्ष : आप अवहेलना कर रहे हैं। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर जाएं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको इस तरह से बोलने का कोई अधिकार नहीं है वैल में खड़े होकर के, माननीय सदस्यगण।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय सदस्यगण, वैल में खड़े होकर के आपको सीधा संवाद करने का अध्यक्ष से कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है, आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यहां....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। इनको शांत होने दीजिए पहले आप, यह शांत होंगे जब बोलना आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप व्यवधान नहीं डालें। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, आप व्यवधान नहीं डालें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाउ कर दिया था, मैं दो-तीन मिनट में बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आपको आसन से कुछ कहना है, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलें।

स्थगन प्रस्ताव जिन्होंने दिया है, स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जब मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं तो बीच में आप नयी क्या बात कहना चाहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो गये ही नहीं वहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप बीच में क्या कहना चाह रहे हैं ?

डा. सी.पी. जोशी : यह क्या तरीका है, आप सुनना नहीं चाहते, बन्द कर दीजिए हाउस को। (व्यवधान) वह बात कहना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सी.डी. देवल : इनको बोलने की अनुमति दी है।

डा. सी.पी. जोशी : सी.एल.पी. लीडर वहां जाकर आये हैं। (व्यवधान) मौके पर जाकर आये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मुझे तो बोलने दो, सरकार के मंत्री थाने में जाकर कर क्या कर रहे थे, यह तो बताने दो राजस्थान की जनता को।

डा. सी.पी. जोशी : मंत्रीजी तो बोल लेंगे... (व्यवधान) .... दो मिनट बोलने दो इनको, क्या तकलीफ है। मंत्रीजी की बात हम सुन रहे हैं, दो मिनट मे अपनी बात कह देंगे।....(व्यवधान) ....

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने इनको अवसर दिया, उन्होंने बोलने नहीं दिया, अब आप इनकी बात तो सुनो प्रतिपक्ष के नेता महोदय की। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इनका अधिकार है, बोलने से क्यों रोक रहे हैं आप.... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इनकी बात सुनने के बाद उनका वक्तव्य सुन लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, आपने गृह मंत्रीजी का नाम पुकारा है, पहले गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट होगा फिर यह सवाल करें जो भी सवाल करने हैं इनको।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शांति का वातावरण कायम हो रहा है, वहां पर दोनों समुदायों के लोग आपस में बैठ कर विचार विमर्श कर रहे हैं.... (व्यवधान)..... आज भी 11 बजे तक कर्फ्यू में ढ़ील दी गयी। शांति का वातावरण कायम हो रहा है। ऐसे में प्रतिपक्ष के लोग वहां आग भड़काना चाहते हैं।....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, कर्फ्यू से इनका कोई लेना-देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष अल्पसंख्यकों के वोट बटोरने के लिए महज यह नाटक कर रहा है, कोई सोजत सिटी से लेना-देना नहीं है।

श्री मदन राठौड़ : और कल यह माननीय प्रतिपक्ष के नेता वहां जाकर भड़का कर आये हैं।....(व्यवधान) यह किस मुंह से बोल रहे हैं, सौ सौ चूहे खाकर के बिल्ली हज करने चली है।....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अगर वाकई में गम्भीरता होती तो जब गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने खड़े हुए तो आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर गम्भीरता होती तो गृह मंत्रीजी वहां जाकर आ चुके होते।

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए।

श्री जुबेर खान : क्या हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है, आप सुनना भी नहीं चाहते।.... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं खुद वहां गया था। सवा पांच बजे घटना हुई ठीक साढ़े पांच बजे मैं पहुंचा हूं। यह प्रतिपक्ष के नेता आग लगाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जुबेर खान : आप तो बहुत बुझाना चाहते हो।... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : आग तो मुख्य मंत्री लगा रही हैं... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वहां शांति का वातावरण कायम हो रहा है, दोनों समुदाय साथ में बैठ कर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में यह आग लगाना चाहते हैं फिर से।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? यह आसन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है और इस आसन को गाइड करने का अधिकार ना प्रतिपक्ष को है और ना सत्ता पक्ष को है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हम जुल्म करने वाली सरकार की एक बात नहीं सुनेंगे, पहले प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे उसके बाद में दूसरी बात सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि जब मैंने यह व्यवस्था दे दी कि जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त करने का मतलब ही यह था।

श्री संयम लोढ़ा : राष्ट्रपति शासन लगाओ यहां पर।

श्री अध्यक्ष : बीच में बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं आप ? कोई बीच में बैठे-बैठे नहीं बोलेगा।

जब आसन ने यह व्यवस्था दे दी कि जानकारी प्राप्त की जा रही है उसका मतलब ही यह है कि सरकार ने काग्नीजेंस ले लिया और सरकार उचित समय पर इसके बारे में वक्तव्य देगी। इसका मतलब ही यह था, फिर मेरे बात समझ में नहीं आयी....(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : आज ही वक्तव्य दो, आज ही कोई कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया नियमों की जानकारी करें और नियमों के मुताबिक ही आचरण करें तो उचित रहेगा।

तो उसका मतलब ही यह था और जब गृह मंत्रीजी खड़े हो गये, वह जब कुछ कहना चाह रहे हैं तब आप लोग बीच में शोर मचा कर वैल में आ गये, नारे लगा रहे हैं, यह कहां, यह कौन से नियमों में प्रावधान है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे तो बोलने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंत्री वहां थाने पर बैठकर अल्पसंख्यकों की दुकानें जलवा रहा था

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री कनकमल कटारा : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री नाथूराम अहारी : x x x

श्री अध्यक्ष : थोड़ा नियमों के मुताबिक सदन चलेगा तो ठीक रहेगा स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जब मंत्रीजी खड़े होकर जवाब दे रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने का सवाल कैसे खड़ा हो गया।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : मैं 295 पढ़ने के लिए श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास का नाम ले रही हूं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र बनती जा रही है। इसमें शहर परकोटे के भीतर का क्षेत्र विशेष आकर्षण रहता है। कई विदेशी पर्यटक तो इस क्षेत्र में ही ठहरना पसन्द करते हैं। पर्यटन से होने वाली आय राज्य के राजस्व के लिए अच्छा साधन बनती जा रही है। राज्य सरकार इस आय को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयासरत भी है।

जोधपुर शहर में टूटी फूटी सड़कें पर्यटन को बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा हैं। वर्तमान सरकार ने शहर की मुख्य सड़क जालोरी गेट से फतेहपोल को आर.सी.सी. से बनवाकर इस बारे में उल्लेखनीय कार्य किया है। परन्तु शहर की दूसरी प्रमुख सड़कें अभी भी टूटी फूटी पड़ी है। जब तक इनका सुधार नहीं होता, पर्यटकों को परेशानी होती रहेगी और पर्यटन व्यवसाय भी नहीं बढ़ पाएगा।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि शहर की कुछ मुख्य सड़कें यथा आडा चौटा से घंटाघर, सिवांची गेट से चांदपोल, सोजती गेट से उम्मेद चौक वाया कन्दोई बाजार, कबूतरों का चौक से सोजती गेट वाया घोडों का चौक को भी आर.सी.सी. की बनवाई जाय। यह कार्य ए.डी.बी.पी.डब्ल्यू.डी. या यू.आई.टी. के माध्यम से करवाया जा सकता है। क्योंकि इस कार्य को पूरा करने में समय लगता है और इस बार का पर्यटन सीजन पूरा हो चुका है। अतः मेरा अनुरोध है कि यह कार्य अभी तुरन्त प्रारम्भ करवाया जाए जिससे कि आगामी पर्यटन सीजन के पहले यह कार्य पूरा किया जा सके।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने हेतु मेरे इस सुझाव पर तुरन्त ही अमल करेगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री हरज्ञान सिंह, 295 पढ़ें अपना (अनुपस्थित) श्री बृजकिशोर शर्मा, श्री लालचन्द, श्री रामनारायण मीणा। आज जो पर्चियां प्राप्त हुई हैं वह मोहम्मद माहिर आजाद की ओर से पूर्वी राजस्थान की विकास में उपेक्षा विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजस्व से सम्बन्धित किसानों की.....

श्री अध्यक्ष : आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद द्वारा जो पर्ची के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है वह पूर्वी राजस्थान की विकास में उपेक्षा पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हुई है। यदि मोहम्मद माहिर आजाद बोलना चाहें तो उन्हें तीन मिनट का समय दिया जाता है।

(माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री भरत सिंह द्वारा जो पर्ची दी गयी है, दीगोद विधान सभा की सांगोद व दीगोद तहसील क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु अतिरिक्त केन्द्र खोलने के क्रम में। यदि श्री भरत सिंह बोलना चाहें तो तीन मिनट का समय है, बोल सकते हैं।

(माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(श्री अध्यक्ष)

श्री संयम लोढ़ा ने पर्ची दी है पाली जिले के मोहन मेघवाल हत्याकांड के सम्बन्ध में। यदि संयम लोढ़ा बोलना चाहें तो तीन मिनट का समय मैं देने को तैयार हूं।

(माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री मांगीलाल गरासिया ने गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में शीतलहर से फसल नष्ट होने, पानी की भयंकर समस्या एवं अकाल राहत में अपर्याप्त श्रमिकों के कारण जो समस्या है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि मांगीलाल जी गरासिया बोलना चाहें तो तीन मिनट का समय दिया जाएगा।

(माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री यूनुस खां, सदन की मेज पर रखें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2003-2004 का 40वां प्रतिवेदन

श्री युनूस खान (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा पूनिया।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. का वर्ष 2001-2002 का 23वां प्रतिवेदन

श्रीमती उषा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान

(श्रीमती उषा पूनिया)

पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 क्र.सं. 18 से 26

श्री शांतिलाल चपलोत (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित समिति का 18वां प्रतिवेदन

2. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1992-93 से सम्बन्धित समिति का 19वां प्रतिवेदन

3. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95 से सम्बन्धित समिति का 20वां प्रतिवेदन

4. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000 से सम्बन्धित समिति का 21वां प्रतिवेदन

5. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित समिति का 22वां प्रतिवेदन

(श्री शांतिलाल चपलोत)

6. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1992-93 से सम्बन्धित समिति का 23वां प्रतिवेदन

7. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 1994-95 से सम्बन्धित समिति का 24वां प्रतिवेदन

8. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-94 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के 61वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् समिति का 25वां प्रतिवेदन

9. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के 59वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् समिति का 26वां प्रतिवेदन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

याचिकाओं का उपस्थापन

किशनपुरा एवं गुढ़ा मीणा (बस्सी क्षेत्र) को पक्की सड़क से जोड़ने बाबत

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम किशनपुरा एवं गुढ़ा मीणा को पक्की सड़क से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

गोरिया से पदराड़ा (वाया-बीस्या) सड़क का डामरीकरण बाबत

1. विधान सभा क्षेत्र बाली की गोरिया से पदराड़ा (वाया-बीस्या) ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाने बाबत्।

जवाई बांध कैचमेंट एरिया में एनीकट बेरीकेट्स/सब फेस बेरियर निर्माण करवाने बाबत

2. बाली विधान सभा क्षेत्र के जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु दो मीटर तक के एनीकट बेरीकेट्स/सब फेस बेरियर निर्माण करवाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह +++ शब्द निकाल देना। यह कहा है +++ सरकार है। इन्होंने कहा +++ सरकार का नाश हो...... (व्यवधान) श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद सृजन एवं टेलीकार्डियोलॉजी परियोजना की स्वीकृति बाबत

1. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत करने बाबत्।

2. राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में टेलीकार्डियोलॉजी परियोजना की स्वीकृति बाबत्।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री कान्तिप्रसाद मीणा।

श्री कान्तिप्रसाद मीणा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

हाईवे संख्या-55 (थानागाजी) किशोरी बाला रोड़ का पुनर्निर्माण बाबत

1. थानागाजी (अलवर) में स्टेट हाईवे संख्या-55 किशोरी बाला रोड़ का पुनर्निर्माण करवाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

नारायणपुर एवं प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत (थानागाजी) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

2. थानागाजी (अलवर) विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारायणपुर एवं (3) प्रतापगढ़ में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य

(श्री कान्तिप्रसाद मीणा)

केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा किशोरी में स्थित एडपोस्ट के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत्।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

गच्छीपुरा ग्राम (परबतसर) को उप तहसील घोषित करने बाबत

1. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम गच्छीपुरा को उप तहसील घोषित करवाने बाबत।

परबतसर क्षेत्र में नये राजस्व ग्राम की घोषणा बाबत

2. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नये राजस्व ग्राम घोषित करवाने बाबत।

परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजन बाबत

3. परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित करवाने बाबत।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि -

जन लेखा समिति 2005-2006

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2005-2006 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

प्राक्कलन समिति "क" 2005-2006

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क", 2005-2006 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

प्राक्कलन समिति "ख" 2005-2006

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख", 2005-2006 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अनुमति तो लेने दो मुझे। मैं इसकी अनुमति लूं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि-

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231(1), सहपठित नियम 232(1) 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क", प्राक्कलन समिति "ख" व राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्व-विदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231(1) सहपठित नियम 232(1), 233-खा(क) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के सद्देश्य की यथा सम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। पुरःस्थापित करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूलाल सैनी।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

(विस्तृत प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : होली चल रही है, बाजार में चले जाओ, कुछ मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप ढाई-ढाई लाख के प्रतिनिधि हैं, क्या हू हा, हू हा कर रहे हैं। ढाई लाख के प्रतिनिधि हो और हा हू, हा हू कर रहे हैं। सदन में खड़े हो। क्या जनता सोचती होगी।

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2004-2005 पर मतदान

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1-राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,12,000/- (पैंतीस लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,37,56,000/- (चौबीस करोड़ सैंतीस लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,27,000/- (पचपन लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

पैसे नहीं मिलेंगे, हो-हल्ला करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। वेतन नहीं मिलेगा। यह मांग अगर स्वीकार नहीं हुई। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, यह मांगें स्वीकार नहीं हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,59,91,000/- (तीन करोड़ उनसठ लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(व्यवधान)

दादागिरी तो मेरी चल रही है, इनकी नहीं चल रही है। दादागिरी तो मेरी चल रही है। फालतू की बात करते हो चिल्ला-चिल्ला कर, (मार्शल), अब मैं आपको नाम से पुकारूंगी। मैं आपको नाम से पुकारूंगी। माननीय सदस्यगण मैं नामों से पुकारूंगी। कृपया आप चले जायें, सदन छोड़कर चले जायें। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप सदन छोड़कर चले जायें। आप सदन से बाहर चले जायें। आप सदन से बाहर जायें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,45,62,000/- (दो करोड़ पैंतालीस लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मुख्य मंत्री क्या कर रही हैं, मैं कर रही हूं, मेरा लगाओ ना।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप आसन पर बैठी हैं, यह कह रही हैं कि दादागिरी मेरी चलेगी, तानाशाही मेरी चलेगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने तानाशाही नहीं कहा है। मैंने कहा है कि उनके ऊपर क्यों लगा रहे हो, यही तो मैं कह रही हूं.... (व्यवधान) मैंने कोई दादागिरी नहीं कहा है। अब आप शांत रहें, मुझे मजबूर नहीं करें।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10-विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,00,000/- (एक करोड़ तिहत्तर लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11-विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,15,000/- (छियानवे लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,63,50,000/- (बारह करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,31,46,000/- (छह करोड़ इक्तीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,58,63,96,000/- (दो अरब अठावन करोड़ तिरसठ लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,92,49,000/- (नौ करोड़ बानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,35,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,57,000/- (चौरासी लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,69,75,000/- (अड़तालीस करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,16,26,000/- (सत्रह करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खड़े होकर नारेबाजी जारी)

(श्री अध्यक्ष : जारी)

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल

(श्री अध्यक्ष)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,06,72,000/- (एक अरब ग्यारह करोड़ छह लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,31,44,000/- (अठारह करोड़ इकतीस लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,61,000/- (चौबीस लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24, शिक्षा, कला

(श्री अध्यक्ष)

एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,000/- (बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,15,61,000/- (ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27, पेयजल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,79,93,000/- (सोलह करोड़ उन्नासी लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,67,37,000/- (पच्चीस करोड़ सड़सठ लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,35,22,000/- (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,15,01,000/- (चौबीस करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,02,000/- (चालीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,12,17,000/- (सात करोड़ बारह लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

यह आपके माइक तब चालू होंगे जब आप वहां बैठोगे, यहां चालू नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।

मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,09,46,000/- (एक अरब अठावन करोड़ नौ लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

यहां खड़े होने वाले की बात आसन नहीं सुनता। आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए तब सुनूंगी आपकी बात, नहीं सुनती, मैं नहीं सुनती।

(व्यवधान)

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,27,34,000/- (दस करोड़ सत्ताइस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,93,23,000/- (छिहत्तर करोड़ तिरानवे लाख तेइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खड़े होकर नारेबाजी जारी)

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,00,000/- (तीन करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,47,000/- (छह लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,33,74,06,000/- (दो अरब तैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खड़े होकर नारेबाजी जारी)

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,86,89,000/- (छह करोड़ छियासी लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,63,000/- (इक्यावन लाख तिरसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,14,000/- (छह लाख चौदह हज़ार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,65,63,000/- (बीस करोड़ पैंसठ लाख तिरसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खड़े होकर नारेबाजी जारी)

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,75,97,000/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48, विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,94,01,000/- (छत्तीस करोड़ चौरानवे लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,49,88,000/- (दस करोड़ उनचास लाख अठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,41,52,000/- (सत्रह करोड़ इकतालीस लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

सप्लीमेंट्री डिमाण्ड पास हो गई। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

घोषणा

आय-व्ययक पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 पारित किया गया। अब राज्य के आय-व्यय अनुमान वर्ष 2005-2006 पर सामान्य वाद-विवाद प्रारंभ होगा। सामान्य वाद-विवाद प्रारंभ हो उससे पूर्व मुझे आपको सूचित करना है कि सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित हैं। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करती हूं :-

भारतीय जनता पार्टी	9 घंटे 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	4 घंटे 24 मिनट
नेशनल लोकदल	19 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	10 मिनट

(श्री अध्यक्ष)

बहुजन समाज पार्टी	10 मिनट
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	5 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	5 मिनट
राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	5 मिनट
निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट ।

इस प्रकार कुल 16 घंटे। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत। बजट पर बोलेंगे। सामान्य वाद-विवाद प्रारम्भ करें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने जो आज वित्त मंत्री भी हैं आगामी वर्ष के लिए ऐसा शानदार बजट पेश किया है जैसा पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की ह्रदय से बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। राजस्थान की 5 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार बजट पेश किया। क्या गरीब, क्या नि:शक्त, क्या व्यापारी, क्या विद्यार्थी, क्या कृषक सबके हितों को ध्यान में रखकर एक महान क्रांतिकारी बजट इस वर्ष का पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष आपदा प्रबंधन हेतु 415 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया है। जबकि सारे के सारे चुनाव होने से, पंचायत चुनावों से, म्युनिसिपैलिटी के चुनावों से, लोक सभा के चुनावों की वजह से 156 दिन तक इस राजस्थान में आचार-संहिताएं

(समय: 13.16 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लागू रहीं। उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार का जोरदार बजट पेश किया है। यही नहीं, इन दिनों में आचार संहिता रहते हुए भी सारे के सारे काम स्वीकृत किये गये हैं। जो बजट कांग्रेस के समय में, 2003-2004 में मात्र 4300 करोड़ का था हमने इस वर्ष का बजट 2005-2006 का 8600 करोड़ से ज्यादा का पेश किया है। मेरे कांग्रेस भाइयों को थोड़ी सी लज्जा होनी चाहिए कि वो तो नहीं कर पाये (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अध्यक्ष ने यह कहा कि मैं सदन को तानाशाहीपूर्ण तरीके से चलाऊंगी। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया है और अविश्वास प्रस्ताव पर हम चाहते हैं आप सदन की कार्यवाही को रोककर आज ही चर्चा कराएं और उसका निपटारा करें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय स्वयं आसन पर बैठकर यह कहें कि मैं सदन को तानाशाही से चलाऊंगी, तानाशाही से हम इस सदन को नहीं चलने देंगे। यह लोकतंत्र से चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलेगा। यह सदन....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आज सोजत में जिस तरीके से लोगों को बेघरबार किया गया है, करीब 28 दुकानें जली हैं और लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, 21 मकान जल गए, 4 धार्मिक स्थानों के ऊपर (व्यवधान) सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां रहकर जिस प्रकार से थाने में रहकर लोगों को जलाया है, लोगों के घरों को जलाया है यह शोभाजनक नहीं है। इसकी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच होनी चाहिए और जो लोग वहां पर घायल हुए हैं और जो दुकान से बेघरबार हुए हैं ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हो, राजस्थान को साम्प्रदायिक दंगों में बदलना चाहते हो। आप वहां पर वोटों की राजनीति के लिए सदन का उपयोग करना चाहते हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सोजत के दंगों की न्यायिक जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से करानी चाहिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस बजट की उनके बजट से तुलना की जाए तो अपने आप में एक मिसाल कायम हुई है। (व्यवधान) मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके अलावा हमने अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके ऊपर आप तत्काल बहस कराकर इसको निपटाने की कोशिश करें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखकर आया हूं, आज भी 5 आदमी सोजत में हास्पिटल में भर्ती हैं और दो आदमी जोधपुर में भर्ती हैं। 10 आदमियों को डिस्चार्ज किया है और कुल मिलाकर 28 दुकानें जली हैं, 21 मकान जले हैं और 4 धार्मिक स्थानों को वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-2004 के बजट में (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा लगता था सोजत में कानून का राज नहीं था, जंगल का राज था और इस जंगलराज के खिलाफ में कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय नेता प्रतिपक्ष गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप विद्वेष फैलाना चाहते हैं। यह नहीं चाहते हैं, राजस्थान में शांति. अमन और चैन रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

एक माननीय सदस्य : पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान में शांति को समाप्त करने की इच्छा है क्या ? (व्यवधान) आपकी इच्छा क्या है ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : खान मंत्री ने थाने में बैठकर जिस प्रकार से दंगाइयों का सपोर्ट किया उसकी हम निंदा करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 27 दिन तक सोजत बन्द रहा था, आपके राज में 27 दिन तक सोजत बन्द रहा था, आप किसलिए यह कहना चाहते हैं ? 27 दिन तक सोजत बन्द रखने वालों आपको बोलने का हक किसने दिया ? (व्यवधान) 27 दिन तक सोजत बन्द रहा, आप सरकार में थे कि नहीं थे, 27 दिन तक सोजत जला था। (व्यवधान) 1986 में 27 दिन तक सोजत जला था तब कांग्रेस कहां चली गई थी ? (व्यवधान) तब नहीं बोल सकते थे ? धार्मिक जुलूस पर हमला करें, धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी करें (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इतना बड़ा हादसा हो गया और गृह मंत्रीजी अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो उसके बाद उन साथियों को बचाने के लिए आप उनकी पैरवी करना चाहते हैं (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्री को और गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, आपको तत्काल वहां जाना चहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप उन गुंडों को बचाना चाहते हो ? (व्यवधान) जिन्होंने धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी की उन गुंडों को बचाना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहते हो ? (व्यवधान) ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान) हम कोशिश कर रहे हैं शांति और समझ से। (व्यवधान) यहां मजाक समझ रखा है। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडों को बचाने का धंधा करते हो यहां पर, यहां सदन का उपयोग करते हो, अपराधियों को बचाने की वकालत करना चाहते हो, पत्थरबाजी किसने की थी ? (व्यवधान) उन गुंडों को बचाने की पैरवी करना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरे राजस्थान के अन्दर बलात्कार हो रहे हैं और आप यहां पर भाषण ठोक रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बचाना चाहते हो उनको और उनकी वकालत करते हो जो धार्मिक जुलूस पर पत्थर फैंकते हैं। उनकी वकालत करना चाहते हो ?

श्री संयम लोढ़ा : पूरे राजस्थान में खून खराबा हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और भाषण ठोक रहे हैं यहां पर, आपमें अगर जरा भी नैतिकता है तो इस्तीफा दो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुनना नहीं चाहते हो। जो धार्मिक जुलूस के ऊपर पत्थर फैंके उनकी वकालत करना चाहते हो यहां पर।

श्री संयम लोढ़ा : आप इस्तीफा दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं होगा। (व्यवधान) अगर आप नहीं सुधरोगे... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सारे जुर्म, हत्या, लूट, डकैती आदि हो रहे हैं और आप यहां पर भाषण ठोक रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि आप यह भड़काने की कार्यवाही मत करो और दोषियों को बचाने की पैरवी भी यहां सदन में मत करो, मत करो, मत करो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप तो इस्तीफा दो, आपमें अगर जरा भी नैतिकता है, तो एक मिनट में इस्तीफा रखिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कानून तोड़ेंगे न तो दंड मिलेगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का धंधा किसी का नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री संयम लोढ़ा : आप इस्तीफा दो। एक मिनट भी आपको पद पर नहीं रहना चाहिए आपमें अगर जरा भी नैतिकता है तो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नो, नो, नो आप सब इकट्ठा हो जाओ तो मैं अकेला निपट लूं, आ जाओ सब खड़े हो जाओ माइक पर। आपके सब के खड़े होने के बाद भी मेरे माइक को बन्द नहीं कर सकते, बकवास करते हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : यहां ऊंचे होकर बोलो मत, इस्तीफा दो, इस्तीफा। पूरे राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया और ऊंचे होकर भाषण दे रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान की अमन, चैन और शांति को लम्पा लगाना चाहते हो ? (व्यवधान) शांति आपको पसंद नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : आप इस्तीफा दीजिए, आपको एक मिनट पद पर रहने का अधिकार नहीं है, पूरे राजस्थान को आपने बरबाद कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप सारे खड़े हो जाओ तो एक घंटे तक मैं बोल सकता हूं, क्या बात करना चाहते हो ? (व्यवधान) ऐसी गुंडागर्दी को बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी इस तरह से सरकार नहीं चलेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इद तरह की गुंडागर्दी बरदाश्त नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा : आपके जुल्म नहीं चलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पत्थर फैंकने वालों को बचाने के लिए आए हो क्या यहां पर ?

श्री संयम लोढ़ा : बातें कर रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : धार्मिक जुलूस पर पत्थर फैंकने वालों को बचाने की वकालत करने आये हो, क्या करने आए हो ?

श्री संयम लोढ़ा : आपमें अगर जरा भी नैतिकता है, तो इस्तीफा दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये वो ही अपराधी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें वो ही अपराधी हैं जिन्होंने 1986 में दंगा किया। 1986 में दंगा जिसने किया वो अपराधी हैं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.25 बजे मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

कार्मिकों के सेवा विवाद निस्तारण हेतु गठित समझौता समिति

171. श्री जीतमल खांट (बांगीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं ? इनमें से कितने कर्मचारी एवं अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा न्यायालयों में मुकदमों को सीमित करने और विवादों को जल्दी निपटाने के लिये राज्य कर्मचारियों के प्रकरण की समीक्षा के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में समझौता समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में उक्त समिति की अब तक कितनी बैठकें आयोजित की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग की समझौता समिति ने समीक्षा कर कितने प्रकरणों को समझौते के तहत न्यायालय से निस्तारित कराने का निर्णय लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में 226 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सेवा सम्बन्धित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

उक्त लम्बित प्रकरणों में से 17 कर्मचारी एवं अधिकारी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं एवं 6 कर्मचारी एवं अधिकारी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं। (प्रकरणों की सूची संलग्न है)

(2) जी नहीं।

(3) चूंकि शासन सचिव की अध्यक्षता में कोई समझौता समिति गठित ही नहीं है। अतः उनके माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण का सवाल नहीं उठता है।

परिशिष्ट-ब

प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	वाद संख्या	शीर्षक	अधिकरी/कर्मचारी का वर्ग
1.	एकलपीठ याचिका संख्या 4215/92	श्री रामराय शर्मा, च.श्रे.क.	सामान्य
2.	एकलपीठ याचिका संख्या 4825/92	श्री एम.एल. गर्ग, सहायक अभियन्ता	सामान्य
3.	एकलपीठ याचिका संख्या 7967/92	श्री राजेन्द्र कुमार ओला, देसर	सामान्य
4.	एकलपीठ याचिका संख्या 5578/92	श्री गोपाल लाल गोयल, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
5.	एकलपीठ याचिका संख्या 7631/92	श्री गुरमित सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
6.	एकलपीठ याचिका संख्या 7395/92	श्री ओमप्रकाश बुनकर, कनिष्ठ अभियन्ता	अनुसूचित जाति
7.	एकलपीठ याचिका संख्या 5127/92	श्री सीता राम शर्मा, सहायक अभियन्ता	सामान्य
8.	एकलपीठ याचिका संख्या 4825/92	श्री एम.एल.गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
9.	एकलपीठ याचिका संख्या 1869/92	श्री तुलसीराम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक	सामान्य

1	2	3	4
10.	एकलपीठ याचिका संख्या 2240/92	श्री हाजी मोहम्मद रामजान, ड्राफ्टमैन	सामान्य
11.	डी बी स्पे. अपील संख्या 509/92	आर के मेहता	सामान्य
12.	एकलपीठ याचिका संख्या 2265/93	पी.डब्ल्यू.डी. इंजीनियर्स ऐसोशियेशन	सामान्य
13	एकलपीठ याचिका संख्या 237/93	श्री धर्मप्रकाश शर्मा, सहायक अभियन्ता	सामान्य
14.	एकलपीठ याचिका संख्या 1862/93	श्री रघुवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता	सामान्य
15.	एकलपीठ याचिका संख्या 3633/93	श्री जगदीश राय, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
16.	एकलपीठ याचिका संख्या 6769/93	श्री हरिकिशन साकेत, अधिशासी अभियन्ता	अनुसूचित जाति
17.	एकलपीठ याचिका संख्या 3997/93	श्री रामचन्द्र रैगर, देसर	अनुसूचित जाति
18.	एकलपीठ याचिका संख्या 4235/93	श्री गुलाब नवी कादरी, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
19.	एकलपीठ याचिका संख्या 807/93	श्री नारायण दान चारण, च.श्रे.क.	सामान्य
20.	एकलपीठ याचिका संख्या 999/93	श्री सुन्दर लाल यादव, वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
21.	एकलपीठ याचिका संख्या 6083/93	श्री सुनील दत्त माथुर, देसर	सामान्य
22.	खण्पीठ याचिका संख्या 373/93	श्री राकेश कुमार दीक्षित	सामान्य
23.	एकलपीठ याचिका संख्या 5932/93	श्री जगदीश प्रकाश गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
24.	एकलपीठ याचिका संख्या 5142/93	श्री हरिकृष्ण शकी, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
25.	एकलपीठ याचिका संख्या 7603/93	श्री राजनीश शर्मा, स्टेनो	सामान्य
26.	एकलपीठ याचिका संख्या 7346/93	श्री रामलाल मरवार, ओवरसियर	सामान्य
27.	एकलपीठ याचिका संख्या 1882/93	श्री गणपत राय, भू वैज्ञानिक	सामान्य

1	2	3	4
28.	एकलपीठ याचिका संख्या 1490/93	श्री महेन्द्र कुमार जोशी, लैब ओपरेटर	सामान्य
29.	एकलपीठ याचिका संख्या 1793/94	श्री के.सी. बोहरा, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
30.	एकलपीठ याचिका संख्या 2554/94	श्री बच्छराज जांगिड़, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
31.	खण्डपीठ याचिका संख्या 4284/94	श्री मोहम्मद इलियास, सहायक अभियन्ता	सामान्य
32.	एकलपीठ याचिका संख्या 2322/94	श्री रमाकान्त चौरसिया, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
33.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 4845/94	श्री अखिलेश गुप्ता, सहायक अभियन्ता	सामान्य
34.	एकलपीठ याचिका संख्या 5761/94	श्री ओ.पी. जौहरी, सहायक अभियन्ता	सामान्य
35.	एकलपीठ याचिका संख्या 3953/94 (डी.बी.फाइल)	श्री प्रमोद कुमार, स्टेनोग्राफर	सामान्य
36.	एकलपीठ याचिका संख्या 3954/94	श्री एस.के. पारीख, स्टेनोग्राफर	सामान्य

1	2	3	4
37.	एकलपीठ याचिका संख्या 3952/94	श्री दिनेश चन्द शर्मा, स्टेनोग्राफर	सामान्य
38.	एकलपीठ याचिका संख्या 3955/94	श्री नरोत्तम लाल, स्टेनो	सामान्य
39.	एकलपीठ याचिका संख्या 683/94	श्री अर्जुन लाल रैगर, देसर	अनुसूचित जाति
40.	एकलपीठ याचिका संख्या 5731/94	श्री राकेश कुमार माथुर,	सामान्य
41.	एकलपीठ याचिका संख्या 3000/94	श्री के.एन. शर्मा, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
42.	एकलपीठ याचिका संख्या 1160/94	श्री के.सी. बोहरा,	सामान्य
43.	एकलपीठ याचिका संख्या 11929/94	श्री जयपाल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
44.	खण्डपीठ याचिका संख्या 370/95	श्री कमल चन्द जैन, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
45.	खण्डपीठ याचिका संख्या 794/95	श्री हरदीप सिंह गांधी	सामान्य

1	2	3	4
46.	एकलपीठ याचिका संख्या 2165/95	श्री ओम प्रकाश पोखरीवाल	सामान्य
47.	एकलपीठ याचिका संख्या 3921/95	श्री लेखराज वर्मा, कनिष्ठ लिपिक	अनुसूचित जाति
48.	एकलपीठ याचिका संख्या 4072/95	श्री विजय सिंह राजपुरोहित	सामान्य
49.	एकलपीठ याचिका संख्या 3868/95	श्री महादेव प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक	अनुसूचित जाति
50.	एकलपीठ याचिका संख्या 1329/95	श्री गुलाबचन्द दुगड, सहायक अभियन्ता	सामान्य
51.	एकलपीठ याचिका संख्या 42/95	स्टेट बनाम चमेली देवी	सामान्य
52.	एकलपीठ याचिका संख्या 1573/95	श्री जगमोहन कुमार, सहायक अभियन्ता	सामान्य
53.	एकलपीठ याचिका संख्या 2252/95	श्री सत्यशरण भार्गव, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
54.	एकलपीठ याचिका संख्या 3088/95	श्री मनमोहन चन्द्र, सहायक अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
55.	एकलपीठ याचिका संख्या 2392/96	श्री अजय कुमार, सहायक अभियन्ता (1995)	सामान्य
56.	एकलपीठ याचिका संख्या 2781/96	श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता	सामान्य
57.	एकलपीठ याचिका संख्या 3590/96	श्री नरेन्द्र कुमार आर्य, ढेसर	अनुसूचित जाति
58.	एकलपीठ याचिका संख्या 2948/96	श्री कैलाश चन्द शर्मा,	सामान्य
59.	एकलपीठ याचिका संख्या 3167/96	पी.डब्ल्यू.डी. अमीन निरीक्षक संघ	सामान्य
60.	एकलपीठ याचिका संख्या 2944/96	श्री आर.एस. रावत, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
61.	एकलपीठ याचिका संख्या 3273/96	श्री तेजा राम, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
62.	एकलपीठ याचिका संख्या 4657/96	ड्राफ्टसमैन काउन्सिल	सामान्य
63.	एकलपीठ याचिका संख्या 1962/96	श्री प्रहलाद व्यास, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
64.	खण्डपीठ याचिका संख्या 775/96	स्टेट बनाम श्री ब्रिज जीवन नाथ	सामान्य
65.	एकलपीठ याचिका संख्या 1278/96	श्री एल.एन. सिंघल, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
66.	एकलपीठ याचिका संख्या 6280/96	श्री के.के. त्यागी, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
67.	एकलपीठ याचिका संख्या 6272/96	श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता	सामान्य
68.	एकलपीठ याचिका संख्या 2843/96	श्री आर.सी. भण्डारी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	सामान्य
69.	एकलपीठ याचिका संख्या 2592/96	श्री उमेश चन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
70.	एकलपीठ याचिका संख्या 5947/96	श्री एम.एस. माथुर, अधिक्षण अभियन्ता	सामान्य
71.	एकलपीठ याचिका संख्या 1708/96	श्री एस पी रस्तौगी कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
72.	एकलपीठ याचिका संख्या 3764/96	श्री एम एम सिंघल अति. मुख्य अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
73.	एकलपीठ याचिका संख्या 5715/97	श्री हरभजन सिंह मीणा,. कनिष्ठ अभियन्ता	अनुसूचित जनजाति
74.	एकलपीठ याचिका संख्या 1100/97	गुलाब सिंह राठौड़ व अन्य, डिप्लोमा होल्डर	सामान्य
75.	एकलपीठ याचिका संख्या 3955/97	श्री सत्यनारायण शर्मा, स्टेनो	सामान्य
76.	एकलपीठ याचिका संख्या 559/97	श्री दिनेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
77.	एकलपीठ याचिका संख्या 365/97	श्री विश्वनाथ सिंह	सामान्य
78.	एकलपीठ याचिका संख्या 9715/97	श्री हरभजन मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता	अनुसूचित जनजाति
79.	एकलपीठ याचिका संख्या 665/97	श्री हनुमान प्रसाद विश्नोई, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
80.	एकलपीठ याचिका संख्या 3931/97	महावीर सिंह	सामान्य
81.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 1370/97	श्री के.एल. बैरवा, अधिशासी अभियन्ता	अनुसूचित जाति

1	2	3	4
82.	खण्डपीठ याचिका संख्या 774/97	श्री रामसिंह शर्मा, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
83.	एकलपीठ याचिका संख्या 5645/97	श्री धनपत राय, ज्योलोजिस्ट	सामान्य
84.	एकलपीठ याचिका संख्या 1699/97	डिप्लोमा होल्डर्स	सामान्य
85.	एकलपीठ याचिका संख्या 779/97	श्री राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
86.	एकलपीठ याचिका संख्या 383/97	श्री रामनारायण चौधरी, सहायक अभियन्ता	सामान्य
87.	एकलपीठ याचिका संख्या 5097/97	श्री राजेन्द्र कुमार सिंघल, कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा होल्डर	सामान्य
88.	एकलपीठ याचिका संख्या 455/97	श्री भंवर लाल, सहायक अभियन्ता	सामान्य
89.	एकलपीठ याचिका संख्या 1669/97	श्री के.के. सोनी, कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा होल्डर	सामान्य

1	2	3	4
90.	एकलपीठ याचिका संख्या 1673/97	श्री अर्जुन लाल रैगर, फौरमैन	अनुसूचित जाति
91.	एकलपीठ याचिका संख्या 388/97	श्री सुधीर वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
92.	खण्डपीठ याचिका संख्या 1158/97	श्री विनोद कुमार जोशी, साइंटिस्ट	सामान्य
93.	एकलपीठ याचिका संख्या 387/97	श्री अशोक कुमार कालरा, सहायक अभियन्ता	सामान्य
94.	खण्डपीठ याचिका संख्या 786/97	श्री किशन छंगाड़ी, सहायक अभियन्ता	सामान्य
95.	एकलपीठ याचिका संख्या 3546/97	श्री शरतचन्द्र माथुर	सामान्य
96.	एकलपीठ याचिका संख्या 5660/97	श्री त्रिलोक चन्द त्रिवेदी कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
97.	एकलपीठ याचिका संख्या 3289/97	आर सी माथुर सहायक अभियन्ता	सामान्य
98.	एकलपीठ याचिका संख्या 4681/97	वीरेन्द्र सिंह राजवशी कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
99.	एकलपीठ याचिका संख्या 6552/98	श्री इन्दर कुमार	सामान्य
100.	एकलपीठ याचिका संख्या 5841/98	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल	सामान्य
101.	एकलपीठ याचिका संख्या 6131/98	श्री रामकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
102.	एकलपीठ याचिका संख्या 2646/98	श्री एक. के. भट्टनागर कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
103.	एकलपीठ याचिका संख्या 741/98	श्री रमेश मीणा सहायक अभियन्ता	अनुसूचित जनजाति
104.	एकलपीठ याचिका संख्या 3246/98	श्री महेन्द्र सिंह जोरा कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
105.	एकलपीठ याचिका संख्या 6310/98	ऐसोसिएशन आफ ग्रेजुएट इन्जीनियर्स	सामान्य
106.	एकलपीठ याचिका संख्या 1287/99/98	श्री पशुपति रूपराय व अन्य	सामान्य
107.	एकलपीठ याचिका संख्या 2645/98	श्री सुखदेव गौड कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
108.	एकलपीठ याचिका संख्या 5775/98	श्री कैलाशचन्द्र वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
109.	एकलपीठ याचिका संख्या 5150/98	श्री शिवदयाल शर्मा वरिष्ठ लिपिक सेवानिवृत्त	सामान्य
110.	एकलपीठ याचिका संख्या 3183/98	श्री मुरलीदास कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
111.	एकलपीठ याचिका संख्या 2784/98	श्री सन्तोखसिंह कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
112.	एकलपीठ याचिका संख्या 1409/98	श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता सहायक अभियन्ता	सामान्य
113.	एकलपीठ याचिका संख्या 223/98	श्री राकेश सोनी सहायक अभियन्ता	सामान्य
114.	एकलपीठ याचिका संख्या 3499/99 डी.बी. 99/03	श्री हरिसिंह, वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
115.	एकलपीठ याचिका संख्या 1890/99	श्री कपिल मोहन, सहायक वास्तुविद्	सामान्य
116.	एकलपीठ याचिका संख्या 2259/99	श्री रामजी लाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक	सामान्य

1	2	3	4
117.	एकलपीठ याचिका संख्या 5889/99	श्री हरिकेश एवं अन्य	अनुसूचित जाति
118.	एकलपीठ याचिका संख्या 197/99	श्री के.एस. गर्ग, सेवानिवृत अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
119.	एकलपीठ याचिका संख्या 2460/99	श्री गोपाल शर्मा, सहायक अभियन्ता	सामान्य
120.	एकलपीठ याचिका संख्या 794/99	श्री गणपत चन्द जैन, सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी	सामान्य
121.	एकलपीठ याचिका संख्या 6818/99	श्री ए.जे. दतवानी, सेवानिवृत एवं सहायक अभियंता	सामान्य
122.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 28/99	स्टेट बनाम के.सी. शर्मा	सामान्य
123.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 382/99	स्टेट बनाम जे.पी. मदान	सामान्य
124.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 855/99	स्टेट बनाम तिलकराज, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
125.	एकलपीठ याचिका संख्या 2181/99	श्री चन्द्रर शेखर कल्ला, सहायक अभियन्ता	सामान्य
126.	एकलपीठ याचिका संख्या 4341/2000	श्री सोना राम, च.श्रे.क. प्रथमा	सामान्य
127.	खण्डपीठ याचिका संख्या /2000	सरकार बनाम श्री राजाराम च.श्रे.क. प्रथमा	सामान्य
128.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 689/2000	श्री रूद्रेश शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
129.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 445/2000	स्टेट बनाम श्री संजय चौधरी	सामान्य
130.	एकलपीठ याचिका संख्या 2696/2000	श्री टी.एन. सौनी, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
131.	एकलपीठ याचिका संख्या 4714/2000	श्री श्यामलाल, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
132.	एकलपीठ याचिका संख्या 3853/2000	श्री शंकर लाल, सहायक अभियन्ता	अनुसूचित जाति

1	2	3	4
133.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 2034/2000	श्री गणेश राम महला व अन्य	सामान्य
134.	एकलपीठ याचिका संख्या 801/2000	श्री के.जी. गुप्ता, अधिक्षण अभियन्ता	सामान्य
135.	खण्डपीठ याचिका संख्या /2000	स्टेट बनाम सुनील माथुर व अन्य	सामान्य
136.	एकलपीठ याचिका संख्या 32/2000	श्री गजेन्द्र सिंघल, अधिक्षण अभियन्ता	सामान्य
137.	एकलपीठ याचिका संख्या 3022/2000	श्रीपाल सिंह	सामान्य
138.	एकलपीठ याचिका संख्या 226/2000	श्री अब्दुल वली चिश्ती, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
139.	एकलपीठ याचिका संख्या 3926/2000	श्री बाबूलाल, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
140.	खण्डपीठ याचिका संख्या 5102/2000	श्री बी.पी. चौहान, अधिक्षण अभियन्ता	अनुसूचित जाति

1	2	3	4
141.	एकलपीठ याचिका संख्या 623/2000	श्री राधेश्याम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
142	एकलपीठ याचिका संख्या 3389/2000	सरकार बनाम श्री नेनू राम कनिष्ठ लिपिक	अनुसूचित जाति
143.	एकलपीठ याचिका संख्या 5505/2001	श्री रामेश्वर सिंह राजपुरोहित, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
144.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 106/01	स्टेट बनाम सरकार	सामान्य
145.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 107/01	स्टेट बनाम सरकार	सामान्य
146.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 108/01	श्री पन्ना लाल, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
147.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 117/01	श्री सोमा राम, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
148.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 118/01	स्टेट बनाम राजा राम, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य

1	2	3	4
149.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 119/01	स्टेट बनाम रामेश्वर लाल, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
150.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 126/01	स्टेट बनाम श्री हीरा लाल, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
151.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 144/01	स्टेट बनाम छोटूराम, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
152.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 272/01	स्टेट बनाम श्री ओम प्रकाश पारीख, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
153.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 273/01	स्टेट बनाम श्री एस.एस. छगानी, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
154.	खण्डपीठ स्पेशल याचिका संख्या 729/01	स्टेट बनाम श्री एस.एल. मेघवाल, च. श्रे. प्रथमा	सामान्य
155.	एकलपीठ याचिका संख्या 2421/2001	श्री संतोक सिंह, वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
156.	एकलपीठ याचिका संख्या 1775/2001	श्री सत्यप्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य

1	2	3	4
157.	एकलपीठ याचिका संख्या 4206/01	श्री आशा राम सैनी, सहायक अभियन्ता	सामान्य
158.	एकलपीठ याचिका संख्या 4301/01	श्री हिन्द प्रकाश दामोद, सहायक अभियन्ता	सामान्य
159.	एकलपीठ याचिका संख्या 4172/01	श्री छुट्टन लाल कोजी, सहायक अभियन्ता	अनुसूचित जाति
160.	एकलपीठ याचिका संख्या 4150/01	श्री अश्वनी कुमार मीणा, सहायक अभियन्ता	अनुसूचित जन जाति
161.	एकलपीठ याचिका संख्या 4151/01	श्री शिवस्वरूप मीणा, सहायक अभियन्ता	अनुसूचित जन जाति
162.	एकलपीठ याचिका संख्या 5193/2001	श्री शैतान सिंह चारण, सहायक अभियन्ता	सामान्य
163.	एकलपीठ याचिका संख्या 88/2001	श्री रूप सिंह, बेलदार	सामान्य
164.	एकलपीठ याचिका संख्या 98/2001	श्री राधाकिशन टांक, च.श्रे.क.	सामान्य

1	2	3	4
165.	एकलपीठ याचिका संख्या 2148/2001	श्री हेमराज, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
166.	एकलपीठ याचिका संख्या 5269/2001	श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
167.	एकलपीठ याचिका संख्या 655/2001	श्री दिनेश चन्द गोयल, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
168.	एकलपीठ याचिका संख्या 4033/2001	श्री अनिल कुमार साहू	सामान्य
169.	एकलपीठ याचिका संख्या 4931/2001	श्री राजीव गर्ग, सहायक अभियन्ता	सामान्य
170.	खण्डपीठ याचिका संख्या /2001	श्री श्याम सुन्दर सिंघाणी, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
171.	खण्डपीठ याचिका संख्या /2001	स्टेट बनाम ओम प्रकाश पारीख, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
172.	डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 763/01	प्रदीप सोनी कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
173.	डी.बी. स्पेशल अपील नं. 849/01	राजस्थान राज्य बनाम बिरदीचन्द, अधिशासी अभियन्ता	अनुसूचित जाति
174.	एकलपीठ याचिका संख्या 3279/2002	श्री आनन्दी लाल, फौरमैन	अनुसूचित जाति
175.	एकलपीठ याचिका संख्या 3413/2002	श्री गहरी लाल जैन, ओवरसियर	सामान्य
176.	एकलपीठ याचिका संख्या 8459/2002	श्री हरिनारायण शर्मा, स्टेनोग्राफर	सामान्य
177.	एकलपीठ याचिका संख्या 7373/2002	श्री विनोद चन्द शर्मा, ओवरसियर	सामान्य
178.	एकलपीठ याचिका संख्या 8710/2002	श्री बाबूलाल भारद्वाज, ओवरसियर	सामान्य
179.	खण्डपीठ याचिका संख्या 952/2002	श्री के.एस. गर्ग, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
180.	एकलपीठ याचिका संख्या 6155/2002	श्री देवी लाल आर्य	सामान्य

1	2	3	4
181.	एकलपीठ याचिका संख्या 5792/2002	श्री एम.के. वर्मा, लेबओपरेटर	अनुसूचित जाति
182.	खण्डपीठ याचिका संख्या 111/2002	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य
183.	एकलपीठ याचिका संख्या 4622/2002	श्री ऐ.पी. माथुर, सेवानिवृत अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
184.	एकलपीठ याचिका संख्या 4605/2002	श्री कमलेश कुमार माथुर, अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
185.	एकलपीठ याचिका संख्या 488/2002	श्री अशुमाला डेविड, कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
186.	एकलपीठ याचिका संख्या /2002	श्री नरेन्द्र मल, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
187.	एकलपीठ याचिका संख्या 3607/2002	श्री महेश कुमार पारीख, स्टेनोग्राफर	सामान्य
188.	एकलपीठ याचिका संख्या 4005/2002	श्री सोबरन सिंह, मृतक आश्रित	सामान्य

1	2	3	4
189.	एकलपीठ याचिका संख्या 2424/2002	श्री जी.एल. योगी, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
190.	एकलपीठ याचिका संख्या 987/2002	श्री किशन सुन्दर शर्मा, कार्यालय सहायक	सामान्य
191.	एकलपीठ याचिका संख्या 3322/2002	श्री एस.पी. जैन, लेब ओपरेटर	सामान्य
192.	एकलपीठ याचिका संख्या 3464/2002	श्री कमलेश कुमार माथुर, सहायक अभियन्ता	सामान्य
193.	खण्डपीठ याचिका संख्य 29/2002	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य
194.	खण्डपीठ याचिका संख्या 106/2002	श्री महाराज सिंह, सहायक अभियन्ता	सामान्य
195.	खण्डपीठ याचिका संख्या 26/2002	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य
196.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 25/200	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य

1	2	3	4
197.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 27/2002	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य
198.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 28/2002	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य
199.	खण्डपीठ स्पेशल अपील संख्या 24/2002	श्री उदयचन्द पाराशर, स्टेनोग्राफर	सामान्य
200.	एकलपीठ याचिका संख्या 3465/2002	श्री श्याम सुन्दर व्यास, वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
201.	डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 881/02	श्री ए.आर.घोष, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता	सामान्य
202.	एकलपीठ याचिका संख्या 6155/02	देवीलाल आर्य	सामान्य
203.	एकलपीठ याचिका संख्या 9792/02	एस. के. वर्मा लेब ओपरेटर	अनुसूचित जाति
204.	एकलपीठ याचिका संख्या 4622/02	ए. पी. माथुर सेवानिवृत अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
205.	एकलपीठ याचिका संख्या 4605/02	कमलेश कुमार माथुर अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
206.	एकलपीठ याचिका संख्या 4631/03	श्री सोहन सिंह, ड्राइवर	सामान्य
207.	एकलपीठ याचिका संख्या 7354/03	श्री हरसहाय वर्मा, स्टेटिकल आफिसर	अनुसूचित जाति
208.	एकलपीठ याचिका संख्या 4350/03	श्री महेन्द्र कुमार पंचोली, सहायक अभियन्ता	सामान्य
209.	एकलपीठ याचिका संख्या 4569/03	श्री प्रताप, सत्यपाल, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
210.	एकलपीठ याचिका संख्या 032456/03	श्री बाबू खाँ लाहोरी. कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
211.	एकलपीठ याचिका संख्या 2528/03	श्री जालम सिंह, सहायक अभियन्ता	सामान्य
212.	एकलपीठ याचिका संख्या 2536/03	श्री हेतराम चौधरी, सहायक अभियन्ता	सामान्य

1	2	3	4
213.	एकलपीठ याचिका संख्या 4375/03	स्टेट बनाम कन्हैया लाल शर्मा	सामान्य
214.	एकलपीठ याचिका संख्या 3785/03	श्री देवा राम विश्नोई	सामान्य
215.	डी.बी. स्पेशल याचिका संख्या 945/03 अन्तर्गत एकलपीठ याचिका संख्या 3861/95	श्री जयनारायण तिवाड़ी, कनिष्ठ अभियन्ता	सामान्य
216.	एकलपीठ याचिका संख्या 99/04	ओमप्रकाश गुप्ता अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
217.	एकलपीठ याचिका संख्या 1423/04	सी. एल. वर्मा अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
218.	एकलपीठ याचिका संख्या 1306/04	सत्येन्द्रवीर सक्सैना अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
219.	एकलपीठ याचिका संख्या 2140/04	परसराम जाट कनिष्ठ लिपिक	सामान्य
220.	एकलपीठ याचिका संख्या 4226/04	आरएसबीसी बनाम स्टेट व अन्य	सामान्य

1	2	3	4
221.	एकलपीठ याचिका संख्या 2792/04	हरिनारायण वरिष्ठ लिपिक	सामान्य
222.	एकलपीठ याचिका संख्या 3459/04	ताराचन्द अग्रवाल सेवानिवृत अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
223.	एकलपीठ याचिका संख्या 1436/04	करणीसिंह मृतक आश्रित	सामान्य
224.	एकलपीठ याचिका संख्या 6387/04	दिनेशचन्द गोयल सेवानिवृत अधिशासी अभियन्ता	सामान्य
225.	एकलपीठ याचिका संख्या 2089/04	सुरेश कुमार माथुर सहायक अभियन्ता	सामान्य
226.	एकलपीठ याचिका संख्या 8780/04	ए के मित्तल बनाम सरकार सहायक अभियन्ता	सामान्य

समायाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बाली विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्ताव

173. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा/टाडा योजनाओं में चयनित गांवों में वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत प्रस्तावित हैं ? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों की विकट पेयजल समस्या समाधान, लघु सिंचाई योजनाएं-एनीकट, सारन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, बांध तालाबों की मरम्मत, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण, आश्रम छात्रावासों में आवास सुविधा बढ़ाने व विद्युतीकरण हेतु क्षेत्रीय विधायक, जिला परिषद पाली या अन्य माध्यमों से सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? प्राप्त प्रस्तावों की प्रतियां एवं उन पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समस्त प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृत कर पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा/टाडा योजनाओं में चयनित गांवों में वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत कार्य व उनकी राशि का ग्रामवार ब्यौरा परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है एवं प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। विकट पेयजल समस्या समाधान लघु सिंचाई योजनायें एनीकट, सारन वाटर हारवेस्टिंग, स्ट्रक्चर, बांध-तालाबों की मरम्मत, आदिवासी

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण, आश्रम छात्रावासों में आवास सुविधा बढ़ाने व विद्युतीकरण हेतु क्षेत्रीय विधायक, जिला परिषद पाली से सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है।

(3) जी नहीं। प्राप्त प्रस्तावों पर बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

बाली विधान सभा क्षेत्र के माडा योजना में चयनित गांवों में वर्ष 2004-05 के दौरान निम्न राशि के कार्य स्वीकृत हुए हैं :-

क्र. सं.	कार्या का नाम	कार्य की संख्या	गांव का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	हैण्ड पम्प निर्माण	3	खेतरली	1.20 लाख
	हैण्ड पम्प निर्माण	4	नाना	1.60 लाख
	हैण्ड पम्प निर्माण	2	लुन्दाडा	0.80 लाख
	हैण्ड पम्प निर्माण	1	दानवडली	0.40 लाख
	हैण्ड पम्प निर्माण	1	गोरिया	0.40 लाख
	हैण्ड पम्प निर्माण	1	भीमाना	0.40 लाख
2.	पम्प एवं टैंक निर्माण कार्य	1	गोरिया	7.48 लाख
3.	गंगाजालिया एनीकट निर्माण	1	लुन्दाडा	8.36 लाख
4.	व्यक्तिगत पम्पसैट अनुदान	2	भीमाना	0.20 लाख

1	2	3	4	5
	व्यक्तिगत पम्पसैट अनुदान	3	ठंडीबेरी	0.20 लाख
5.	जनजाति कृषकों कुओं ब्लास्टिंग से गहरा कराना	13	भीमाना	राशि 42120.00
	जनजाति कृषकों कुओं ब्लास्टिंग से गहरा कराना	9	ठंडीबेरी	राशि 29160.00
	जनजाति कृषकों कुओं ब्लास्टिंग से गहरा कराना	9	पूरण	राशि 29160.00
	जनजाति कृषकों कुओं ब्लास्टिंग से गहरा कराना	2	नाना	राशि 6480.00
6.	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	32	काकराड़ी	राशि 2880.00
	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	18	अरडवा	राशि 1620.00
	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	150	गोरिया	राशि 13200.00
	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	30	कोरवा	राशि 2650.00
	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	10	दानवरली	राशि 900.00
	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	4	कोलवाडा	राशि 360.00
	अंशपूंजी अनुदान अनुदान	6	सांभरवाडा	राशि 540.00
7.	जनजाति बस्ती विद्युतिकरण	1	कागदड़ी	0.585 लाख

परिशिष्ट-ब

1. जिला परिषद पाली से प्राप्त प्रस्ताव			
1	2	3	4
क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम मय ग्राम के	प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि	विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही
1.	आश्रम छात्रावास संचालन हेतु ग्राम दानवरली में नलकूप	617 दिनांक 11-3-04	स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
2. माननीय विधायक महोदय से प्राप्त प्रस्ताव			
1.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण ग्राम पंचायत कोठार, ग्राम बैलार	328 दिनांक 22-12-04	प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है।
2.	आश्रम छात्रावास दानवरली में दो अतिरिक्त कमरे निर्माण के प्रस्ताव	दिनांक 24-12-04	

1	2	3	4
3.	<u>सड़क निर्माण</u> <u>ग्राम पंचायत कोयलवाव</u> 1. कुरण एनीकट से भागला खुणा 2 कि.मी. 2. राई दरा से हिरावतों की फली चिंगरा भाटा- 2 कि.मी. <u>ग्राम पंचायत भीमाणा</u> 1. आउट लेट से गादरा फली 2 कि.मी. 2. गादर फली से तणी 4 कि.मी. 3. छेलडियां से गंगावतों की फली 2 कि.मी. <u>ग्राम पंचायत ठण्डी बेरी</u> 1. शीशावाड़ा 2 कि.मी. <u>ग्राम पंचायत नाणा</u> 1. पीपलिया भीमाणा से सागली बोर बराडिया 4 कि.मी. 2. सरजूरी वालों से बराडिया 2 कि.मी.		

1	2	3	4
4.	<u>सारण निर्माण</u> 1. <u>ग्राम पंचायत-गोरिया</u> 1. लक्ष्यिों के बासियों की फली 2 कि.मी. 2. कोरवा से कपिधरा 2. <u>ग्राम पंचायत कांकराड़ी</u> 1. भीलवस्ती से निचली खुड़ी 1.5 कि.मी. 2. जालरा से डडिया फली तक 2 कि.मी. 3. <u>ग्राम पंचायत कुरण</u> 1. गोदा दमन से वासियों की फली 1.5 कि.मी. 2. कन्दावा महादेव से राइडरों की फली 1.5 कि.मी.		
5.	आश्रम छात्रावास संचालन हेतु ग्राम दानवरली में नलकूप		
6.	एनीकट निर्माण <u>ग्राम पंचायत-गोरिया</u> 1. दरिया घाटी भूरो ठिबरी		

1	2	3	4
6.	<u>ग्राम पंचायत मालान्</u> 1. गंगाजल 2. साजावाला <u>ग्राम पंचायत कांकराड़ी</u> 1. खुणी नाला <u>ग्राम पंचायत कुरण</u> 1. जोजवा नाका कन्दावा खेतरली 2. सरली बेरी कुरण <u>कोयलवाव</u> 1. पाटरिया नाला <u>भीमाणा</u> 1. पलावरी नाला कालीबोर 2. बूजनाला कुण्डाल <u>ग्राम पंचायत ठण्डीबेरी</u> 1. शशिवाड़ा नाका		

1	2	3	4
	<u>ग्राम पंचायत नाणा</u> 1. बराडिया महादेव नाला 2. नाणा गोचर		
7.	पेयजल-हैण्ड पम्प निर्माण		
	1. मामा की फली ओदाराम के मकान के पास-गोरिया 2. वणजारा फली बैठक भवन के पास-गोरिया 3. थला बिंरमा राम मकान के पास-गोरिया 4. जावला वासियों की फली-गोरिया 5. दरिया घाटी नेनाराम के मकान के पास-गोरिया 6. शायरा फली चमना राम के मकान के पास-बेड्डी 7. निचली खुणी माताजी मन्दिर के पास-काकराड़ी 8. काकराड़ी-निचला फलाविया 9. ओजणिया-काकराडी 10. खुणा-काकराडी		

1	2	3	4
	11. छवावाली घाटी सोमाराम के मकान के पास-काकराडी 12. भागलफली रागाराम के मकान के पास- काकराडी 13. कुरण खादरा जाडलिव गोगाराम के मकान के पास-कुरण 14. खेतरली खाड़ा भूराराम मकान के पास-कुरण 15. खेतरली सतीफली सूरमा राम मकान के पास-कुरण 16. खेतरली माला सापट लम्बा खादरा के पास-कुरण 17. कोजवाड़ा कोचलिया फली- कुरण 18. मोटीडंग पाटरिया विरमाराम मकान के पास-कोयलवाव 19. गोरिया फली वासियों की ढाणी-कोयलवाव 20. लूणी फली जामताराम साद मकान के पास-कोयलवाव 21. सजवा फली लालाराम चौहान मकान के पास-कोयलवाव 22. चिंगरा भाटा हिरावतों की फली कोयलवाव		

1	2	3	4
	23. गेराया वरला साद फली कालाराम मकान के पास-भीमणा 24. पादरी वरली गोपाराम मकान के पास-भीमणा 25. गादरा फली बस स्टेण्ड टेबरा के पास-भीमणा 26. बरली फली तलों- भीमणा 27. मदियाला भोमा उदा मकान के पास-भीमणा 28. घाटी फली सुरता गला मकान के पास-भीमणा 29. घोलीडांग कला लच्छा मकान के पास-भीमाणा 30. गौतरा फली मानावतों के मकान के पास-ठण्डीबेरी 31. बूटा सालरा-ठण्डी बेरी 32. माताजी थल बैठक स्थान के पास-ठण्डी बेरी 33. राजीव गांधी पाठशाला सिराताड़ा-ठण्डी बेरी 34. होली चौक-बराडिया-नाणा 35. फटकावा गोरधनपुरा-नाणा 36. रमतानाड़ा लाला राम चबूतरा के पास-नाणा		

1	2	3	4
	37. राण्डेला की ढ़ाणी घेराईया-नाणा 38. डीगाराम भारता राम दाइमा के मकान के पास-नाणा 39. मालदर की ढ़ाणी गोमाराम धनजी मकान के पास-लुन्दाड़ा 40. केरमगरा भूरा होसा मकान के पास-लुन्दाड़ा 41. नीकण्ड महोदव-लुन्दाड़ा 42. पुनाराम गरासिया मकाकन के पास मालदर-ढ़ाणी-लुन्दाड़ा 43. भेलबस्ती-लुन्दाड़ा 44. बेरा राम ढोलाड की भागल गौतमजी रोड लुन्दाड़ा 45. वीर बावसी के पास लालपुरा 46. नाणा स्टेशन शीतला माता मन्दिर के पास-मालनू 47. वार्ड 2-नाणा		
8.	आंगनवाडी केन्द्र भवन निर्माण 1. काकराडी	329/22-12-04	

1	2	3	4
	2. गोरिया 3. चामुण्डेरी 4. मालनू 5. नाना 6. नाना 7. बराडिया 8. कुरण 9. कोयलवाव पॉल 10. कालीपारी-कोयलवाव 11. पलावतो का खेड़ा-भीमाणा 12. दांता-भीमणा		

राज्य में एक ही स्थान पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता

174. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में एक ही छत के नीचे एलोपैथी, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कहां-कहां पर इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के लिए अलग से कर्मचारी, संसाधन व दवाइयों की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी, संसाधन व दवाइयों की व्यवस्था कहां-कहां की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है ? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्या सरकार उक्त योजना को बन्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम चरण में 6 सम्भाग मुख्यालय, 26 जिला मुख्यालय एवं 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह योजना लागू की गई है। सूची परिशिष्ट-"क" में प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में कार्यरत सम्बन्धित औषधालय को मय स्टाफ, दवाइयां आदि के साथ ट्रांसफर किया गया है। विवरण परिशिष्ट-"क" में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। यह योजना मरीजों के लिए एक ही स्थान पर अपनी इच्छित चिकित्सा पद्धति से उपचार लेने में लाभदायक सिद्ध हुई है। आयुर्वेद हौम्योपैथी एवं यूनानी पद्धति के मरीजों को एलोपैथिक चिकित्सालय से लैबोरेटरी टेस्ट, एक्स-रे आदि की सुविधा भी प्राप्त हुई है।

परिशिष्ट-'क'

"एक छत के नीचे" एलोपैथिक, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा उपलब्ध कराना एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा उनमें स्थानान्तरित आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के नाम

क्र. सं.	मुख्यालय	नाम एलौपैथिक चिकित्सालय	जिला	सम्बन्धित स्थानान्तरित औषधालय का नाम (कर्मचारी संसाधन एवं दवाइयां सहित)	संकाय का नाम
1.	सम्भाग मुख्यालय				
	1. अजमेर	मेडिकल कालेज	अजमेर	नागबाई, अजमेर जौन्सगंज, अजमेर खादिम मौहल्ला, अजमेर	आयुर्वेद हौम्योपैथी यूनानी
	2. जयपुर	मेडिकल कालेज	जयपुर	सिरसी, जयपुर मानसरोवर, जयपुर जालूपुरा, जयपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी यूनानी

1	2	3	4	5	6
	3. उदयपुर	मेडिकल कालेज	उदयपुर	पूला, उदयपुर हिरणमगरी, उदयपुर जगदीश चौक, उदयपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी यूनानी
	4. कोटा	मेडिकल कालेज	कोटा	भदाना, कोटा दादाबाडी, कोटा घंटाघर, कोटा	आयुर्वेद हौम्योपैथी यूनानी
	5. जोधपुर	मेडिकल कालेज	जोधपुर	गजानंद चौक, जोधपुर बालसमंद, जोधपुर गुलजारपुरा, जोधपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी यूनानी
	6. बीकानेर	मेडिकल कालेज	बीकानेर	वारह गुवाड़, बीकानेर पारीक चौक, बीकानेर कसाईबाड़ी, बीकानेर	आयुर्वेद हौम्योपैथी यूनानी
2.	जिला मुख्यालय				
	1. अलवर	सामान्य चिकित्सालय	अलवर	नवाबपुरा, अलवर	आयुर्वेद हौम्योपैथी

1	2	3	4	5	6
				आदर्शनगर, अलवर	
	2. बांसवाड़ा	सामान्य चिकित्सालय	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा बांसवाड़ा	आयुर्वेद यूनानी
	3. बाड़मेर	-- " --	बाड़मेर	बाड़मेर बाड़मेर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	4. भरतपुर	-- " --	भरतपुर	जाटव बस्ती, भरतपुर भरतपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	5. बारा	-- " --	बारा	तेल फैक्ट्री, बारां बारां	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	6. भीलवाड़ा	-- " --	भीलवाड़ा	पुर, भीलवाड़ा गांधीनगर, भीलवाड़ा	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	7. बूंदी	-- " --	बूंदी	बूंदी बूंदी	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	8. चित्तौड़गढ़	-- " --	चित्तौड़गढ़	कुम्भानगर, चित्तौड़गढ चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	9. चूरू	-- " --	चूरू	चूरू चूरू	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	10. दौसा	-- " --	दौसा	दौसा दौसा	आयुर्वेद हौम्योपैथी

1	2	3	4	5	6
	11. धौलपुर	सामान्य चिकित्सालय	धौलपुर	धौलपुर धौलपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	12. डूंगरपुर	-- " --	डूंगरपुर	शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर डूंगरपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	13. श्रीगंगानगर	-- " --	श्रीगंगानगर	इन्द्रा कालोनी, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	14. हनुमानगढ़	-- " --	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ हनुमानगढ़	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	15. जैसलमेर	-- " --	जैसलमेर	जैसलमेर जैसलमेर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	16. जालौर	-- " --	जालौर	जालौर जालौर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	17. झालावाड़	-- " --	झालावाड़	झालावाड़ झालावाड़	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	18. झुन्झुनुं	-- " --	झुन्झुनुं	झुन्झुनुं झुन्झुनुं	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	19. नागौर	-- " --	नागौर	वार्ड बडली, नागौर नागौर	आयुर्वेद हौम्योपैथी

1	2	3	4	5	6
	20. पाली	सामान्य चिकित्सालय	पाली	हाउसिंग बोर्ड, पाली पाली	आयुर्वेद यूनानी
	21. सवाई माधोपुर	-- " --	सवाई माधोपुर	मानटाउन, सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	22. करौली	-- " --	करौली	करौली करौली	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	23. सीकर	-- " --	सीकर	सीकर सीकर	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	24. सिरोही	-- " --	सिरोही	सिरोही सिरोही	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	25. टोंक	-- " --	टोंक	टोंक टोंक	आयुर्वेद हौम्योपैथी
	26. राजसमंद	सामान्य चिकित्सालय	राजसमंद	कांकरोली, राजसमंद राजसमंद	आयुर्वेद हौम्योपैथी
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
	1. संरवाड	संरवाड	अजमेर	संरवाड	यूनानी
	2. तिजारा	तिजारा	अलवर	तिजारा	आयुर्वेद

1	2	3	4	5	6
	3. घाटौल	घाटौल	बांसवाड़ा	घाटौल	आयुर्वेद
	4. छबड़ा	छबड़ा	बारां	छबड़ा	यूनानी
	5. सिणधरी	सिणधरी	बाड़मेर	सिणधरी	आयुर्वेद
	6. बयाना	बयाना	भरतपुर	बयाना	आयुर्वेद
	7. काछौला	काछौला	भीलवाड़ा	काछौला	आयुर्वेद
	8. खाजूवाला	खाजूवाला	बीकानेर	खाजूवाला	आयुर्वेद
	9. लाखैरी	लाखैरी	बूंदी	लाखैरी	आयुर्वेद
	10. भूपालसागर	भूपालसागर	चित्तौड़गढ़	भूपालसागर	आयुर्वेद
	11. तारानगर	तारानगर	चूरू	तारानगर	आयुर्वेद
	12. बांदीकुई	बांदीकुई	दौसा	बांदीकुई	आयुर्वेद
	13. राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	धौलपुर	राजाखेड़ा	आयुर्वेद
	14. बिछीवाड़ा	बिछीवाड़ा	डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	आयुर्वेद
	15. विजयनगर	विजयनगर	गंगानगर	विजयनगर	आयुर्वेद
	16. पीलीबंगा	पीलीबंगा	हनुमानगढ़	पीलीबंगा	आयुर्वेद
	17. विराटनगर	विराटनगर	जयपुर-अ	बुचारा बांध	आयुर्वेद
	18. चाकसू	चाकसू	जयपुर-ब	चाकसू	आयुर्वेद
	19. रामगढ़	रामगढ़	जैसलमेर	रामगढ़	आयुर्वेद
	20. सायला	सायला	जालौर	सायला	आयुर्वेद
	21. पिड़ावा	पिड़ावा	झालावाड़	पिड़ावा	आयुर्वेद

1	2	3	4	5	6
	22. बिसाउ	बिसाउ	झुन्झुनुं	बिसाउ	आयुर्वेद
	23. फलौदी	फलौदी	जोधपुर	फलौदी	आयुर्वेद
	24. मौडक	मौडक	कोटा	मौडक	आयुर्वेद
	25. हिण्डौन	हिण्डौन	करौली	हिण्डौन	आयुर्वेद
	26. मौलासर	मौलासर	नागौर	मौलासर	आयुर्वेद
	27. तख्तगढ़	तख्तगढ़	पाली	तख्तगढ़	आयुर्वेद
	28. आमेट	आमेट	राजसमंद	आमेट	आयुर्वेद
	29. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	सीकर	लक्ष्मणगढ़	आयुर्वेद
	30. बामनवास	बामनवास	स. माधोपुर	खण्डार	आयुर्वेद
	31. आबूरोड़ (गौपाला बैड़ा)	आबूरोड़ (गौपाला बैड़ा)	सिरोही	आबूरोड़ (गौपाला बैड़ा)	आयुर्वेद
	32. उनियारा	उनियारा	टोंक	उनियारा	आयुर्वेद
	33. धरियावद	धरियावद	उदयपुर	धरियावद	आयुर्वेद

अजमेर जिले की स्वायत्तशासी संस्थाओं की विकास योजनाओं में जन-प्रतिनिधियों की सहभागिता

175. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद् एवं नगर सुधार, न्यासों द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाता है ? यदि हां, तो नगर सुधार न्यास अजमेर, नगर परिषद अजमेर एवं नगर पालिका, पुष्कर परिक्षेत्र में कौन-कौनसी संस्था द्वारा किस-किस क्षेत्र (एरिया) की सड़कों का निर्माण/रख-रखाव किया जाता है ? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निकायों द्वारा वार्षिक प्रस्ताव बनाते समय जन-प्रतिनिधियों व जिला कलक्टर से चर्चा नहीं की जाती, जिससे क्षेत्र में करवाये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता का सही निर्धारण नहीं हो पाता है।

(3) क्या यह सही है कि अजमेर एवं पुष्कर के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद्/नगर पालिका या नगर सुधार न्यास के अलावा कोई अन्य एजेंसी भी सड़क निर्माण का कार्य करती है ?

(4) क्या सरकार उक्त निकायों की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा कर प्राथमिकता के आधार पर तय कर कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन-प्रतिनिधियों की समिति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर सुधार न्यास-अजमेर, नगर परिषद- अजमेर व नगर पालिका, पुष्कर परिक्षेत्र में जिन संस्थाओं द्वारा सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव किया जाता है, उनका क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर सलंग्न है।

(2) जी नहीं। निकायों द्वारा वार्षिक प्रस्ताव मण्डल में चर्चा के उपरान्त ही तैयार किये जाते हैं। परिषद/पालिका मण्डल में स्थानीय विधायक

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

भी सदस्य होते हैं। जिला कलक्टर से यद्यपि चर्चा नहीं की जाती, लेकिन तैयार किये गये प्रस्तावों की प्रति जिला कलक्टर को भिजवायी जाती है। मण्डल में चर्चा उपरान्त तैयार किये गये प्रस्तावों में कार्य की प्राथमिकता का सही निर्धारण होता है। जहां तक नगर सुधार न्यास का प्रश्न है, वर्तमान में जिला कलक्टर स्वयं न्यास के अध्यक्ष हैं। न्यास द्वारा ही प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है।

(3) जी हां। नगर परिषद/पालिका व नगर सुधार न्यास के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग व आवासन मण्डल द्वारा भी सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

(4) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। पालिका/परिषद मण्डल में चूंकि स्थानीय विधायक के साथ-साथ अन्य निर्वाचित जल प्रतिनिधियों के चर्चा उपरान्त ही वार्षिक प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। नगर सुधार न्यास में जिला कलक्टर स्वयं अध्यक्ष हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगामेडी (नोहर) तीर्थ स्थल की आय से विकास कार्य

176. श्री बहादुर सिंह गोदरा (नोहर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गोगामेडी तहसील नोहर तीर्थ स्थल में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख से अधिक यात्री आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां यात्रियों के निवास हेतु यात्री स्थल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

(2) क्या सरकार गोगामेडी मेले की आय का 50 प्रतिशत गोगामेडी के विकास के नाम पर धार्मिक पर्यटन स्थल व मास्टर प्लान में लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यद्यपि निश्चित संख्या की गणना कठिन है किन्तु यह सही है कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण गोगामेड़ी मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। देवस्थान विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये निम्न कार्य करवाये गये हैं :-

1. सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण।

2. यात्री विश्राम हेतु टीनशेड़ का निर्माण।

3. यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु बेरीकेडिंग पर पुल का निर्माण।

4. यात्रियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेला क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने का कार्य।

इसके अतिरिक्त गोगामेड़ी के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करवा लिया गया है। जिसमें यात्रियों के निवास एवं अन्य सुविधाओं हेतु भी प्रावधान हैं। मास्टर प्लान के अनुरूप विकास कार्य आर्थिक संसाधनों के उपलब्धता को ध्यान में रख करवाया जाएगा एवं "अपना काम-अपना धाम अपना नाम" योजनान्तर्गत जनसहभागिता से धर्मशाला निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रचलित प्रथा के अनुसार मेले की आय का उचित भाग गोगामेडी के विकास में लगता है, इस प्रथा को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा मेले की आय का 50 प्रतिशत गोगामेड़ी के विकास के नाम पर व्यय करने का इरादा न होकर, गोगामेड़ी धार्मिक स्थल की आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप व्यय करने की योजना है।

जनजाति कन्या छात्रावास (बांसवाड़ा) के निर्माण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

177. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा मुख्यालय पर निर्माणाधीन जनजाति कन्या छात्रावास की छत एवं पिलर घटिया सामग्री से निर्मित होने के कारण ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण एवं ध्वस्त होने के समय कौन-कौन अधिकारी कार्यरत थे ?

(2) क्या भवन निर्माण एवं ध्वस्त होने में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण में ठेकेदार भी दोषी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस भवन निर्माण के दौरान जिन-जिन अधिकारियों का कार्यकाल रहा है उसका विवरण निम्नानुसार है :-

1.	अधिशासी अभियन्ता	श्री बी.एल. बैरवा	कार्य प्रारम्भ से दिनांक 7-7-2004 तक
		श्री डी.के. थानवी	दिनांक 7-7-2004 से निरन्तर
2.	सहायक अभियन्ता	श्री लाड़ मोहम्मद	कार्य प्रारम्भ से दिनांक 24-12-2004 तक
		श्री सतीश चन्द्र गुप्ता	दिनांक 24-12-2004 से निरन्तर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. कनिष्ठ अभियन्ता श्री मुकेश वाडेल कार्य प्रारम्भ से दिनांक 18-2-2005 तक

(2) जी हां। इस प्रकरण में जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं उनमें श्री मुकेश वाडेल, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री लाड़ मोहम्मद सहायक अभियन्ता को दिनांक 18-2-2005 को निलम्बित कर दिया गया है। श्री डी.के. थानवी, अधिशासी अभियन्ता, श्री लाड़ मोहम्मद एवं श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता एवं श्री मुकेश वाडेल, कनिष्ठ अभियन्ता के आरोप पत्र कार्मिक विभाग का भिजवाये जा रहे हैं।

(3) जी हां। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोन-उदयपुर के आदेश क्रमांक 6599/21-2-2005 से संवेदक को भविष्य में होने वाली निविदाओं में भाग लेने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई तथा संवेदक को किसी भी श्रेणी में पंजीकरण करने पर भी तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है एवं क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण संवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर कराया जा रहा है।

रैणी (अलवर) उप तहसील का क्रमोन्नयन

178. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रैणी जिला अलवर को उप तहसील से तहसील बनाने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त उप तहसील को तहसील बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है।

(राजस्व मंत्री)

(2) वर्तमान में माह अगस्त, 2002 से प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर परिसीमन आयोग की रोक के कारण प्रस्ताव पर फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

179. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कुल कितने गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ गांवों में मौके पर केन्द्र कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गांवों के आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कुल 130 गांवों में 196 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। गांवों में मौके पर केन्द्र संचालित नहीं होने के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट "अ"

जिला गंगानगर

क्र. सं.	गांव का नाम	केन्द्रों की सं.
1.	रंगमहल	2
2.	नई बारेका	1
3.	40 एसटीजी	1

1	2	3
4.	43 एसटीजी	1
5.	सरदारपुरा खरथा	1
6.	10 एसपीडी	1
7.	9 एसपीडी	1
8.	1 व 2 बीएचएम	1
9.	6 एसजीएम	1
10.	7 एसजीएम	2
11.	9 एसजीएम	1
12.	11 एसजीएम	4
13.	3 एसएचपीडी	1
14.	4 एसएचपीडी	1
15.	7 एसएचपीडी	1
16.	8 एसएचपीडी	1
17.	10 एसएचपीडी	1
18.	15 एसएचपीडी	1
19.	2 एफडीएम	2
20.	3 एफडीएम	2
21.	5 एफडीएम	1
22.	13 एसडी	1

1	2	3
23.	11 एसडी	1
24.	फरीदसर	1
25.	9 एफडीएम	1
26.	6 एफडीएम	1
27.	कीकरवाली जोहड़ी	1
28.	8-9 एसपीडी	1
29.	20 एसटीबी	3
30.	22 एसडीबी	2
31.	निरवाना	3
32.	राजपुरा न्यौला	2
33.	मानेवाला	3
34.	घमडिया	2
35.	23 एसटीबी	2
36.	18 एसटीबी	1
37.	17 एसटीबी	1
38.	पालीवाला	1
39.	16 एसटीबी	1
40.	धाबा	4
41.	भगवानगढ़	1

1	2	3
42.	गुरूसर मोडिया	2
43.	1 डीबीएन-ए	1
44.	1 डीबीएन-बी	1
45.	प्रेमपुरा ढाणी	1
46.	किशनपुरा आबादी	1
47.	किशनपुरा ढाणी	1
48.	कानोर	1
49.	फरीदसर	1
50.	ठेठार	2
51.	सुजानसर	1
52.	बख्तावरपुरा	1
53.	2 बीकेएसएम	1
54.	चक 5 सीएम	1
55.	भोपालपुरा	1
56.	गोविन्दसर	1
57.	7 एसजीआर	1
58.	13 एसकेएस	1
59.	22 एलजीडब्ल्यू	1
60.	6/7 डीबीएन	1

1	2	3
61.	4 डीबीएन	1
62.	8 एसजीआर	1
63.	10 एसजीआर	2
64.	14 एसटीबी	1
65.	15 एसजीआर	2
66.	सरदारपुरा बीका	2
67.	भगवानसर	5
68.	2 एसजीएम	2
69.	4 केएसआर	2
70.	28 पीबीएन-ए	1
71.	28 पीबीएन-बी	3
72.	1 केएसआर-ए	1
73.	1 केएसआर-बी	3
74.	रायावाली	2
75.	ठुकराना	2
76.	एटा	2
77.	रतासर	2
78.	थरमल	2
79.	चाडसर	1

1	2	3
80.	कालूसर	1
81.	सोमासर	1
82.	भोजेवाला	1
83.	185 आरडी	1
84.	3 टीटीडीबी	1
85.	2 जेबीडी	1
86.	गोसाईसर	1
87.	राजपुरा पिपेरन	1
88.	4 एसएचपीडी	1
89.	5, 6, 7 बीकेएसएम	1
90.	6 जीडीएसएम	1
91.	2 जीएसएम	1
92.	3 एएस	1
93.	2 जीएम (गुडली)	1
94.	रघुनाथपुरा	2
95.	4 आरएम	1
96.	5 आरएम	1
97.	3 एसजीएम	1
98.	2 केएसआर	2

1	2	3
जिला हनुमानगढ़		
99.	पंडितावाली	3
100.	18 एसपीडी	1
101.	जांखडावाली	1
102.	बडोपल	3
103.	3 टी (दौलतावाली)	1
104.	2 एनएम (ठाकरूवाला)	1
105.	माणकथेड़ी	2
106.	अयालकी	3
107.	लोंगवाला	2
108.	पीलीबंगा गांव	2
109.	लिखमीसर	2
110.	खरलिया	2
111.	25 पीबीएन (रामपुरा)	1
112.	26 पीबीएन	1
113.	24 पीबीएन	1
114.	प्रेमपुरा	2
115.	भागसर	1
116.	21 पीबीएन	1

1	2	3
117.	डींगा	2
118.	17 पीबीएन (अहमदपुरा)	2
119.	लखासर	1
120.	गोलुवाला निवादान	5
121.	गोलुवाला सिहागान	3
122.	19 एमओडी	1
123.	हांसलिया	2
124.	उम्मेवाला	1
125.	काहनेवाला	1
126.	39 एलएलडब्ल्यू (अमरसिंहवाला)	1
127.	हरदयालपुरा	1
128.	सुरांवाली	2
129.	खाथांवाली	2
130.	दुलमाना (7 पीबीएन)	2
	योग :-	**196**

वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

180. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के कानोड़, भीण्डर, वल्लभनगर, खेरोदा एवं मेणार चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में दुर्घटना व आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की कमी के कारण कई ऐसे रोगियों को नहीं बचाया जा सका जो बचाये जा सकते थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड़, भीण्डर, वल्लभनगर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेरोदा एवं मेणार में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सक/नर्सिंग स्टाफ मुख्यालय पर रहकर चिकित्सा सेवाएं देते हैं।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पदौन्नति से भरे जाने हैं जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदो को राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के समय भरने के प्रस्ताव किये जायेंगे।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड़, भीण्डर वल्लभनगर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेरोदा एवं मेणार में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोड़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी)	2	2	-
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीण्डर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, नैत्र, स्त्री रोग, शिशु रोग)	5	2	3
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
	चिकित्सा अधिकारी	2	-	2
	दन्त चिकित्सक	1	-	1

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वल्लभनगर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी, नैत्र रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग)	5	8	2
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
	चिकित्सा अधिकारी	3	3	-
	दन्त चिकित्सक	1	1	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेरोदा	चिकित्सा अधिकारी	2	2	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेणार	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-

परबतसर नगर पालिका द्वारा नीलामी द्वारा बेचे गये भू-खण्डों की बकाया राशि

181. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका परबतसर द्वारा वर्ष 1995 से 2000 के मध्य दो आवासीय कालोनियों के भूखण्डों की नीलामी की गई थी ?

(श्री राकेश मेघवाल)

यदि हां, तो उक्त नीलामी में किस-किस व्यक्ति द्वारा भू-खण्ड क्रय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नीलामी किये गये भूखण्डों की कीमत की 1/4 राशि ही जमा हुई है तथा शेष राशि आज तक जमा नहीं हुई है ? क्या यह सही है कि आबंटियों द्वारा भवन निर्माण करवा लिये गयें हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष 3/4 राशि जमा कर उक्त भूखण्डों का नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। परबतसर नगर पालिका द्वारा वर्ष 1995 से 2000 के मध्य केवल एक आवासीय कालोनी (हनुमान कालोनी) के भू-खण्डों की नीलामी 31 मई, 1999 व 3-6-1999 को की गई, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नीलाम किये गये उक्त भूखण्डों की 1/4 राशि जमा हुई है तथा शेष राशि अभी तक भी जमा नहीं हुई है। इन 14 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों द्वारा आबंटित भूखण्डों पर निर्माण कर लिया गया है, 6 व्यक्तियों द्वारा आबंटित भूखण्डों पर चारदीवारी निर्मित कर ली गई है व 5 भूखण्ड खाली है। जहां तक इन भूखण्डों के नियमितीकरण का प्रश्न है, चूंकि राशि समय पर जमा नहीं हुई हैं, ऐसी स्थिति में नियमितीकरण नियमानुकूल नहीं होने के कारण उक्त जमा राशि जब्त कर, पुन: नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करने हेतु पालिका को पत्र दिनांक 13-9-2004 के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय नगर पालिका मण्डल परबतसर (नागौर)

हनुमान कोलोनी में वर्ष 1995 से 2000 के मध्य नीलाम किये गये भूखण्डों की सूची

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड सं.
1.	सीतादेवी/श्रवणलाल	67
2.	पूनमचन्द/रामदेव	74
3.	सन्तोषी/लालचन्द जांगिड़	15
4.	शंकरलाल/इन्द्रपाल शर्मा	21
5.	सदाकंवर/नाथूसिंह	22
6.	कमला/शंकर लाल	29
7.	प्रेम सिंह/खींव सिंह	50
8.	मांगू सिंह/शेतान सिंह	51
9.	राधेश्याम/मूलचन्द	53
10.	लता/रविन्द्र कुमार	60
11.	पूसाराम/आसूराम चौधरी	61
12.	भोजराज/गोपीराम	62
13.	सुखदेवी/गोपीराम	63
14.	जमनादेवी/जगदीश प्रसाद	41

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, परबतसर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु आबकारी नीति

182. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनजाति उप योजना क्षेत्र हेतु आबकारी नीति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2004-05 में राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में देशी मदिरा की बिक्री राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से करवाई जा रही है, जबकि भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विक्रय निजी अनुज्ञाधारियों द्वारा किया जा रहा है।

आमेर (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण

183. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौनसी नई सड़कें बनाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में विभाग द्वारा संधारित पुरानी सड़कें कौन-कौनसी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन सड़कों की पूर्व में कब मरम्मत की गई थी ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) विधान सभा क्षेत्र आमेर में सरकार द्वारा नई सड़कें कब तक बना दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की छह नई सड़कें, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज चतुर्थ में स्वीकृत है, बनाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट '1' संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 34 पुरानी सड़कें संधारित की जा रही हैं। सूची परिशिष्ट '2' संलग्न है।

इन सड़कों की साधारण मरम्मत वर्ष 2004-05 में उपलब्ध बजट अनुसार करवाई जा चुकी है तथा 37,500 किलोमीटर लम्बाई में गत तीन वर्षों में नवीनीकरण कार्य किया गया है। सूची परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र आमेर की सड़कों की साधारण मरम्मत उपलब्ध बजट अनुसार वर्ष 2004-05 में करवा दी गई है तथा गत तीन वर्षों में 37,500 किमी. सड़कों का नवीनीकरण करवाया जा चुका है तथा वर्तमान में 14.0 किमी. सड़कों का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। 18.34 किमी. सड़कों का नवीनीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. X के आर.एम.यू. पी. फेज-II में प्रस्तावित हैं। सूची परिशिष्ट '4' संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र आमेर में नई सड़कें राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र आमेर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत फेज चतुर्थ की सड़कों का निर्माण वर्ष 2005-06 में किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-'1'

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आमेर में स्वीकृत नई सड़कों की सूची :-

क्र. सं.	सड़क का नाम, आबादी	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	योजना जिसमें प्रस्तावित है
1.	सम्पर्क सड़क सेवापुरा सड़क से जगन्नाथपुरा (879)	1.03	16.15	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज चतुर्थ नियमित)
2.	सम्पर्क सड़क तालाधोला सड़क से स्यारी (1110)	0.535	17.00	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज चतुर्थ विश्व बैंक)
3.	राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 से मोटू का बास (991)	1.350	28.69	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज चतुर्थ विश्व बैंक)
4.	जालसू सड़क से सुदर्शनपुरा (944)	3.250	35.50	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज चतुर्थ विश्व बैंक)
5.	सम्पर्क सड़क चकरामसर (965)	2.800	43.03	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज चतुर्थ विश्व बैंक)
6.	गजधर पुरा से सांचेती (977)	1.100	19.57	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज चतुर्थ विश्व बैंक)
	कुल योग :-	**10.065**	**159.940**	

परिशिष्ट-'2'

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित की जा रही सड़कों की सूची :-

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	पंचायत समिति का नाम
1.	मोडी से राधाकिशनपुरा 0/0 से 4/200	4.200	आमेर
2.	कानरपुरा से रायथल वाया धिनोई किमी. 6/0 से 10/700	4.700	आमेर
3.	हरदत्त पुरा से रोजदा 0/0 से 6/0	6.000	आमेर
4.	सम्पर्क सड़क सागर 0/0 से 1/0	1.000	आमेर
5.	रामपुरा जाह्नौता रायथल सड़क 0/0 से 5/0	5.000	आमेर
6.	सम्पर्क सड़क नीदड घाटी से जयरामपुरा 0/0 से 3/0	3.000	आमेर
7.	अचरोल टाउन सड़क 0/0 से 2/0	2.000	आमेर
8.	सम्पर्क सड़क मानपुरा से रूण्डल 0/0 से 5/0	5.000	आमेर
9.	द्विपुरा टोडी दौलतपुरा से जटवाली तक सड़क 0/0 से 22/0	22.000	आमेर
10.	सम्पर्क सड़क दौलतपुरा 0/0 से 1/0	1.000	आमेर
11.	तालामोड़ कांट से बगवाड़ा सड़क 5/0 से 6/0	1.000	आमेर
12.	कूकस से छापरेडी सड़क 0/0 से 9/500	9.500	आमेर
13.	बड़ पीपली से बंध की ढाणी 0/0 से 1/500	1.500	आमेर

1	2	3	4
14.	सम्पर्क सड़क चतरपुरा 0/0 से 5/250	5.250	आमेर
15.	सम्पर्क सड़क राजावास 0/0 से 1/0	1.000	आमेर
16.	सम्पर्क सड़क पुनाना 2/0 से 4/500	2.500	आमेर
17.	दुर्गा का बास से कालाडेरा 0/0 से 6/0	6.000	आमेर
18.	सम्पर्क सड़क बिचपड़ी 0/0 से 1/300	1.300	आमेर
19.	रा.रा. मार्ग संख्या 11 से राजारामपुरा 0/0 से 1/0	1.000	आमेर
20.	कनकपुरा-रेलवे स्टेशन वार्ड	1.280	झोटवाड़ा
21.	खातीपुरा-सिरसी सड़क	7.500	झोटवाड़ा
22.	झोटवाड़ा-निवारू सड़क	5.000	झोटवाड़ा
23.	जयपुर जोबनेर सड़क एस.एच. 2 "सी"	16.100	झोटवाड़ा
24.	सम्पर्क सड़क धानक्या	9.000	झोटवाड़ा
25.	सम्पर्क सड़क पचार	1.000	झोटवाड़ा
26.	हाथोज-लालचंदपुरा	3.500	झोटवाड़ा
27.	सम्पर्क सड़क दाउवास	2.000	झोटवाड़ा
28.	धानक्या से सिवाड़	5.500	झोटवाड़ा
29.	मौज्या मोड से बेगस	6.000	झोटवाड़ा
30.	बेगस रोड़ से डेल्टा भोपावास	2.000	झोटवाड़ा
31.	सिरसी से भांकरोटा	5.000	झोटवाड़ा

1	2	3	4
32.	सिरसी मोड से बिन्दायका	3.000	झोटवाड़ा
33.	सम्पर्क सड़क खोराबीसल	6.500	झोटवाड़ा
34.	सम्पर्क सड़क मूड़ोता	3.500	झोटवाड़ा
	योग :-	159.830	

परिशिष्ट-'3'

नवीनीकरण की गई सड़कों की सूची :

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	नवीनीकरण वर्ष	योजना का नाम
1.	सम्पर्क सड़क हरदत्त पुरा से रोजदा	6.000	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
2.	सम्पर्क सड़क रामपुरा जाहोता रायधल	1.000	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
3.	सम्पर्क सड़क राजावास	1.000	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
4.	सम्पर्क सड़क अचरोल टाउन	1.000	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
5.	सम्पर्क सड़क चत्तरपुरा	4.000	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
6.	सम्पर्क सड़क खोराबीसल	3.000	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
7.	सम्पर्क सड़क धानक्या	9.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय

1	2	3	4	5
8.	मोज्या मोड से बेगस	6.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
9.	सिरसी मोड से बिन्दायका	3.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
10.	सम्पर्क सड़क खोरा बीसल	3.50	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
	कुल योग :-	37.500		

परिशिष्ट-'4'

अ - नवीनीकरण की गई सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	नवीनीकरण वर्ष	योजना का नाम
1.	सम्पर्क सड़क हरदत्त पुरा से रोजदा	6.00	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
2.	सम्पर्क सड़क रामपुरा जाहोता रायथल	1.00	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
3.	सम्पर्क सड़क राजावास	1.00	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
4.	सम्पर्क सड़क अचरोल टाउन	1.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
5.	सम्पर्क सड़क चत्तरपुरा	4.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
6.	सम्पर्क सड़क खोराबीसल	3.00	2001-02	आर.यू.पी. फेज-प्रथम
7.	सम्पर्क सड़क धानक्या	9.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय

1	2	3	4	5
8.	मोज्या मोड से बेगस	6.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
9.	सिरसी मोड से बिन्दायका	3.00	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
10.	सम्पर्क सड़क खोरा बीसल	3.50	2002-03	आर.यू.पी. फेज-द्वितीय
	कुल योग :-	37.500		

ब - जिन सड़कों पर नवीनीकरण कार्य प्रगति पर हैं की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	नवीनी-करण वर्ष	योजना का नाम
1.	सम्पर्क सड़क कूकस से छपराडी	9.00	2004-05	आर.एम.यू.पी. फेज-प्रथम
2.	सम्पर्क सड़क मानपुरा से रूंडल	5.00	2004-05	आर.एम.यू.पी. फेज-प्रथम
	कुल योग :-	14.00		

स - नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित की गई सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)	नवीनी-करण वर्ष	योजना का नाम
1.	सम्पर्क सड़क मूण्डोता	3.00	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
2.	सम्पर्क सड़क पचार	1.19	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
3.	सम्पर्क सड़क हातोज से लालचन्दपुरा	2.40	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय

1	2	3	4	5
4.	सम्पर्क सड़क नींदड घाटी से जयरामपुरा	2.00	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
5.	सम्पर्क सड़क बिचपडी	1.50	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
6.	सम्पर्क सड़क रा.रा. मार्ग 11 से राजारामपुरा	1.00	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
7.	सम्पर्क सड़क दुर्गा का बास से कालाडेरा	6.00	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
8.	सम्पर्क सड़क चतरपुरा	1.25	2005-06	आर.एम.यू.पी. फेज-द्वितीय
	कुल योग :-	18.34		

बैराठ एवं आमेर की राजकीय काश्त भूमि पर काबिज कृषक

184. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा), श्री केसर देव बाबर (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सिवाय चक, गैर मुमकिन एवं चरागाह जमीनों पर लम्बे समय से काश्त कर रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों की जमीनों का नियमन कर आबंटित करने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के कई भूमिहीन व्यक्ति ऐसी जमीनों पर पिछले कई वर्षों से काश्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो बैराठ एवं आमेर विधान सभा क्षेत्र में इन जमीनों पर काश्त करने वाले किन-किन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी जमीनें आबंटित की गई एवं कौन-कौन व्यक्ति इस प्रकार की कितनी-कितनी जमीनों पर काश्त कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसर देव बाबर)

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य में ऐसी जमीनों पर काबिज तथाकथित प्रभावशील व्यक्तियों की जमीनों को तो नियमित कर दिया जाता है, लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति के 40-50 वर्षों से काश्त कर रहे भूमिहीन व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा किसी न किसी कारण से सरकारी रेकार्ड में दर्ज न दिखाकर उनको इन जमीनों पर नियमित नहीं किया जा रहा है और उन्हें नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनुसूचित जाति/जनजाति के लम्बे समय से काश्त कर रहे उक्त विधान सभा क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर इन जमीनों पर नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सिवाय चक, गैर मुमकिन भूमियों पर लम्बे समय से काश्त कर रहे अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम, 20 के अनुसार भूमि का नियमन किये जाने का प्रावधान है। राजकीय परिपत्र क्रमांक प.6(44)राज./6/2001/22 दिनांक 6-12-2001 के अनुसार सिवाय चक्र एवं गैर मुमकिन भूमि पर दिनांक 15-7-1994 से पूर्व के किये गये कब्जों को नियमित किये जाने का प्रावधान है तथा परिपत्र संख्या प.6(21)राज-4/83/5 दिनांक 2-2-1983 के अनुसार चरागाह भूमि पर दिनांक 1-1-1970 के पूर्व से किये गये कब्जों को नियमित किये जाने का प्रावधान है। परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बैराठ एवं आमेर में पिछले पांच वर्षों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूमिहीन 3 व्यक्तियों के 2.60 हैक्टेयर भूमि का नियमन एवं 29 व्यक्तियों को 45.83 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है। जिनकी सूची परिशिष्ट-"ब" संलग्न है। पिछले पांच वर्षों में अतिक्रमण कर काश्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-"स" संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 13 के अनुसार गठित सलाहकार समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत आने वाले भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को भूमि का आबंटन/नियमन किया जाता है। राज्य में भूमिहीन कृषकों को कृषि भूमि के आबंटन हेतु राजस्व अभियान समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(परिपत्र/सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जनजाति विकास हेतु गठित मंत्री मण्डलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन

185. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनजाति विकास के लिये महाराष्ट्र माडल को राज्य में लागू करने के लिए सरकार द्वारा श्री गुलाब सिंह शक्तावत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो इस कमेटी में और कौन-कौन सदस्य थे तथा इन्होंने मंत्रिमण्डल के समक्ष क्या अनुशंषा की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शक्तावत कमेटी की अनुशंषा में कोई फेरबदल किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र माडल में वित्तीय आबंटन के लिए जनसंख्या को आधार माना गया है, जबकि राजस्थान में महाराष्ट्र माडल के तहत जनसंख्या के आधार पर वित्तीय आबंटन न कर क्षेत्र के आधार पर किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र माडल के अन्तर्गत जनजाति विकास के लिए वित्तीय आबंटन सिर्फ उपयोजना क्षेत्र के लिए किया गया है ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

यदि हां, तो माडा, माडा कलस्टर सहरिया क्षेत्र व बिखरी आबादी को छोड़ने के कारण क्या रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कमेटी में निम्न सदस्य थे :

1. श्री गुलाब चन्द शक्तावत, सहकारिता मंत्री

2. श्री भीखा भाई - श्रम मंत्री - सदस्य

3. श्री बनवारी लाल बैरवा - समाज कल्याण मंत्री-सदस्य

इन्होंने मंत्रिमण्डल के समक्ष निम्न अनुशंसा की।

1. मंत्रिमण्डल की आज्ञा द्वारा 13 विभागों को उनके राज्य आयोजना मद के वार्षिक बजट की 8 प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को सीधे ही आबंटित करना तय किया गया है। जिस पर समिति ने अपनी सहमति व्यक्त की एवं साथ ही समिति ने यह भी राय दी कि इन 13 विभागों के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी इसमें शामिल किया जावे एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की वार्षिक राज्य आयोजना सीमा की राशि में से भी 8 प्रतिशत जनजाति विकास कोष में दें।

2. समिति ने यह भी राय व्यक्त की अगले वित्तीय वर्ष से धीरे धीरे बढ़ाकर राज्य सरकार के सभी विभागों की राज्य आयोजना बजट/मद से जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि जनजाति विकास कोष में दें।

3. समिति ने यह भी राय दी कि जनजाति विकास कोष की राशि के एक मद/विभाग से दूसरे मद/विभाग में व्यवर्तन का पूर्ण अधिकार उच्चाधिकार समिति को दिया जावे।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

4. समिति ने यह भी तय किया कि आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास को उपयोजना क्षेत्र के सभी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अधिकारियों पर पभावी नियन्त्रण दिया जावे ताकि वे उपयोजना क्षेत्र के सभी कार्यालयों एवं अधिकारियों पर नियन्त्रण रख सके व इसके लिए उन्हें उनके वा.का. मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के अधिकार दिये जावें।

5. समिति ने यह भी राय दी कि योजनाएं बनाने के लिये विभिन्न स्तरों पर उसी प्रक्रिया को अपनाया जावेगा जो कि महाराष्ट में वर्तमान में लागू है ताकि एक्सटेंशन आफ पंचायत एक्ट, 1996 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जा सके।

(2) जी हां। यह सही है कि शक्तावत कमेटी की अनुशंसा में फेरबदल कर राज्य सरकार ने अपने पत्रांक 15 फरवरी, 2002 के अनुसार यह प्रणाली समस्त विभागों के लिये लागू कर दी गई तथा आयोजना विभाग द्वारा जारी कुल आयोजना सीमा के डिविजबल आउट-ले की 8 प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एकमुश्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि राजस्थान में महाराष्ट्र माडल में वित्तीय आबंटन के लिये राज्य की कुल जनसंख्या के स्थान पर अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या को आधार माना गया है।

(4) जी नहीं। राजस्थान में महाराष्ट्र माडल के तहत वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश 31 दिसम्बर, 1999 के अनुसार जनजाति विकास के लिए वित्तीय आबंटन "ट्राइबल सब प्लान" के लिए किया गया है एवं ट्राइबल सब प्लान में अनुसूचित क्षेत्र, माडा, माडा कलस्टर, सहरिया क्षेत्र व बिखरी आबादी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

बनेड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

186. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं व इनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के कुल 24 पद स्वीकृत हैं इनमें से 3 पद रिक्त हैं। चिकित्सा संस्थावार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद पदोन्नति से भरा जाना है जो विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित होने पर भरा जा सकेगा तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति किये जाने के समय भरने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-"अ"

बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1

1	2	3	4	5
		(सर्जरी/मेडिसन)		(मेडिसन)
		चिकित्सा अधिकारी	3	-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुलाबपुरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	-
		(मेडिसन सर्जरी, नेत्र, स्त्री रोग, बालरोग)		
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	3	2
		चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायला (आर एफ डब्ल्यू सी)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	1	- (चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 25-2-2005 को पदस्थापन, परन्तु कार्य ग्रहण अभी नहीं किया)

1	2	3	4	5
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबला	चिकित्सा अधिकारी	1	-
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपाडेली खुर्द	चिकित्सा अधिकारी	1	-
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुरडा (आर.एफ. डब्ल्यू.सी.)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
		चिकित्सा अधिकारी	1	-
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगुंचा	चिकित्सा अधिकारी	1	-
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपाहेली कलां	चिकित्सा अधिकारी	1	-
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कंवलियास	चिकित्सा अधिकारी	1	-

राजस्थान आवासन मण्डल की समझौता समिति द्वारा लिए गए निर्णय

187. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में गठित समझौता समिति के क्या क्षेत्राधिकार हैं तथा उसके पदाधिकारी कौन-कौन अधिकारी होते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में इस समझौता समिति की बैठकें कब-कब हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये ? लिये गये निर्णयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार समझौता समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाकर मण्डल को हुई हानि का आकलन करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) समझौता समिति का मण्डल एवं आवेदक/आबंटी/उपभोक्ता के मध्य चल रहे परिवादों की सुनवाई का निम्न प्रकार क्षेत्राधिकार है :-

1. उच्च न्यायालय/राज्य आयोग/जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण मंच से प्राप्त विवादों को उभय पक्षों को बुलाया जाकर सुनने का अधिकार है।

2. उपभोक्ता स्वयं की पहल पर न्यायालय में शिकायत करने से पूर्व अपनी समस्या प्रस्तुत करने पर उभय पक्षों को सुनकर निर्णय करने हेतु आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें 200/- रुपये प्रति प्रकरण पंजीयन शुल्क अदा करना होता है।

3. उपभोक्ता कानूनी नोटिसों को निपटारा कराने हेतु स्वयं की पहल पर 200/- रुपये पंजीयन शुल्क जमा कराकर उभय पक्षों की उपस्थिति में

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

निर्णय करा सकता है। समझौता समिति के पदाधिकारियों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) गत तीन वर्षों में समझौता समिति की बैठकें वृत्तवार/खण्डवार विभिन्न नियत दिनांकों को होती रही है। समझौता समिति द्वारा विभिन्न वृत्त/खण्ड के प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर निर्णय कराकर आदेश पारित किये जाते रहे हैं। बैठक विवरण परिशिष्ट-'ब' संलग्न है। समझौता समिति द्वारा उच्च न्यायालय/राज्य आयोग/जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण से प्राप्त प्रकरणों एवं आवेदक की स्वयं की पहल पर दायर विवादों को सुना जाता रहा है, जिसमें लागत/आबंटन/पंजीयन, कब्जा देने, पेनेल्टी दण्डनीय ब्याज आदि विभिन्न प्रकृति के विवादों को सुना जाकर गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता रहा है। निर्णय वृहद रूप में होने के कारण निर्देशानुसार चार प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।

(3) जी नहीं।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों को उपलब्ध नि:शुल्क औषधियों की वर्तमान व्यय सीमा में प्रस्तावित वृद्धि

251. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य के पेन्शनरों को चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नि:शुल्क औषधियां उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में कोई वित्तीय व्यय सीमा लागू नहीं थी ? यदि हां, तो कब तक तथा यह व्यय सीमा कब से प्रभावी की गई ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के आर.एन. काबरा बनाम राज्य सरकार व अन्य के बाद के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार ने दिनांक 12 मई, 1991 से उक्त व्यय सीमा को बिलकुल हटा दिया था ? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष व्यय सीमा को पुन: लागू करने के क्या कारण हैं तथा उसके पश्चात् से अब तक कब-कब तथा कितनी-कितनी राशि की व्यय सीमा में कमी या वृद्धि की गई ? समस्त आदेशों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार औषधियों के मूल्य में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुये पेन्शनरों के नि:शुल्क चिकित्सा (औषधियां) प्राप्त करने की व्यय सीमा में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस सीमा तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में पेन्शनरों को रियायती चिकित्सा योजना के अन्तर्गत पूर्व में मेडिकल डायरी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती थी तथा नवीनीकरण शुल्क भी नहीं था ? यदि हां, तो मेडिकल डायरी नवीनीकरण शुल्क कब से आरम्भ किया गया और नवीनीकरण शुल्क कितना लिया जाता था एवं अब कितनी राशि पेन्शनरों से ली जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(5) क्या सरकार मेडिकल डायरी के नवीनीकरण शुल्क में (विशेषकर अल्प पेंशनर/पारिवारिक पेन्शन भोगी के मामलों में) कमी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य के पेन्शनरों को चिकित्सा रियायती योजना के अन्तर्गत निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करवाने की अधिकतम व्यय सीमा कभी भी निर्धारित नहीं की गई अपितु चिकित्सा व्ययों को समुचित रूप से नियंत्रित करने के लिये मेडिकल डायरी पर वार्षिक 500/- रुपये की सामान्य रूप से दवाइयां निःशुल्क दिये जाने हेतु दुकानदारों को योजना लागू करते समय अधिकृत किया गया था। इस राशि में समय-समय पर दवाइयों के मूल्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित किया गया। वर्तमान में यह साधारण सीमा 3,000/- रुपये वार्षिक है। इससे अधिक दवाइयां प्राप्त करने के लिये जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है जो 10,000/- रुपये वार्षिक तक की दवाइयां 75 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर को दिये जाने हेतु स्वीकृत कर सकता है। इसी प्रकार 75 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को सामान्यतः 6,000/- रुपये वार्षिक तक की तथा उससे अधिक परन्तु 12,500 रुपये वार्षिक तक की दवाइयां स्वीकार करने के लिये जिला कलक्टर अधिकृत है। उक्त सीमाओं से अधिक की दवाइयों की आवश्यकता होने पर न्यासी बोर्ड की उप समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(2) योजना में सीमा कभी नहीं थी अपितु मेडिकल के निर्देशों में 500/- रुपये तक की निःशुल्क दवाइयां साधारण डाक्टर तथा उससे अधिक की दवाइयां विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाने के निर्देश थे, जिसे न्यायालय के निर्णय की पालना में विलोपित कर दिया गया। राशि की व्यय में कमी या वृद्धि के बारे में प्रश्न के प्रथम भाग में उल्लेख किया जा चुका है।

(3) चिकित्सा व्यय पर समुचित नियंत्रण करने के लिये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की अधिकतम सीमा वर्तमान में भी लागू नहीं है।

(वित्त मंत्री)

(4) जी नहीं। पेंशनरों को रियायती चिकित्सा योजना के अन्तर्गत मेडिकल डायरी (पीएमएफ-2) लागत मुल्य पर उपलब्ध कराई जाती थी व कराई जा रही है। जहां तक मेडिकल डायरी के नवीनीकरण शुल्क का प्रश्न है, आदेश दिनांक 12-7-1991 द्वारा मेडिकल डायरी का वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 25/-रुपये निर्धारित था। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 16-4-1993 द्वारा मेडिकल डायरी हेतु आजीवन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया गया। इसके पश्चात् वार्षिक एवं आजीवन शुल्क में निम्न प्रकार से संशोधन किये गये :-

क्र. सं.	अवधि	पेंशनरों का वर्गीकरण	वार्षिक शुल्क	आजीवन शुल्क
1.	1-10-2000 से 14-2-2002	1. सेवानिवृति के समय 10000/- रु. प्रतिमाह वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर्स	50/-	1,000/-
		2. सेवानिवृति के समय 10000/- रु. से अधिक वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर्स	50/-	2,000/-
2.	15-2-2002 से 18-12-2004	1. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 1 से 6 में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर्स से	200/-	2,000/-
		2. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 7 व अधिक में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर्स से	400/-	4,000/-
3.	19-12-2004 से	1. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 1 से 6 में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर्स से	250/-	-

(वित्त मंत्री)

क्र. सं.	अवधि	पेंशनरों का वर्गीकरण	वार्षिक शुल्क	आजीवन शुल्क
		2.सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 7 व अधिक में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर्स से	500/-	-

राज्य सरकार के पेंशनर्स जो सेवानिवृति के पश्चात् अन्य प्रदेशों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनसे वेतन श्रृंखला 1 से 6 में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनरों से एकमुश्त सदस्यता शुल्क रुपये 2,000/- व इससे अधिक की वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनरों से रुपये 4,000/- यथावत लिये जा रहे हैं।

(5) जी नहीं। मेडिकल डायरी के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा निधि की विषम आर्थिक परिस्थितियों तथा केन्द्रीय सरकार के पेंशनर्स द्वारा सीजीएचएस योजना में दिये जा रहे अंशदान को ध्यान में रखकर की गई थी। इन्हीं कारणों से मेडिकल डायरी के नवीनीकरण शुल्क में कमी करना सम्भव नहीं है।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा में सुधार

252. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों के लिये उचित नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी आदिनांक संशोधित प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा सुविधा सेवारत राज्य कर्मचारियों को सरकार उपलब्ध कराती है, वहीं सेवानिवृत कर्मचारियों को भी दी जाती है ? यदि हां, तो किन-किन मामलों में और किन-किन बीमारियों के उपचार

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

हेतु ? यदि इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्रसारित किये गये हो तो समस्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की उपयुक्त व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई वांछित अनुदान राशि दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? गत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2002-2005) में कितनी-कितनी मैचिंग ग्रान्ट की गई ?

(4) पेंशनरों की संख्या में प्रतिमाह वृद्धि होने तथा दिन प्रतिदिन औषधियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने पर भी सरकार द्वारा इस अनुदान राशि में किस कारण कटौती कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा समय-समय पर सरकार को अनेक पत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार का पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये और सुधार करने का विचार रखती है ? जिससे समय पर औषधियां नहीं उपलब्ध होने के कारण व्याप्त असन्तोष दूर हो सके ? यदि हां, तो कब तक व नहीं ? तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना की आदिनांक संशोधित प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सेवानिवृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में समस्त आदेश बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में उल्लेखित राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना में समाहित हैं।

(वित्त मंत्री)

(3) जी हां, राज्य सरकार राजस्थान राज्य पैंशनर्स चिकित्सा निधि को समय-समय पर अनुदान व ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराती है। गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार अनुदान व ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया गया है :-

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुदान	ब्याज रहित ऋण	योग
1.	2002-03	7.00	-	7.00
2.	2003-04	5.00	3.00	8.00
3.	2004-05	5.00	5.00	10.00

(4) उपरोक्तानुसार राज्य सरकार राजस्थान राज्य पैंशनर्स चिकित्सा निधि को अनुदान के अतिरिक्त ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराती है।

(5) जी हां। राजस्थान पैंशनर्स समाज द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर भेजे गये पत्रों पर न्यासी मंडल की उपसमिति की बैठकों में चर्चा की जाती है और उनके सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(6) राज्य सरकार पैंशनरों को पर्याप्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। सहकारी दुकानों पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पैंशनरों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं जिनसे पैंशनर बाजार से दवा क्रय कर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडारों से पुनर्भरण प्राप्त करते हैं। पैंशनरों की सुविधा के लिये राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. व उपभोक्ता भण्डारों को इस प्रयोजन हेतु रिवाल्वविंग फण्ड भी उपलब्ध कराये गये हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

वर्ष 2005-06 हेतु आबकारी नीति

253. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005-06 के लिए राज्य की आबकारी नीति क्या बनाई गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 की आबकारी नीति की तुलना में 2005-06 की नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 के लिये निर्धारित आबकारी नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. आबकारी बन्दोबस्त की अवधि 1 वर्ष (दिनांक 1-4-2005 से 31-3-2006 तक) रखी गई है।
2. वर्ष 2005-06 हेतु देशी मदिरा दुकानों का बन्दोबस्त एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत एवं नगरीय क्षेत्रों तथा भिवाडी (जिला अलवर) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों का आवेदन आमंत्रित कर निश्चित लाइसेन्स फीस पर व्यवस्थापन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर दुकानों हेतु उस समूह के सफल देशी मदिरा निविदादाता से विकल्प मांगा गया है।
3. देशी मदिरा समूहों की संख्या वर्ष 2004-05 में मदिरा समूहों की संख्या के बराबर अर्थात 25 रखी गई है।
4. नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्रों में तथा अलवर जिले के भिवाडी कस्बे में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित कर तथा दुकानों की संख्या

(आबकारी मंत्री)

से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी प्रक्रिया द्वारा सफल आवेदक का चयन कर बन्दोबस्त करवाया गया है।

5. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल दुकानों हेतु लाइसेन्स फीस निम्न अनुसार निर्धारित की गई है :-

क्रं. सं.	शहर का विवरण	राशि लाख रु. में
1.	जयपुर एवं जोधपुर	3.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, जैसलमेर एवं माउन्ट आबू	2.50
3.	अन्य जिला मुख्यालय	2.00
4.	उक्त के अलावा शेष समस्त नगरपालिकाएं एवं 50000 से अधिक आबादी वाले कस्बे/गांव, भिवाडी	1.50
5.	गांव/कस्बे जिनकी आबादी 25000 से 50000 तक हो	0.50
6.	शेष गांव	0.25

6. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की थोक अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति राजस्थान राज्य बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगी तथा इन बोतलों पर होलोग्राम लगाने की व्यवस्था की जायेगी।

7. राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व थोक अनुज्ञाधारियों की संख्या पर कोई सीमा नही लगाई गई है तथा नियमों के अन्तर्गत पात्र कोई भी व्यक्ति आवेदन कर यह अनुज्ञापत्र ले

सकता है। थोक अनुज्ञापत्र की वार्षिक लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :-

क्र. सं.	थोक अनुज्ञापत्र की अवस्थिति	राशि लाख रु. में
1.	जयपुर एवं जोधपुर	8.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय	6.00
3.	अन्य स्थान	5.00

8. राज्य में देशी मदिरा दुकानों की संख्या 7000 एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की खुदरा दुकानों की संख्या 4500 निर्धारित की गई।

9. भांग डोडा पोस्त समूहों की संख्या वर्ष 2004-05 के अनुरूप 39 रखी गई है।

10. देशी मदिरा दुकानों की कुल आरक्षित राशि रु. 533.00 करोड़ निर्धारित की गई है जबकि भांग डोडा पोस्त दुकानों की कुल आरक्षित राशि रु. 63.89 करोड़ निर्धारित की गई है।

11. देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों को एकाकी विशेषाधिकार राशि के अतिरिक्त रु. 2/- प्रति बल्क लीटर की दर से आबकारी शुल्क का भुगतान करना होगा।

12. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर परमिट फीस की दर रु. 4/- प्रति बल्क लीटर रखी गई है।

13. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर के संदर्भ में निगम, थोक अनुज्ञाधारियों व खुदरा अनुज्ञाधारियों हेतु क्रमशः 2%, 5%, व

(आबकारी मंत्री)

20% का मार्जिन रखकर अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

14. देशी मदिरा की बोतल, अद्धे, व पव्वे हेतु क्रमशः रु. 100/- रु. 50/- व रु. 24/- अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है।

15. देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों को न्यूनतम 25% देशी मदिरा की आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स से लेनी होगी तथा देशी मदिरा शेष मात्रा की आपूर्ति डिस्टलरीज के माध्यम से होगी।

16. भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर पर आबकारी शुल्क की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

(i)	India Made Foreign Liquor/ Spirit (including heritage Liquor)	Excise duty
	For liquor having price per carton of quart bottles as declared by manufacture to and as accepted by RSBCL :	
	(a) Up to Rs. 400/-	Rs.170/- per LPL
	(b) above Rs. 400/- but up to 600/-	Rs.210/- per LPL
	(c) above Rs.600/- but up to Rs. 900/-	Rs. 250/- per LPL
	(d) above Rs.900/- but upto Rs. 1500/-	Rs.280/- per LPL
	(e) above Rs. 1500/- but upto Rs. 3000/-	Rs. 350/- per LPL
	(f) above Rs. 3000/-	Rs.500/- per LPL
(ii)	Beer	140% ad-valorem

17. जयपुर में 20 कमरे तथा अन्य स्थानों पर 15 कमरे वाली होटलों को ही अब आगे से बार अनुज्ञापत्र दिये जाने का

(आबकारी मंत्री)

प्रावधान किया गया है। वर्तमान में बार अनुज्ञापत्र प्राप्त जिन होटलों में इससे कम कमरे हैं, उन्हें शेष कमरे बनाने के लिये आठ माह का समय दिया जायेगा। यह प्रावधान सितारा श्रेणी में वर्गीकृत होटलों एवं हेरिटेज होटलों पर लागू नहीं होगा।

18. राज्य के जनजाति क्षेत्र में देशी मदिरा का विक्रय निजी अनुज्ञाधारियों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है।

19 आबकारी शुल्क/फीस के ढांचे का सुसंगतिकरण किया गया है।

(2) आबकारी नीति के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर इन तीन वर्षों की आबकारी नीति की तुलनात्मक स्थिति संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित की गई है।

परिशिष्ट-"1"

वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 की आबकारी नीति का महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	बिन्दु	2003-04	2004-05	2005-06
1.	बन्दोबस्त अवधि	1 वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष
2.	प्रणाली	देशी मदिरा भा.नि. वि.म./ बीयर दोनों में	देशी मदिरा भा.नि. वि.म./	देशी मदिरा में एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली व भा.नि.वि.

1	2	3	4	5
		एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली	बीयर दोनों में एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली	म./बीयर हेतु आवेदन आमंत्रित कर निश्चित लाइसेन्स फीस पर व्यवस्थापन
3.	मदिरा समूहों की संख्या	25	25	25
4.	भांग डोडा पोस्त समूहों की संख्या	39	39	39
5.	देशी मदिरा की एकाकी विशेषाधि-कार राशि के प्रति भराव (रिबेट) व्यवस्था	तीन स्लेब में निर्गम मूल्य के 90% से 60% के मध्य	उठाई गई मात्रा पर रु. 60/- प्रति प्रूफ लीटर की दर से	भराव (रिबेट) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
6.	भा.नि.वि. म. पर आबकारी शुल्क	रु. 100/- प्रति प्रूफ लीटर	चार स्लेब में रु. 125/- से रु. 300/- प्रति प्रूफ लीटर के मध्य	छः स्लेब में रु. 170/- से रु. 500/- प्रति प्रूफ लीटर के मध्य

1	2	3	4	5
7.	बीयर पर आबकारी शुल्क	स्ट्रांग रु. 15/- प्रति ब.ली. व माइल्ड रु. 10/- ब.ली.	स्ट्रांग रु. 20/- प्रति ब. ली. व माइल्ड रु. 15/- ब. ली.	140% ad - valorem
8.	देशी मदिरा आपूर्ति	शत-प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स से	75 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स से व शेष निजी निर्माताओं से	25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स से व शेष डिस्टलरीज के माध्यम से
9.	जनजाति क्षेत्र में देशी मदिरा का विक्रय	राजस्थान राज्य गंगारार नगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से	निजी अनुज्ञाधारियों के माध्यम से

1	2	3	4	5
10.	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा बीयर का रिटेल आफ विक्रय	अनुमति थी।	अनुमति नहीं है।	अनुमति नहीं है।
11.	शुष्क दिवसों की संख्या	सात	तीन	तीन
12.	डोडा पोस्त का काश्तकारों को अदा किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य	रु. 6.00 प्रति किलो	रु. 12.00 प्रति किलो	रु. 12.00 प्रति किलो
13.	रेस्टोरेन्ट बार (बीयर बार)	अनुमति नहीं थी।	अनुमति है।	अनुमति है।
14.	मदिरा का अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य	निर्धारित नहीं था।	निर्धारित नहीं है।	प्रावधान किया गया है।

जयपुर नगर निगम के सी एवं डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार

254. श्री जुबेर खान (रामगढ) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम में विभिन्न अनुभाग सिविल/यांत्रिक एवं विद्युत में सी एवं डी श्रेणी के ठेकेदारों ने पंजीकरण करवा रखा है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी में कितने-कितने ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के पंजीयन को नियमानुसार रखने हेतु धरोहर राशि (एन.एस.सी.) जब्त करने की कार्यवाही हेतु नोटिस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार को ? अनुभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंजीयन नियम 1999 के तहत उक्त ठेकेदारों को नोटिस दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पंजीयन नियम 1999 में किन-किन व्यक्तियों को निकट सम्बन्धी बताया गया है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त नियम के तहत दिये गये नोटिसों में पंजीकृत ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट घोषित किये जाने का उल्लेख भी है ? यदि हां, तो ब्लैक लिस्टेड घोषित करने के क्या नियम हैं ?

(5) क्या सरकार उक्त नोटिसों को वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम में सिविल कार्य हेतु 'सी' श्रेणी में 49 एवं 'डी' श्रेणी में 132 ठेकेदार पंजीकृत है। विद्युत कार्य हेतु "ई-।। श्रेणी में 11 तथा

(स्वायत शासन राज्य मंत्री)

ई-IV में 4 ठेकेदारों ने पंजीयन करवा रखा है। यांत्रिक श्रेणी में जयपुर नगर निगम द्वारा पंजीयन नहीं किया जाता है। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि वर्तमान में दो पंजीकृत ठेकेदार मैसर्स शर्मा ब्रदर्स एवं मैसर्स सैनी ब्रदर्स द्वारा जयपुर नगर निगम में गलत शपथ पत्र देकर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पंजीयन करवाया जिस कारण उक्त दोनों फर्मों को दिनांक 21-9-2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है एव साथ ही सभी पंजीकृत ठेकेदारों को भी इस बाबत सूचना पत्र जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) पंजीयन नियम 1999 के तहत सभी पंजीकृत ठेकेदारों को जयपुर नगर निगम में उनके रिश्तेदार/निकट सम्बन्धी कार्यरत हैं या नहीं, की सूचना बाबत पत्र दिये हैं। पंजीयन नियम 1999 में पत्नी, पति, माता-पिता, पितामह, बेटे, पोते भाई-बहिन, काका-चाचा, चचेरे भाई-बहिन एवं संगत ससुराल पक्ष के व्यक्ति निकट सम्बन्धी के अन्तर्गत आते है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'ड' पर संलग्न है।

(4) उक्त नियम के तहत दिये नोटिस में ब्लेक लिस्ट किये जाने का उल्लेख है। पंजीकृत ठेकेदार द्वारा पंजीयन नियमों में ब्लैक लिस्ट किये जाने का प्रावधान है।

(5) जयपुर नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदारों को इस विभाग में उनके किसी रिश्तेदार/निकट सम्बन्धी कार्यरत हैं या नहीं, की सूचना बाबत पत्र जारी किये गये हैं। सभी पंजीकृत ठेकेदारों से सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी संवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई, तो जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नोखा के स्व. श्री जैठाराम डूडी स्टेडियम विकास हेतु व्यय

255. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र नोखा के स्व. श्री जैठाराम डूडी स्टेडियम की जमीन किससे क्रय की गई है ? यह जमीन पूर्व में किस नाम से दर्ज थी ? इस स्टेडियम के विकास हेतु अब तक कितना व्यय किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्व. श्री जैठाराम डूडी स्टेडियम की जमीन नगर पालिका नोखा द्वारा क्रय नहीं की गई है, अपितु उक्त भूमि जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेशों के क्रम में तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 19-8-2002 के द्वारा नामान्तरण संख्या 148 से कुल 1272 हैक्टयर भूमि नगर पालिका नोखा के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिनांक 19-8-2002 को कब्जा पालिका को समझाया गया था। उक्त भूमि पूर्व में पंचायत समिति नोखा की थी, जिसे पंचायत समिति द्वारा स्व. श्री जैठाराम डूडी स्टेडियम निर्माण हेतु सरकार के पक्ष में समर्पित किया गया था। इस स्टेडियम के विकास कार्य पर नगर पालिका द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है, लेकिन खेल एवं युवा मामलात से सम्बन्धित विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से 18 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे विकास कार्य करवाने की कार्यवाही जेरकार है। उक्त स्टेडियम में अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जाटव समाज के छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु भूमि

256. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री निर्भय लाल)

(1) क्या आल राजस्थान युवा जाटव महासभा एवं अखिल राजस्थान जाटव महासभा ने जयपुर शहर में जाटव समाज के लिए छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु भूमि आबंटन की मांग की है ? यदि हां, तो अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आल राजस्थान युवा जाटव महासभा जयपुर ने झालाना डूंगरी, जवाहरलाल नेहरू एवं जगतपुरा क्षेत्र में भूमि आबंटन की मांग की है ?

(3) क्या सरकार जाटव समाज के लिए भूमि आबंटन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। आल राजस्थान युवा जाटव महासभा द्वारा सामुदायिक भवन हेतु फ्रेण्डस कालोनी, इमलीवाला फाटक एवं जगतपुरा में 800-1000 व. मी. भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु उक्त स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण आबंटन नहीं किया जा सका। उक्त संस्था द्वारा छात्रावास भवन के लिये भी झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जे.एल.एन. मार्ग अथवा जगतपुरा में 5000-6000 व. मी. भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया गया था। किन्तु वांछित स्थानों पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण संस्था को भूमि आबंटन नहीं किये जा सकने की सूचना क्रमशः 5-5-2003 व 27-5-2003 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दे दी गई थी। संस्था द्वारा पुनः 20-10-2004 को सामुदायिक केन्द्र व छात्रावास हेतु जयपुर शहर में भूमि आबंटन करने हेतु आवेदन किया जो विचाराधीन है चूंकि संस्था का पंजीयन 19-12-2002 को हुआ है और नियमानुसार भूमि आबंटन हेतु सम्बन्धित संस्था के रजिस्ट्रेशन के बाद तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए अतः संस्था के रजिस्ट्रेशन की अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने तक प्रकरण लम्बित रखा गया है। अखिल राजस्थान जाटव महासभा द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(स्वायत शासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। जाटव समाज के लिए सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास हेतु भूमि आबंटन के प्रकरण पर उक्त संस्था के रजिस्ट्रेशन के तीन वर्ष होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

अजमेरी गेट, जयपुर के पद मार्ग पर अतिक्रमण

257. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी घोषित करने के पश्चात् पुरानी धरोहरों को सुरक्षित रखने एवं व्यावसायिक उपयोग में ली जा रही धरोहरों के हिस्सों को खाली करवाकर पुनः संरक्षित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार सांगानेरी गेट, न्यू गेट की तरह ही अजमेरी गेट के भी पैदल पदमार्ग को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार अजमेरी गेट के बायीं साइड (इन्द्रा बाजार के कार्नर पर) के पैदल दरवाजे में स्थित गैस एजेन्सी को खाली करवाकर अजमेरी गेट के स्वरूप को पुनः कायम रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी घोषित नहीं किया गया है। कुछ पुरानी धरोहरों को संरक्षित रखने के लिये अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट द्वारा कार्य किया जा रहा है। व्यावसायिक उपयोग में ली जा रही धरोहरों के हिस्सों को खाली करवा कर पुनः संरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नगर परिषद सीकर के अपूर्ण कार्य

258. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद् एवं नगर पालिकाओं में कितनी-कितनी राशि के कार्य किस-किस को स्वीकृत करने का अधिकार है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद् सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक कितने कार्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये एवं उनमें से कितने कार्य शुरू नहीं हुए तथा कितने अपूर्ण हैं ? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अपूर्ण व शुरू नहीं हुए कार्यों को अब कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् एवं नगर पालिकाओं को कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार है, को सूचना व नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद्, सीकर में जनवरी, 2004 से अब तक विभिन्न योजनाओं में 210 निर्माण कार्य स्वीकृत किये, जिनमें से 128 कार्य शुरू नहीं हुए हैं व 29 कार्य अपूर्ण हैं। ऐसे सभी कार्यों की सूचियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(3) अपूर्ण कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवा लिया जावेगा, लेकिन जो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं, उन्हें आवश्यकता व परिषद की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-अ

[1][14. सक्षम स्वीकृति आवश्यक- (1) सामग्रियों/माल के क्रय या कार्य के संकर्म की कोई संविदा निम्नलिखित प्राधिकारियों के पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन बिना निष्पादित नहीं की जावेगी :-

(क) नगर निगम के मामले में-

(1)	रुपये एक लाख तक का व्यय	आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(2)	रुपये एक करोड़ तक का व्यय	नगर पालिका/निगम
(3)	रुपये दो करोड़ तक का व्यय	निदेशक स्थानीय निकाय
(4)	रुपये दो करोड़ से अधिक का व्यय	राज्य सरकार

[2][(5) [xxxxxxx विलोपित]

(ख) नगर पालिका परिषद के मामले में

(1)	रुपये 50,000 तक का व्यय	आयुक्त
(2)	रुपये 50.00 लाख तक का व्यय	नगर पालिका परिषद
(3)	रुपये 2.00 करोड़ तक का व्यय	निदेशक स्थानीय निकाय
(4)	रुपये 2.00 करोड़ से अधिक व्यय	राज्य सरकार

---

1. अधिसूचना सं. एफ 8()(Mis)Rules/LSG/95/1449/जीएसआर 20 दिनांक 21-5-1996 जो राज. राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 28-5-1996 पृ. 37 पर प्रकाशित द्वारा प्रतिस्थापित।

[2][(5) [xxxxxxx विलोपित]

(ग) जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर पालिका बोर्ड के मामले में

(1)	रुपये 25,000 तक का व्यय	कार्यकारी अधिकारी (ई.ओ.)
(2)	रुपये 25 लाख तक का व्यय	नगर पालिका बोर्ड
(3)	रुपये 50 लाख तक का व्यय	उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाए
(4)	रुपये 2.00 करोड़ तक का व्यय	निदेशक स्थानीय निकाए
(5)	रुपये 2.00 करोड़ से अधिक तक का व्यय	राज्य सरकार

[2][(6) [xxxxxxx विलोपित]

(घ) अन्य नगर पालिका बोर्ड के मामले में

(1)	रुपये 25,000 तक का व्यय	कार्यकारी अधिकारी (ई.ओ.)
(2)	रुपये 1 लाख तक का व्यय	चेयरमैन नगर पालिका बोर्ड
(3)	रुपये 5 लाख तक का व्यय	नगर पालिका बोर्ड
(4)	रुपये 25 लाख तक का व्यय	उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाएं
(5)	रुपये 2.00 करोड़ तक का व्यय	निदेशक स्थानीय निकाएं
(6)	रुपये 2.00 करोड़ से अधिक व्यय	राज्य सरकार

---

2. अधिसूचना सं. एफ 8 ग () नियम सा. क्रय/डी.एल.बी./94/4349 दिनांक 28-12-1998 जो राज. राजपत्र असाधारण भाग 6(क) दिनांक 29-12-1998 पृ. 199 पर प्रकाशित द्वारा विलोपित किया गया एवं उप नियम (1) का परन्तुक भी विलोपित।

[(2) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से कोई निष्पादित की गई प्रत्येक संविदा लिखित में होगी और उस पर अध्यक्ष एवं कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उन्हें बोर्ड की सामान्य मुद्रा (Stamp) लगाई जावे।

परन्तु यह है कि धारा 293 के अन्तर्गत जब एक अधिकारी समिति या प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है या धारा 293 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सम्बन्ध में धारा 295 की उप-धारा (4) के खण्ड (सी) का उपखण्ड (ii) उपधारा (5) के खण्ड (b) के अन्तर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है तो, ऐसी नियुक्ति की अवधि के दौरान बोर्ड या उसकी ओर से निष्पादित किये जाने वाला प्रत्येक संविदा के लिये यह पर्याप्त होगा कि उस पर ऐसे अधिकारी, समिति या प्राधिकारी या प्रशासक या ऐसा व्यक्ति या व्यक्तिगण द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं जैसा मामला हो एवं कार्यपालक अधिकारी के।

(3) जहां संविदा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् निष्पादित की जावे वहां करार में यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि करार की अर्न्तवस्तुओं के समबन्ध में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हैं और ऐसे अनुमोदन या स्वीकृति की एक प्रति संविदा के भाग के रूप में रखी जावेंगी।]

[1][15. अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण-निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे सम्बन्धित अनुमानों तथा बिलों को निम्नांकित अधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख अंकित राशि तक तकनीकी रूप से अनुमोदन/परीक्षण किया जावेगा-

1. अभियांत्रिकी अधीनस्थ/कनिष्ठ अभियन्ता	तीस हजार रुपये तक
2. सहायक अभियन्ता	एंक लाख रुपये तक

1. अधिसूचना सं. एफ 24(2)नियम/सामान्य खरीद........./90/2430 दिनांक 29 मई, 1997 जो राजस्थान राज-पत्र असाधारण भाग 6 (क) दिनांक 12-6-1999 ...... पर प्रकाशित द्वारा नियम 15 प्रतिस्थापित किया गया।

3. अधिशासी अभियन्ता	पन्द्रह लाख रुपये तक
4. अधीक्षण अभियन्ता	पच्चीस लाख रुपये तक
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	चालीस लाख रुपये तक
6. अधीक्षण अभियन्ता	पन्द्रह लाख रुपये से अधिक

(निदेशालीय स्थानीय निकाय विभाग)

नोट-

(1) अभियांत्रिकी अधीनस्थ/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के अधिकार सम्बन्धित नगर पालिका/परिषद में उनसे उच्च तकनीकी की अधिकारी के नहीं होने पर ही लागू होंगे।

(2) नगर निगम/परिषद ने अधीक्षण अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यरत नहीं होने की स्थिति में 15 लाख रुपये से अधिक के अधिकार अधीक्षण अभियन्ता (स्थानीय निकाय) में निहित होंगे।

16. कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन नियमों और अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया हो।

17. निविदा इत्यादि के प्ररूप-(1) निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के प्ररूप, निविदा प्ररूप, निविदा और संविदा की शर्तें और सामग्री या माल के क्रय के लिए करार के प्ररूप यथावश्यक परिवर्तन सहित वे लागू होंगे जो राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विहित किये गये हैं।

(2) संकर्मो के विभागीय तौर पर या ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन और चालू संदाय, पूर्णता रिपोर्ट, अंतिम संदाय, लेखों और लेनदेनों से सम्बन्धित समस्त प्ररूप और रजिस्टर वे ही होंगे जो राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) में प्रयुक्त किये जाते हैं।

स्वायत्त शासन विभाग

सं.एफ. 24(2) नियम/सामान खरीद/स्वा./18/74/1275

जयपुर, दिनांक 7-2-1991

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (संशोधन) क्रमांक एफ.24(2) नियम/सामान खरीद/स्वा. शा./74/273 दिनांक 22-1-1991 की निरन्तरता में राजस्थान नगर पालिका (सामान की खरीद एवं संविदायें) नियम, 1974 के नियम 14(ख) के सब आइटम (2) के नीचे तथा नियम 15 के सब आइटम (3) के नीचे निम्न 'नोट' जोड़ा जाता है :-

नोट-वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाली नगर परिषदों में रुपये 5.00 लाख (पांच लाख) तक।

आज्ञा से,
शासन उप सचिव

---

2. अधिसूचना सं. एफ 3(2)(13)एल.एस.जी./74, 450, 750 दिनांक 3 अप्रैल, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

उप नगर नियोजक एवं अधिशासी अधिकारियों की पदोन्नति

259. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति रोस्टर प्रणाली के अनुसार दी जाती है क्या यह भी सही है कि वरिष्ठता एवं मैरिट के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण का प्रावधान है यदि हां, तो वर्ष 1996 से वर्षवार रोस्टर से भरे गये उप नगर नियोजक व अधिशासी अधिकारी के पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 36 के तहत राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिये 16% व अनुसूचित जनजाति के लिये 12% आरक्षण का प्रावधान है।

(2) जी हां, वर्ष 1996 से वर्षवार रोस्टर से भरे गए अधिशासी अधिकारी के समस्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उप नगर नियोजक के पद पर पदोन्नति स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	वर्ष	भरे गये कुल पद	अनु. जाति 16 प्रतिशत	अनु. जन जाति 12 प्रतिशत
1.	आयुक्त	31	1996-97	3	1	-
			1997-98	2	-	-
			1998-99	4	-	-
			1999-2000	4	-	-
			2000-2001	2	1	-
			2001-2002	2	1	2
			योग	17	3	2
2.	अधिशाषी अधिकारी - द्वितीय	53	1996-97	4	-	-
			1997-98	5	1	-

1	2	3	4	5	6	7
			1998-99	6	-	-
			1999-2000	4	1	-
			2000-2001	4	-	-
			2001-2002	7	1	-
			योग	30	3	-
3.	अधिशाषी अधिकारी - तृतीय	58	1996-97	6	-	-
			1997-98	3	1	-
			1998-99	7	2	-
			1999-2000	4	1	-

1	2	3	4	5	6	7
			2000-2001	4	-	-
			2001-2002	6	1	-
			योग	30	5	-
4.	राजस्व अधिकारी	15	1996-97	1	-	-
			1997-98	1	1	-
			1998-99	2	-	-
			1999-2000	1	-	-
			2000-2001	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			2001-2002	1	-	-
			योग	8	1	-

नोट :- वर्ष 2002-03 से आगे की रिक्तियों को भरे जाने हेतु पदोन्नति समिति की बैठके आयोजित की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों का पुनर्गठन

260. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई की विस्तारित क्षेत्र को मिलाकर आबादी कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विस्तारित क्षेत्र को मिलाकर नये वार्डों के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा इसके मानदण्ड क्या होंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई के विस्तारित क्षेत्र को मिलाकर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 36,638 है।

(2) जी हां, विस्तारित क्षेत्र को मिलाकर वार्डों का गठन का मापदण्ड जनसंख्या ही है तथा इस पालिका के विस्तारित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए वार्डों की संख्या 20 से 25 कर दी गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ 2 (चुनाव)जन/स्वा.शावि/95/388 जयपुर, दिनांक : 18-3-2005

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 (1-क) के

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(चुनाव)जन/स्वा.शा.वि./95/366, दिनांक 5-3-2005 ने आंशिक संशोधन करते हुए कम संख्या "57" पर अंकित जिला दौसा की नगर पालिका बांदीकुई के विस्तारित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या 2001 के अनुसार निर्धारित सीटों की संख्या "20" के स्थान पर "25" प्रतिस्थापित करती है।

आज्ञा से,

शिव कुमार शर्मा
उप शासन सचिव

अतारांकित प्रश्न संख्या 261

(स्थगित)

सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

262. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में राजस्थान आवासन मण्डल के सचिव के विरुद्ध तबादलों में भ्रष्टाचार, कार्यालय में अश्लील सीडी देखने व अन्य शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारी द्वारा किये गये तबादलों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रति संलग्न है।

(2) उक्त शिकायत के सम्बन्ध में शिकायत कर्ता को पत्र दिनांक 27-8-2004 से शिकायत के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था लेकिन शिकायत कर्त्ता द्वारा उक्त शिकायत बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं शिकायत में दर्ज तथ्यों की जांच करने पर शिकायत झूठी पायी जाने पर उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही ही नहीं की गई।

(3) जी नहीं।

<u>शिकायत की प्रति</u>

आल राजस्थान कर्मचारी वेलफेयर एसोसियेशन
(दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर)

जयपुर, दिनांक : 30-7-2004

श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधियाजी,
मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय : सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्थानान्तरणों में पैसे की खुली लूट व कार्यालय में उनके कक्ष में लगे कम्प्यूटर पर उनके द्वारा दिन भर अश्लील फिल्मों की सी.डी. लगाकर अय्याशी करने के सम्बन्ध में एवं इन कार्यों पर तुरन्त रोक लगाने बाबत्।

महोदया,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जब से राजस्थान आवासन मण्डल में नये सचिव, श्री के.के. गुप्ता आये हैं यह मण्डल में आज तक आये सचिवों

से 100 कदम आगे हैं व चर्चाओं में हैं। इन्होंने आते ही स्थानान्तरणों के नाम पर कर्मचारियों और अधिकारियों को बुला-बुलाकर धमकाना शुरू कर दिया है व मोटी रकम की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर रकम नहीं दी तो आप का स्थानान्तरण बाहर कर दिया जायेगा इसलिये कर्मचारी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं व मानसिक पीड़ा में हैं। इनकी दिलचस्पी अन्य काम करने की न होकर मोटी रकम वसूलने की है और दिनभर अपने कक्ष में लगे कम्प्यूटर पर अश्लील फिल्मों की सी.डी. लगाकर देखने की है। यह चर्चा मण्डल में आम हो चुकी है। ये यह भी कहते हैं कि मैं अपने से ऊपर के स्तर के अधिकारी कुलदीप शर्मा व ऊषा शर्मा तक मोटी रकम पहुंचाता हूं इसलिये मुझे यह सब काम करने से कोई नहीं रोक सकता है।

जहां आपकी सरकार को पूर्ण बहुमत में लाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिससे कर्मचारियों ने सोचा था कि सरकार कर्मचारियों के प्रति काफी उदार रहेगी। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भ्रष्ट व अय्याश अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं एवं अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये किसी भी स्तर पर चाहे वह कितना ही घटिया हो गिर सकते हैं।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट व अय्याश अधिकारी की स्थानान्तरणों के नाम पर की जा रही खुली लूट को रोका जाय व इनको तुरन्त हटाने की कार्यवाही की जाय और कर्मचारियों व अधिकारियों में व्याप्त रोष को समाप्त किया जाये।

आपसे हमारा यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर लगाये गये प्रतिबन्ध की कड़ाई से पालना करवाई जाये।

आपका हितैषी

राम सिंह राजावत
अध्यक्ष

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की अवाप्त भूमि

263. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) एवं श्री केसर देव बाबर : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में भूमि अवाप्त किये जाने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षो में जयपुर शहर में अनुसूचित जाति/जनजाति के किन-किन काश्तकारों की किन-किन जगह पर कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से कई काश्तकारों को अब भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिया जाना शेष है ? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को कितना-कितना ? अब कब तक इन काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा ?

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई भूमि के बदले मुआवजा दिये जाने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में भूमि की अवाप्ति केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत की जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के सम्बन्धित प्रावधानों की प्रति संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों में जयपुर शहर में अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों की अवाप्त भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन पांच काश्तकारों को अब भी मुआवजा दिया जाना शेष है उनकी सूची कारण सहित परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। निस्तारण होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(4) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 23 व 24 के प्रावधान के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के बदले मुआवजा निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण व काश्तकारों के मध्य समझौता होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार समझौता पक्षकारान के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13-12-2001 व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर संशोधित परिपत्रों के अनुसार अवाप्त भूमि के बदले नकद मुआवजे के स्थान पर पक्षकारान की सहमति के आधार पर 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने की कार्यवाही भी की जाती है। परिपत्र 13-12-2001 की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास प्रन्यास क्षेत्र उदयपुर के परिधीय ग्रामों में भू-नियमन

264. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के चारों तरफ अधिकाशत: अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं एवं वहां की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है ?

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(2) नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ने अपने मास्टर प्लान में कुल कितने परिधीय ग्रामों को सम्मिलित किया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परिधीय ग्रामों में नगर विकास प्रन्यास के गठन से पूर्व राजकीय भूमि पर उक्त वर्ग के लोगों की बस्तियां बसी हुई हैं परन्तु नगर विकास प्रन्यास क्षेत्र में आने के कारण ग्राम पंचायतें इनका नियमन नहीं कर पा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से गैर काश्तकारी दर्ज भूमि को काश्तकारी दर्ज करने में कानूनी बाधाओं की वजह से काबिज काश्त दर्ज नहीं करा पाये हैं ? यदि हां, तो नगर विकास प्रन्यास द्वारा नियमन की दर क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) उदयपुर मास्टर प्लान में कुल 50 राजस्व ग्रामों को परिधि नियंत्रण पट्टी में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित गांवों की सूची निम्नानुसार है :-

1.	अम्बेली
2.	बलिचा
3.	बड गांव
4.	बडी
5.	बेदला
6.	बेडवास (मजरा धौजी की बावडी सहित आंशिक)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

1	2
7.	भोइयों की पंचोली
8.	बिछडी
9.	बिलियां
10.	ब्राह्मणों का गुडा (आंशिक)
11.	चिकलवास
12.	डांगियों की पंचोली
13.	देबारी (आंशिक)
14.	देवाली (मजरा सहेलिया की बाडी सहित)
15.	ढीकली
16.	धोल की पाटी
17.	एकलिंगपुरा (आंशिक)
18.	गोवर्धन विलास (आंशिक)
19.	हवाला बडा
20.	हवाला खुर्द
21.	झरनों की सराय (आंशिक)
22.	कलडवास (उत्तरी भाग) (एकलिंगपुरा, बिलिया एवं कलडवास राजस्व ग्रामों के संगमी बिन्दु से नाले के साथ-साथ नाला और आयड नदी के जंक्शन तक जोड़ने वाली सीमा का उत्तरी भाग)
23.	कमलोद डूंगर
24.	कानपुर (भाग) (आयड नदी का उत्तरी भाग)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

1	2
25.	कोडियात (भाग) (बडी मोरवानियां एवं कोडियात के संगमा बिन्दु से सीसारमा की उत्तरी सीमा को जोड़ने वाली सीमा का पूर्वी भाग)
26.	लियो का गुडा
27.	लोयरा
28.	मदूृन
29.	पालडी
30.	पनवाडी
31.	फान्दा
32.	परतापपुरा
33.	रेबारियों का गुडा (आंशिक)
34.	रूघनाथपुरा
35.	सबलपुरा
36.	सापेटिया
37 .	सवीना (भाग) (सवीना खेडा, सवीना एवं काया के संगमी बिन्दु से सविना, तीतरडी एवं डाकन कोटडा के संगमी बिन्दु तक सीधे जोड़ने वाली सीमा का उत्तरी भाग)
38.	सवीना खेडा (आंशिक)
39.	सीसारमा (मगरा सहित)
40.	सुखेर (आंशिक)
41.	टीला खेडा
42.	तीतरडी (आंशिक)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

1	2
43.	यूर
44.	क़मलोद
45.	लई का गुडा
46.	डबोक
47.	गाडवा
48.	गुडली
49.	तुलसीदास जी की सराय
50.	टूस डांगियान (भाग) (डबोक नान्दवेल एवं टूस डांगियान के संगमी बिन्दु से मनोली, मांडेसर एवं टूस डांगियान के संगमी बिन्दु से सीधे जोड़ने वाली सीमा का उत्तरी भाग)

(3) जी, हां।

(4). गैर काश्तकारी भूमि शब्द का प्रयोग राजस्व कार्य प्रणाली में नहीं किया जाता है। गैर काबिल काश्त भूमि गैर खातेदारी हक से आबंटित होती है उसे काबिल काश्त बनाने पर खातेदारी अधिकार दिए जाते हैं। गैर खातेदारी भूमियों के सम्बन्ध में नियमन दरें खातेदारी भूमियों के समान ही लागू हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.5(3)नविवि/3/99 जयपुर, दिनांक : 4-10-2002

आदेश

कृषि भूमि नियमन के मामलों में अवाप्तशुदा भूमि की नियमन दरों को औचित्यपूर्ण बनाने एवं अन्य बिन्दुओं पर जयपुर विकास प्राधिकारण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा मार्ग दर्शन चाहा जा रहा था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा चुका है। तदनुसार विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26-5-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. अधिग्रहित भूमियों पर बसी कालोनियों की नियमन दरों बाबत - भूमि अधिग्रहण के निम्न प्रकार के मामलों में सामान्य नियमन दर के अतिरिक्त 30/- रु. लिये जाकर नियमन किया जावे।

(अ) भूमि अवाप्ति के जिन प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर पेपर पजेशन ले लिया गया है परन्तु मुआवजा राशि का भुगतान खातेदार को नहीं किया गया तथा ना ही न्यायालय में जमा कराया गया हो।

(ब) दिनांक 17-6-1999 से पूर्व भू-अधिग्रहण किये गये ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर पेपर पजेशन लिया गया एवं मुआवजा राशि को सम्बन्धित न्यायालय में जमा करा दिया गया मगर सम्बन्धित खातेदार को भुगतान नहीं हुआ हो।

(स) भू-अधिग्रहण की कार्यवाही करने के आधार पर अधिग्रहित भूमि राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गयी हो परन्तु इस भूमि का प्राधिकरण द्वारा न तो कब्जा लिया गया है और न ही अवार्ड राशि का भुगतान खातेदार या न्यायालय में किया गया है।

उक्त प्रावधान लालकोठी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग की योजनाओं (आदिनाथ नगर, गोकुल वाटिका, विनोबा नगर, शक्ति नगर, अशोक विहार, महालेखापाल की विवेक विहार), मालवीय नगर की योजना (दुर्गा विहार), जवाहर सर्किल क्षेत्रों की योजना (रघुनाथपुरी, सिद्धार्थ नगर) में लागू नहीं होंगे तथा यह दरें ऐसी कालोनियों में जिनकी दर राज्य सरकार/समझौता समिति द्वारा अलग से तय की गयी हो, में भी लागू नहीं होगी।

2. <u>राजस्थान आवासन मण्डल, रीको तथा अन्य संस्थाओं की अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में</u> - राजस्थान आवासन मण्डल, रीको व अन्य संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित भूमियों जिन पर कालोनियां बस चुकी हैं उनका नियमन अन्य अवाप्तशुदा भूमियों के अनुसार पैरा एक में वर्णित दर ली जाकर नियमन किया जा सकेगा। यदि राजस्थान आवासन मण्डल, रीको या अन्य संस्थाओं द्वारा भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिया जा चुका है तो उस राशि को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निकाय द्वारा सम्बन्धित संस्था को बिना ब्याज के लौटाया जायेगा तथा कालोनियों का विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निकाय द्वारा करवाया जावेगा।

3. <u>गैर खातेदारी भूमियों के समबन्ध में</u> - गैर खातेदारी भूमियों के सम्बन्ध में नियमन दरें खातेदारी भूमियों के समान ही लागू होगी।

4. <u>1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत पूर्व में देय नियमन राशियों के सम्बन्ध में</u> - जिन प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि

का आवासीय एवं वाणिज्यिक तथा जन उपयोगी उद्देश्यों के लिए आबंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 के तहत 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा नियमन राशि पूर्व की दरों पर जमा कराई गई हो, उनमें पूर्व की निमयन दरों के अनुसार शेष राशि की गणना की जाकर मय 12 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष लिया जाकर नियमन किया जायेगा।

जिन प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम राशि जमा कराई गई उनमें जमा कराई गई राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाकर जमा कराई गयी राशि मय ब्याज तथा वर्तमान दरों की राशि का जो अन्तर होगा उसके अनुसार शेष राशि जमा कराई जाकर नियमन किया जायेगा।

5. फार्म हाउसेज की भूमियों के सम्बन्ध में - फार्म हाउस की भूमि का न्यूनतम आकार 3000 वर्गमीटर होगा तथा इनमें बिल्टअप एरिया 5 प्रतिशत होगा। अतः फार्म हाउस में केवल बिल्टअप एरिया (5 प्रतिशत) पर ही जयपुर में 300/- रुपये प्रति वर्गमीटर सामान्य नियमन दर देय होगी।

एस.ए. फारूकी
(उप शासन सचिव)

पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, जयपुर की श्मशान भूमि हेतु आवश्यक सुविधाएं

265. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पुरानी चुंगी अजमेर रोड, जयपुर स्थित श्मशान के लिये कितनी भूमि आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा श्मशान की भूमि पर अवैध पट्टे काट दिये जाने से श्मशान काफी छोटा

(डा. समरजीत सिंह)

हो गया है ? यदि हां, तो श्मशान की कितनी भूमि पर किन-किन को पट्टे काटे गये ? क्या सरकार इसके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व अजमेर रोड के विस्तार के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क मार्ग में आ रहा श्मशान का 350 वर्गगज हिस्सा ध्वस्त कर उसे सड़क के लिये अधिग्रहीत किये जाने से श्मशान का आकार और छोटा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भूमि की पूर्ति किस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्मशान का आकार छोटा होने से शवों के अन्तिम संस्कार करने में आ रही परेशानी के निवारण हेतु श्मशान के पीछे की भूमि को अवाप्त करने हेतु सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2004 को लिखित आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब कब तक अवाप्ति की कार्यवाही कर ली जायेगी ?

(5) क्या सरकार उक्त श्मशान में आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त भूमि, पानी, बिजली उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी के पास ग्राम सुशीलपुरा के खसरा नं. 225/351 रकबा 06 बिस्वा प्रारम्भ से ही (संवत् 2015) से गै मु. श्मशान के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है जो बदस्तूर चल रहा है।

(2) जी नहीं, गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मौके पर श्मशान की भूमि में कोई पट्टा जारी नहीं किया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां, यह सही है कि सड़क चौड़ी करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा नम्बर 225 ग्राम सुशीलपुरा पर विद्यमान श्मशान में से 406.25 व.मी. की भूमि अवाप्ति की गई थी। उक्त अवाप्तशुदा भूमि में से 146.25 व.मी. भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किया जा चुका है। श्मशान के क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में श्मशान के पीछे योजना के लगते हुए भूखण्डों को योजना सुविधा क्षेत्र हेतु निर्धारित कर श्मशान का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पूर्व में निर्मित श्मशान की चारदीवारी को तोड़कर श्मशान का आकार छोटा नहीं किया गया है। चारदीवारी के बाहर बने निर्माण (बाथरूम, टाल) आदि को हटाकर सड़क चौड़ी की गयी है। श्मशान के अन्दर नये बाथरूम का निर्माण कराया गया है।

(4) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया है।

(5) श्मशान का क्षेत्रफल बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। तत्पश्चात् ही सुविधाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव होगी। वर्तमान में नगर निगम द्वारा 3 सोडियम एवं 1 ट्यूब लाइट लगी हुई है जिनका संधारण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।

सिंगारा ग्राम (अजमेर) के लम्बित तकासमा प्रकरण

266. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम सिंगारा तहसील किशनगढ जिला अजमेर में खसरा नं. 314, 315, 318 व 526 की भूमि है ? यदि हां, तो कितना रकबा ?

(2) उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि के कितने खातेदार हैं ? खातेदारों के नाम व हिस्सा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(3) उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी, नामान्तरकरण की प्रति मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस जमीन का लगान जमा हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक का, किन-किन खातेदारों का व नहीं तो किन-किन खातेदारों का कब से बकाया है ?

(5) क्या उपरोक्त जमीन में खातेदारों के हिस्से का तकासमा हो चुका है ? यदि हां, तो तकासमें की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में उपरोक्त जमीन पर कौन काबिज हैं तथा उस पर किसके द्वारा खेती की जा रही है।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सिंगारा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित ख. नं. 314 रकबा 9.13 बीघा, ख. नं. 315 रकबा 0.08 बीघा, खं नं. 318 रकबा 16.06 बीघा तथा ख. नं. 526 रकबा 106.01 बीघा है।

(2) जमाबन्दी संवत् 2059-2062 अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर 6 संयुक्त खातेदार हैं। जिनके नाम व हिस्सा (सुरेन्द्र सिंह वल्द हमीर सिंह हि. 1/3, मु. कंचन देवी बेवा श्याम सिंह हि. 1/3, कल्याण सिंह, राजेन्द्र कुमार, चेतन कुमार, सतीश कुमार पि. सरदार सिंह हि.1/3 कौम भण्डारी सा. किशनगढ़ खातेदार राह्नि हिस्सा सुरेन्द्र सिंह वल्द हमीर सिंह हि. 1/3 भूमि विकास बैंक लि. अजमेर शाखा किशनगढ़ है।

(3) उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी, नामान्तरकरण व नक्शे की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्तमान में भूमि का किसी भी खातेदार का कोई लगान बकाया नहीं है। संवत् 2016 तक का उक्त खातेदारों का लगान जमा हो चुका है।

(राजस्व मंत्री)

(5) जी नहीं।

(6) वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार खसरा गिरदावरी रजिस्टर में काश्त करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान खातेदार का ही नाम खसरा गिरदावरी के कालम संख्या-6 में दर्ज है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में मन्दिर माफी की भूमि पर कब्जा काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

267. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में मन्दिर माफी के नाम खातेदारी की कितनी भूमि है तथा कब्जा काश्तकार कौन है ? ग्रामवार सूची मय खसरा नं. व रकबा तथा कब्जा काश्तकार के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में मन्दिर माफी भूमि के राजस्व न्यायालयों में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कब्जा काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 8156.87 हैक्टेयर भूमि मंदिर माफी के नाम खातेदारी दर्ज है। विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) मन्दिर माफी भूमि के 156 मुकदमें राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है। संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार सार्वजनिक मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भिवाड़ी ग्राम (अलवर) की वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण

268. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा के ग्राम भिवाडी में खसरा नं. 608 रकबा 6 बिस्वा वक्फ सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनको हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि कब्जेधारियों से न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ जयपुर द्वारा बेदखली व कुछ राशि हर्जाने के तौर पर वसूल किये जाने हेतु भू-राजस्व अधिनियम के जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। इसमें से कुछ भूमि पर अतिक्रमण है। सम्पदा अधिकारी न्यायालय में अभी कार्यवाही जैरकार है।

(2) जी, नहीं।

पाली जिले के चिकित्सकों का एनेस्थीसिया प्रशिक्षण प्रकरण

269. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चिकित्सकों को एनेस्थीसिया

(श्री विजय बंसल)

की ट्रेनिंग हेतु कोई कार्यक्रम चलाया हुआ है ? यदि हां, तो उनका चयन किस आधार पर किया जाता है ?

(2) जिला पाली के किस-किस चिकित्सालय से किस-किस चिकित्सक को कितनी-कितनी बार एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग हेतु आदेश जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में चिकित्सकों के अनेकों बार आदेश जारी होने के बावजूद भी आदेश निरस्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस चिकित्सक के व कितनी बार ? बार-बार आदेश निरस्त होने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) इस मामले में कौन-कौन अधिकारी दोषी है क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर इसमें लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

(5) क्या सरकार अब उक्त चिकित्सकों के निरस्त किये आदेशों को पुनः जारी कर ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सक जो राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित हो तथा एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, के प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होते हैं, को एनेस्थीसिया के प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है।

(2) जिला पाली में निम्नांकित चिकित्सा संस्थानों के निम्न चिकित्सकों को एक ही बार एनेस्थेसिया के प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी किये गये हैं :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम
1	डा. रघुनन्दन माथुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामनेरा
2	डा. भरतकुमार गुप्ता	आर सी एच ओ, पाली
3	डा. मोपतलाल मेहता	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी
4	डा. अनिल कुमार माथुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धानला
5	डा. सुनीता भंसाली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी
6	डा. मुकेश अरोड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निमाज
7	डा. जितेन्द्र कुमार चौधरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तख्तगढ़
8	डा. मदीपाल शर्मा	बागडा अस्पताल, पाली
9	डा. हेमन्त चौहान	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर
10	डा. घनश्याम बोराना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाली
11	डा. एन.के. नेमा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगडी
12	डा. पारस खींची	बागड अस्पताल, पाली

(3) जी हां। डा. अशोक सर्राफ, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सोजत, (पाली) के चार बार आदेश निरस्त किये गये हैं। उक्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आदेश डा. अशोक सर्राफ, चिकित्सा अधिकारी के स्वयं की इच्छा एवं प्रंशासनिक कारणों से निरस्त किये गये हैं।

(4) इस मामले में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

(5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली के द्वारा प्रस्ताव भिजवाने पर विचार किया जायेगा।

राजकीय चिकित्सालयों के अपशिष्टों का निस्तारण

270. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सफाई की समुचित व्यवस्था के अभाव व अपशिष्टों के समुचित निस्तारण के अभाव में संक्रामक रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है ?

(2) क्या सरकार अपशिष्टों के समुचित निस्तारण की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु उठाये जाने वाले सुधारात्मक कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकारी अस्पतालों में सफाई एवं अपशिष्टों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था हैं।

(2) सरकारी अस्पतालों की सफाई एवं अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिये द्वितीय श्रेणी तक के चिकित्सा संस्थानों में अपशिष्ट निवारण कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिये गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना द्वारा किये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सिविल कार्य : बरियल पिट्स अथवा वेस्ट स्टोरेज बनवाये जा रहे हैं।

सीटीएफ हायरिंग चार्जेज : राजकीय नीति अनुसार निजी संस्थाओं द्वारा निर्मित ट्रीटमेंट संयत्रों के लिये हायरिंग चार्जेज दिये जाने का प्रावधान परियोजना में किया गया है।

जैविक कचरा सम्बन्धित चिकित्सालय को सप्लाई : अपशिष्ट निस्तारण हेतु वेस्ट कलेक्शन बैग तथा बिन्स परियोजना द्वारा चिकित्सालय को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रशिक्षण : अपशिष्ट निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से हो एवं सम्पादन सफलता से हो इस हेतु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बारां जिले के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

271. श्री प्रमोद जैन (भाया) (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में वर्ष 2004 में किस-किस स्थान पर नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये हैं ?

(2) जिला बारां में वर्ष 2004 में किस-किस स्थान पर नये उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं या क्रमोन्नत कर उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये ?

(3) जिला बारां में वर्ष 2004 में किस-किस स्थान पर नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये या क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये ?

(4) जिला बारां में वर्ष 2004 में किस-किस स्थान पर नई एडपोस्ट या डिस्पेंसरी खोली गई ?

(श्री प्रमोद जैन) (भाया)

(5) जिला बारां में वर्ष 2004 में किस-किस स्थान पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं या चिकित्सालयों की क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये ?

उत्तर

(1) जिला बारां में वित्तीय वर्ष 2004-05 में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) जिला बारां में वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्व से स्वीकृत 4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एडपोस्ट) में क्रमोन्न्त किया गया है। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:-

क्र. सं.	नाम
1.	भीलखेडा डांग
2.	आगर
3.	सनदोखडा
4.	सनवाड

(3) जिला बारां में वित्तीय वर्ष 2004-05 में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं। न ही क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं।

(4) जिला बारां में वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्व से स्वीकृत 4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एडपोस्ट) में क्रमोन्नत किया गया है। जिनके नाम प्रश्न के भाग-2 में अंकित है। नई डिस्पेंसरी नहीं खोली गई है।

(5) जिला बारां में वित्तीय वर्ष 2004-05 में दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी (शाहबाद) एवं रेलावन (किशनगढ़) की कार्योत्तर स्वीकृति जारी की गई है।

जयपुर शहर के सैटेलाइट चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं

272. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में कितने सैटेलाइट अस्पताल हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सैटेलाइट अस्पतालों में चिकित्सा के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनमें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 2 सैटेलाइट अस्पताल संचालित हैं।

(2) जी हां। सैटेलाइट अस्पतालों के मापदण्डानुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आउटडोर एवं इनडोर की सुविधा उपलब्ध है।
2. मेडिसन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, निश्चेतन एवं ई.एन.टी. के विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध है।
3. 24 घंटे प्रसूति की सुविधा उपलब्ध है।
4. 24 घंटे आपातकालीन की सुविधा उपलब्ध है।
5. एक्सरे, ईसीजी, रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध है।
6. प्रयोगशाला से सम्बन्धित जैसे खून, मल-मूत्र आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।
7. बी.पी.एल. मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।
8. दन्त चिकित्सक की सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 की ब्यावर शहर क्षेत्र में चौड़ाई

273. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्टीय राजमार्ग नं. 14 ब्यावर पाली जोधपुर मार्ग जो विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के शहरी क्षेत्र से गुजर रहा है, चांगगेट पर एम. जी. ग्रुप के सामने से होटल राजमहल तक सड़क की चौड़ाई 14 फीट से 7 फीट कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से ?

(2) उक्त मार्ग निर्माण की निविदा में क्या-क्या शर्तें हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। चांग गेट पर एम.जी. ग्रुप के सामने से होटल राजमहल तक की सड़क जो कि ब्यावर पाली जोधपुर अरबन लिंक का हिस्सा है (किमी.54/0 से 56/200) की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। आर.यू.पी. II फेज (सन् 2003) के अन्तर्गत उपरोक्त हिस्से का रिन्युवल कार्य 7 मीटर चौड़ाई में स्वीकृत तकमीने के अनुसार सम्पादित करवाया गया है।

(2) उक्त मार्ग निर्माण की निविदा में निम्न शर्तें हैं :-

1. समस्त कार्य का दोष निवारण एवं मरम्मत का उत्तरदायित्व अवधि कार्य पूर्णता के पश्चात् दो वर्ष रहेगी।

2. निविदा हेतु वे ही ठेकेदार पात्र होंगे जिनके पास स्वयं का होट मिक्स प्लान्ट है या वे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने अन्य फर्म का होट मिक्स प्लांट किराये/लीज पर लेने की व्यवस्था कर ली है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून पीरियड सम्मलित है। निविदा की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 है।

कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.70/पीएण्डएम/आरयूपी-11/2002/डी-703

जयपुर, दिनांक : 20-4-2002

निविदा सूचना संख्या - 1/(2002-2003)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित राजस्थान सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द रेलवे या अन्य राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राजस्थान सरकार के "एए", "ए" एवं "बी" के संवेदकों के समक्ष हों, वे निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने के पश्चात् निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्रों की बिक्री निर्धारित शुल्क जमा कराकर सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. के कार्यालय में दिनांक 13-5-2002 से 21-5-2002 तक कार्यालय समय में की जावेगी। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाऐं सम्बन्धित निविदाओं में अंकित अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. के कार्यालयें में जो जयपुर सम्भाग प्रथम व द्वितीय एवं अजमेर में दिनांक 24-5-2002 को कोटा व उदयपुर सम्भाग में दिनांक 27-5-2002 को एवं बीकानेर व जोधपुर सम्भाग में दिनांक 28-5-2002 को अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा कराई जा सकेगी एवं सम्बन्धित अति. मुख्य अभियन्ता कार्यालय में उसी प्राप्ति दिनांक को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा देने की शर्तें एवं अन्य विवरण किसी भी कार्य दिवस को सम्बन्धित सा.नि.वि. कार्यालय में देखी जा सकती है। समस्त

कार्यों का दोष निवारण एवं मरम्मत का उत्तरादायित्व अवधि कार्यपूर्णता के पश्चात् दो वर्ष रहेगा।

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (व्यय-3) के आदेश क्रमांक एफ-2(4) एफ.डी./----/व्यय-3/99/जयपुर दिनांक 19-3-2001, सचिव, सा.नि.वि. के आदेश क्रमांक एफ8(27)/पीडब्ल्यू/95/डी-8 दिनांक 6-7-2001, उप सचिव (पथ) के शुद्धि पत्र संख्या डी.एस./रोड़/पी.ए./2001/डी-14 दिनांक 6-10-2001 एवं सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 9(27)/पीडब्ल्यू/95 दिनांक 28-11-2001 के अनुसरण में रुपये 1.50 करोड़ से 5.00 करोड़ की लागत के सड़क कार्यों के लिए पोटेंशियल एसेसमेंट पद्धति के अनुसार दो लिफाफों की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पांच करोड़ से ज्यादा लागत के कार्यों के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन पद्धति/प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

पोटेंशियल एसेसमेंट/पोस्ट क्वालिफिकेशन एवं वित्तीय बिड्स अलग अलग लिफाफों में एक साथ प्राप्त की जावेंगी। पहले लिफाफे में पोटेशियल एसेसमेंट/पोस्ट क्वालीफिकेशन सम्बन्धी सूचना एवं दूसरे लिफाफे में शर्त सहित फाइनेंसीयल वित्तीय बिड़ होगी। पोटेंशियल एसेसमेंट/पोस्ट क्वालीफिकेशन स्वीकार होने पर ही सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड्स दिनांक 30-5-2002 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोली जायेगी।

किसी भी कार्य के लिए नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर रिवाइज्ड आफर 4-6-2002 को अपरान्ह 3 बजे लिये जायेंगे। जिन कार्यों के लिए नेगोशिएशन की आवश्यकता नहीं होगी, उनके लिए सूचना 31-5-2002 से 3-6-2002 के मध्य सम्बंधित कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाएगी।

किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

नोट :- (1) निविदा प्राप्ति अथवा खुलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगला दिन कार्य दिवस माना जायेगा।

(2) धरोहर राशि अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं सा.नि.वि. पंजीकृत संवेदकों से धरोहर राशि पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड ए.आर. के नियमानुसार देय होगी।

(3) निविदा शुल्क नियमानुसार निर्धारित है :-

अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क
रुपये 150 लाख तक	500/-
रुपये 150 लाख से अधिक	1000/-

(4) निविदा हेतु वे ही ठेकेदार पात्र होंगे जिनके पास स्वयं का "होट-मिक्स प्लांट" है या वे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने अन्य व्यक्ति/फर्म का "होट-मिक्स प्लांट" किराये/लीज पर लेने की व्यवस्था कर ली है।

(5) कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून पिरियड सम्मिलित है।

राजस्थान सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
	<u>सम्भाग अजमेर : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, अजमेर</u>		
1.	जिला अजमेर :	260.00	9 माह
	आर.जे. 01-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह

1	2	3	4
	आर.जे. 01-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 01-03/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
	आर.जे. 01-04/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 01-05/आर.यू.पी.11/2002		
2.	जिला नागौर :	260.00	9 माह
	आर.जे. 24-01/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
	आर.जे. 24-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 24-03/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 24-04/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 24-05/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
	आर.जे. 24-06/आर.यू.पी.11/2002		
	सम्भाग प्रथम, जयपुर : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, जयपुर		
3.	जिला जयपुर :		
	आर.जे. 16-06/आर.यू.पी.11/2002	520.00	9 माह
4.	जिला झुन्झुनूं :		
	आर.जे. 20-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह

1	2	3	4
	आर.जे. 20-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 20-03/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 20-04/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
	<u>सम्भाग द्वितीय, जयपुर : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, जयपुर</u>		
5.	जिला अलवर :		
	आर.जे. 02-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 02-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 02-03/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 02-04/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 02-05/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 02-06/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
6.	जिला भरतपुर :		
	आर.जे. 06-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 06-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 06-03/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
	आर.जे. 06-04/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 06-05/आर.यू.पी.11/2002	220.00	9 माह

1	2	3	4
7.	जिला धौलपुर :		
	आर.जे. 13-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 13-02/आर.यू.पी.11/2002	280.00	9 माह
	<u>सम्भाग कोटा : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, कोटा</u>		
8.	जिला कोटा :		
	आर.जे. 23-01/आर.यू.पी.11/2002	70.00	7 माह
	आर.जे. 23-02/आर.यू.पी.11/2002	200.00	9 माह
	आर.जे. 23-03/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
	आर.जे. 23-04/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
9.	जिला बूंदी :		
	आर.जे. 09-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 09-02/आर.यू.पी.11/2002	160.00	7 माह
	आर.जे. 09-03/आर.यू.पी.11/2002	150.00	7 माह
10.	जिला बारां :		
	आर.जे. 04-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 04-01/आर.यू.पी.11/2002	190.00	7 माह

1	2	3	4
11.	जिला झालावाड़ :		
	आर.जे. 19-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 19-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 19-03/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
12.	जिला सवाई माधोपुर :		
	आर.जे. 27-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 27-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
13.	जिला करौली :		
	आर.जे. 22-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 22-02/आर.यू.पी.11/2002	280.00	9 माह
	<u>सम्भाग उदयपुर : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, उदयपुर</u>		
14.	जिला उदयपुर :		
	आर.जे. 32-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 32-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 32-03/आर.यू.पी.11/2002	390.00	9 माह
	आर.जे. 32-04/आर.यू.पी.11/2002	390.00	9 माह
15.	जिला रामसमन्द :		
	आर.जे. 28-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह

1	2	3	4
	आर.जे. 28-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
16.	जिला बांसवाड़ा :		
	आर.जे. 03-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 03-02/आर.यू.पी.11/2002	390.00	9 माह
	सम्भाग बीकानेर : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, बीकानेर		
17.	जिला बीकानेर :		
	आर.जे. 08-01/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
18.	जिला चूरू :		
	आर.जे. 11-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 11-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 11-03/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
19.	जिला हनुमानगढ़ :		
	आर.जे. 15-01/आर.यू.पी.11/2002	160.00	7 माह
	आर.जे. 15-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 15-03/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	सम्भाग जोधपुर : अति. मुख्य अभियंता कार्यालय, जोधपुर		
20.	जिला जोधपुर :		
	आर.जे. 21-01/आर.यू.पी.11/2002	390.00	9 माह

1	2	3	4
	आर.जे. 21-02/आर.यू.पी.11/2002	390.00	9 माह
	आर.जे. 21-03/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
21.	जिला जैसलमेर :		
	आर.जे. 17-01/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
22.	जिला जालौर :		
	आर.जे. 18-01/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 18-02/आर.यू.पी.11/2002	260.00	9 माह
	आर.जे. 18-03/आर.यू.पी.11/2002	130.00	7 माह
23.	जिला सिरोही :		
	आर.जे. 29-01/आर.यू.पी.11/2002	390.00	9 माह

मुख्य अभियन्ता, (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

सावन-भादो ग्राम (कोटा) की क्षतिग्रस्त सड़कें

274. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायत मुख्यालय ग्राम सावन-भादो तक जाने के लिए डामर सड़क का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया तथा इस सड़क पर निर्माण के बाद से आज तक कब-कब कार्य करवाया गया तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष अतिवृष्टि (बाढ़) से विधान सभा क्षेत्र दीगोद में सड़कें खराब हो गई हैं तथा इनकी मरम्मत हेतु बाढ़ के फण्ड से सरकार द्वारा लगभग 60 लाख रुपये इस विधान सभा क्षेत्र में खर्च किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सावन-भादो गांव को सड़क की भी मरम्मत करवाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क अधिक खराब होने के कारण इस पर पेच वर्क करवाना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क का डामरीकरण कब तक करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायत मुख्यालय सावन-भादो तक जाने के लिये 2 किमी. डामर सड़क का निर्माण वर्ष 1980 में करवाया गया था। उसके बाद इस सड़क पर साधारण मरम्मत पर राशि 1.07 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष वार खर्च का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 में अतिवृष्टि (बाढ) से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विभिन्न सड़कों पर 77.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके विरुद्ध उक्त सड़कों की मरम्मत पर फरवरी, 2005 तक 31.51 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है एवं आगे कार्य प्रगति पर है। सावन-भादो गांव की सड़क की बाढ़ राहत कार्य के अन्तर्गत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है लेकिन इस सड़क पर इस वर्ष भी साधारण मरम्मत (पेच वर्क) का कार्य करवा दिया गया है।

(3) जी नहीं। इस सड़क की स्थिति आबादी क्षेत्र को छोड कर सन्तोष जनक है। इस सड़क का डामरीकरण वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

सम्पर्क सड़क सावन-भादो 2 किमी. सड़क पर साधारण मरम्मत का वर्षवार विवरण :-

वर्ष	व्यय (राशि)
1985-86	12085.00
1989-90	9658.00
1990-91	40562.00
1991-92	19655.00
1992-93	3687.00
1993-94	854.00
2003-04	659.00
2004-05	20000.00
कुल योग :-	1.07 लाख

हिण्डौली की सड़कों का डामरीकरण

275. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बूंदी) हेतु वर्ष 2004-05 व 2005-06 में किन-किन गांवों की

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सड़कें पूर्ण कराने की स्वीकृति जारी की गई है ? उनमें कितनी सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है तथा कितनी सड़कों का निर्माण किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाले 500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने का कोई अन्तिम वर्ष निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष तक व नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त आबादी वाले गांवों को कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

(3) क्या नाबार्ड या अन्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में बासोडी रोड से नारायणपुर, रबलाना रोड से ओलासपुरा, सथूर से दांता, अलोद से भूण्डधसा, हिण्डौली से सिंघाडी एवं आकोदा से श्याणा तक सड़कों पर गिटटी का कार्य प्ूरा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सड़कों के डामरीकरण की सरकार की क्या योजना है और इन्हें कब तक पूरा कराया जावेगा ?

(4) क्या सरकार हिण्डौली से मेडी, अलोग से घडोलिया लिंकरोड की स्वीकृतियां जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बूंदी) में वर्ष 2004-05 में कुल तीन गांवों की सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से एक सड़क का निर्माण प्रगति पर है व दो सड़कें दस योजना के तहत, विश्व बैंक प्रायोजित मे स्वीकृत है कि निविदाऐं प्राप्त कर ली गई है जिनका कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2001 की आबादी के आधार पर 500 व इससे अधिक जनसंख्या के सभी गांवों को वर्ष 2007 तक बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़े जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां, नाबार्ड योजना में (आर.आई.डी.एफ vi) व अन्य योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में (1) बंसोडी रोड़ से नारायणपुर सड़क पर एक लेयर मेटल कार्य (2) दबलाना रोड से होलासपुरा पर ग्रेवल का कार्य (3) सथूर से दांता पर आंशिक मेटल व शेष ग्रेवल सड़क (4) अलोद से मूण्डघसा सड़क पर आशिक मेटल व शेष ग्रेवल कार्य (5) हिण्डौली से सिंघाडी सड़क पर आंशिक मेटल व आंशिक ग्रेवल का कार्य (6) आंकोदा से श्याणा पर मेटल व आंशिक ग्रेवल कार्य किया गया था। इनमें से (1) बासोड़ी रोड़ से नारायणपुर (5) हिण्डौली से सिघाणी एवं (6) आकोदा से श्याणा मेटल सड़कों के डामरीकरण के प्रस्ताव डब्लू.बी.एम. से बी.टी. II नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना अन्तर्गत विचाराधीन है, शेष सड़कों का डामरीकण सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारम्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) हिण्डौली से मेण्डी व (2) अलोदा से बडोदिया, लिंक रोड की वर्तमान में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। (1) हिण्डौली व मेण्डी दोनों डामर सड़क पर स्थित है तथा (2) अलोद व बडोलिया भी डामर सड़क से जुडे हुए हैं। इन लिंक रोड का निर्माण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारम्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-'अ'

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृति वर्ष	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	2004-05 (फेज-IV)	सम्पर्क सड़क हरमाली का खेड़ा	4.00	64.16	कार्य प्रगति पर है।
2.	2004-05 (विश्व बैंक योजना)	सम्पर्क सड़क अबड़	3.100	54.12	निविदाएं स्वीकृत करली गई है।
3.	2004-05 (विश्व बैंक योजना)	सम्पर्क सड़क शंकपुरा	0.009	16.67	निविदाएं स्वीकृत करली गई हैं।

कानूजा ग्राम-गारद ग्राम (अजमेर) सड़क का डामरीकरण

276. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खारंची एवं रायपुर जिला पाली में वर्ष 2000 से मार्च, 2005 तक कच्ची एवं पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किस योजना में ? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र नागर)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में कौन-कौनसी सड़कों का कार्य अपूर्ण या प्रस्तावित है ? सरकार इन्हें कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत कानूजा से ग्राम पंचायत गारद (विधान सभा क्षेत्र ब्यावर) जिला अजमेर तक मात्र 9 किलोमीटर की वर्तमान ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण कर सरकार जिला पाली एवं जिला अजमेर के बीच सुगम यातायात कायम करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर एवं खारची विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2000 से मार्च, 2005 तक जो कच्ची एवं पक्की सड़कों का निर्माण करवाया गया है, उनकी योजना वार व ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" है। एवं ग्राम पंचायतवार संख्या की सूची भी परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(2) रायपुर विधान सभा और खारची विधान सभा क्षेत्रों में अपूर्ण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "स" में है। प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "द" में संलग्न है। कार्यों के पूर्ण करवाने की सम्भावित तिथियां संलग्न परिशिष्ट "द" में संलग्न हैं।

(3) विधान सभा रायपुर क्षेत्र की कानूजा ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत गारद (विधान सभा क्षेत्र ब्यावर) होकर कोटड़ा काबरा सड़क (ओ.डी.आर. 22) के किमी. 13/0 तक 11 किमी. लम्बाई है। इसमें कानूजा से जिला सीमा तक तीन किमी. है तथा शेष 8 किमी. अजमेर जिले में है। कानूजा से 3 किमी. जिला सीमा तक कच्ची सड़क है तथा सीमा से गारद होकर कोटरा काबरा डामर सड़क तक 8 किमी में से 6 किमी डब्ल्यूबीएम व 2 किमी. कच्चा रास्ता है। इस प्रकार 2 जिलों के बीच इस 11 किमी. मार्ग का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डामरीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाई बांध स्टेशन से जवाई बांध (पाली) सड़क का डामरीकरण

277. **श्री मदन राठौड़** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली के जवाई बांध स्टेशन से बांध तक की सड़क किसने व कब बनाई थी ?

(2) क्या उक्त सड़क की मरम्मत कराने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सड़क सिंचाई विभाग की सम्पति है। सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार पाली के जवाई बांध स्टेशन से जवाई बांध तक (लम्बाई 3 किमी.) की सड़क जवाई बांध के निर्माण के समय ही बनाई गई थी। आरम्भ में यह सड़क सिंचाई विभाग द्वारा डब्लू.बी.एम. बनाई गई थी तथा सन् 1978 में इस सड़क को पक्की किया गया।

(2) सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सड़क का मरम्मत का कार्य जवाई बांध के रख-रखाव मद में कराया जाता है। इस सड़क की विशेष मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग द्वारा राशि रुपये 24.20 लाख का तकनीमा प्रस्तावित किया है जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगी।

बिलौंची ग्राम (आमेर) का अपूर्ण सब-ग्रिड स्टेशन

278. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री लालचन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत समिति आमेर में 33 के.वी.ए. का ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत है ? यदि हां, तो स्वीकृत तिथि क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह ग्रिड सब स्टेशन अभी भी अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा एवं यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम बिलोची पंचायत समिति आमेर में 33 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत है। उक्त सब-स्टेशन की स्वीकृति तिथि 1-10-2001 है।

(2) जी हां। यह सही है कि 33 किमी. के.वी. लाइन 7 कि.मी. स्वीकृत थी तथा 5.5 कि.मी. लाइन खींची जा चुकी है परन्तु 1.5 कि.मी. लाइन ग्राम चीथवाडी के करीब विवाद के कारण नहीं खींची जा सकी है। सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु लाइन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त सब-स्टेशन चालू नहीं किया जा सका है। उक्त लाइन को खींचने के प्रयास किये जा रहे हैं। लाइन कार्य पूर्ण होते ही सब-स्टेशन चालू कर दिया जायेगा।

बारां जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

279. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक किस-किस स्थान पर कब-कब कितने-कितने किलोवाट के नये विद्युत केन्द्र या ग्रिड स्टेशन प्रारम्भ हुए ?

(2) जिला बारां में उक्त अवधि में किस-किस स्थान पर कितने कितने किलोवाट के नये विद्युत केन्द्र या ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति प्राप्त हुई

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

है, जिनका निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। अथवा निर्माण कार्य प्रारम्भ करना शेष है ?

(3) जिला बारां में उक्त अवधि में किस-किस ग्राम को विद्युतीकृत किया गया ?

(4) जिला बारां में उक्त अवधि में किस-किस ग्राम को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है एवं इन गांवों के विद्युतीकरण का कार्य अब कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जिला बारां में दिनांक 1-12-2003 से दिनांक 31-12-2004 तक निम्न 33/11 के.वी. सब-स्टेशन प्रारम्भ किये गये :-

क्र. सं.	नाम	क्षमता (एम.वी.ए.)	प्रारम्भ माह
1.	खण्डेला	1.6 एम.वी.ए.	जनवरी, 2004
2.	देवरी	1.6 एम.वी.ए.	मार्च, 2004
3.	मण्डोला	3.15 एम.वी.ए.	अक्टूबर, 2004
4.	विजयपुर	3.15 एम.वी.ए.	जून, 2004
5.	गुलखेडी	3.15 एम.वी.ए.	दिसम्बर, 2004

(2) जिला बारां में उक्त अवधि में तीन 33/11 के.वी. सब-स्टेशन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें से दो का कार्य प्रगति पर है एवं एक का कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	सब स्टेशन का नाम	क्षमता (एम.वी.ए.)	विवरण
1.	कडेया नोहर	3.15 एम.वी.ए.	कार्य प्रगति पर।

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3	4
2.	सेवन खेडी	3.15 एम.वी.ए.	कार्य प्रगति पर।
3.	सहरोद	1.6 एम.वी.ए.	कार्य वर्ष 2005-06 में किया जायेगा।

(3) जिला बारां में उक्त अवधि में निम्न 11 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया है :

गांव का नाम	कोड नं.	पंचायत समिति
1. कमलखेडा	26/6/9	शाहबाद
2. खादरी	26/6/32	शाहबाद
3.जबरा	26/6/42	शाहबाद
4. कमलावाड़ा	26/6/43	शाहबाद
5. सांगवां	26/6/70	शाहबाद
6. अहेरा	26/6/146	शाहबाद
7. नादिया	26/6/174	शाहबाद
8. विरोली	26/6/179	शाहबाद
9. केमा	26/6/83	शाहबाद
10. बगदा	26/6/104	शाहबाद
11. मझेरा	26/6/175	शाहबाद

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जिला बारां में उक्त अवधि में जिन 11 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित करने का लक्ष्य था उन्हें विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है।

बयाना किला (भरतपुर) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

280. श्री अतर सिंह भडाना (बयाना) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला भरतपुर के बयाना किले को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है। अपितु पर्यटकों की आवाजाही के आधार पर वह स्थल स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

थानागाजी के पर्यटन स्थल

281. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पर्यटन स्थलों का विस्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। नेशनल केपिटल रीजन टूरिस्ट सर्किट प्लान के अन्तर्गत थानागाजी के पर्यटक स्थलों पर विकास कार्य वर्ष 2005-06 में करवाये जाने हैं।

राजस्थान दिवस समारोह आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधान

282. श्री संयम लोढा (सिरोही) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) अपील एडवरटाइजिंग एर्जेसी के माध्यम से 2004-05 में कौन कौन से विज्ञापन जारी किये गये ? इसके लिए अपील एडवरटाइजिंग को कितना कमीशन दिया गया व विज्ञापन कितनी राशि के थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अपील एडवरटाइजिंग का पंजीयन कब हुआ ? उक्त संस्था का कार्यालय कहां है एवं कौन-कौन इस संस्था के पदाधिकारी एवं निदेशक हैं ? उक्त संस्थान का चयन विज्ञापन देने के लिए किस आधार पर किया गया एवं क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? संस्था के पंजीयन पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

(3) राजस्थान दिवस समारोह के आयोजन का कुल बजट कितना है एवं क्या-क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं ? कार्यक्रम प्रबन्धन का दायित्व किन्हें दिया गया एवं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? किस-किस को क्या भुगतान किया गया ? समारोह के विज्ञापन कितनी-कितनी राशि व किस माध्यम से दिये गये ? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स अपील एडवरटाइजिंग द्वारा वर्ष 2004-05 में जारी किये गये विज्ञापनों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

विज्ञापन जारी करने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों को अलग से कमीशन नहीं दिया जाता है, वरन् विज्ञापन की लागत का पूर्ण भुगतान एर्जेसी को किया जाता है। जिसमें से एर्जेसी इण्डियन न्यूज पेपर सोसायटी आई.एन.एस. के दिशा निर्देशों के अनुरूप राशि कमीशन के रूप में प्राप्त करती है।

(2) अपील एडवरटाइजिंग का पंजीकरण 2 अप्रैल, 1984 को हुआ था। उक्त संस्था का कार्यालय वर्तमान में 90/4 सी मालवीय नगर, नई दिल्ली-17 में अवस्थित है। यह संस्था वर्तमान में एक प्रोपराइटरशिप संस्था है। जिसके प्रोपराइटर श्री सिद्धार्थ वैश है।

अपील एडवरटाइजिंग का विभागीय विज्ञापन एर्जेसी के पैनल में चयन खुली निविदा द्वारा आमंत्रित कर किया गया है। इस हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य

(पर्यटन मंत्री)

स्तरीय समाचार पत्रों तथा वेब-साइट में विज्ञापन जारी कर निर्धारित मापदण्डों को पूरी करने वाली सक्षम फर्मों (प्री क्वालीफाइड) के विभागीय समिति के सक्षम आडियो विजुवल प्रेजेन्टेशन के आधार पर अंतिम रूप से पैनल का गठन किया गया है।

संस्था के इण्डियन न्यूज पेपर सोसायटी (आई.एन.एस.) में पंजीकरण पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान दिवस समारोह के आयोजन हेतु रुपये 350 लाख का प्रावधान किया गया है। इस समारोह में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, उनका विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। राजस्थान दिवस समारोह के पूर्ण प्रबन्ध का दायित्व पर्यटन विभाग को दिया गया। पर्यटन विभाग द्वारा कुछ कार्यक्रमों के लिये शिक्षा विभाग, देवस्थान विभाग, खेल व युवा मामलात विभाग, थल सेना, वायु सेना, जल सेना आदि का सहयोग लिया गया है। सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 'इवेन्ट मैनेजरों को कार्य सौंपा गया है। इवेन्ट मैनेजरों को दायित्व सौंपने के लिये निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसके तहत पैनल के इवेन्ट मैनेजरों से "आडियो विजुअल प्रेजेन्टेशन" के आधार पर प्री-क्वालिफाइड एजेन्सियों से निविदा प्राप्त कर प्रक्रिया अनुसार कार्य आदेश दिया गया। अब तक विभाग द्वारा किये गये भुगतान की सूचना परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

राजस्थान दिवस समारोह हेतु विशेष रूप से जारी विज्ञापन सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जन सम्पर्क सेवा के अधिकारियों को अधिस्वीकरण सुविधा

283. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

मीडिया के प्रतिनिधियों को अधिस्वीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? अधिस्वीकरण नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी तथा पत्र सूचना कार्यालय के प्रतिनिधियों को भी अधिस्वीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सूचना एवं जन सम्पर्क सेवा के अधिकारियों को भी अधिस्वीकरण की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के तहत समाचार पत्रों एवं इलेक्टोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को अधिस्वीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। (अधिस्वीकरण नियमों की प्रति संलग्न है)

(2) जी हां। राज्य सरकार की अनुमति से दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा पत्र सूचना कार्यालय के प्रतिनिधियों को अधिस्वीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के नियम 11 के तहत "विशिष्ट प्रकरणों में प्रेस प्रतिनिधियों के अधिस्वीकरण/उसका निलम्बन/निरस्त करना सरकार, किसी समाचार पत्र/समाचार एजेंसी इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेस प्रतिनिधि या स्वतंत्र पत्रकार को विशिष्ट प्रकरणों में अधिस्वीकरण दे सकेगी। साथ ही राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में इन नियमों के अन्तर्गत जारी अधिस्वीकरण का निलम्बन/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।" यह सुविधा प्रदान की गई है।

(3) जी नहीं। सूचना एवं जनसम्पर्क सेवा के अधिकारियों को अधिस्वीकरण करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995

राजस्थान सरकार समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ**

(1) ये नियम राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**

इन नियमों में जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(1) 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) 'निदेशक' से निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(3) 'प्रेस प्रतिनिधि' से किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रानिक मीडिया, आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले संवाददाता/सम्पादक/सम्पादकीय डेस्क पर कार्य करने वाले पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, व्यंग्य चित्रकार एवं स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार अभिप्रेत हैं।

(4) 'समाचार पत्र' से तात्पर्य नियत अन्तरालों पर मुद्रित और समूल्य वितरित कोई ऐसा प्रकाशन अभिप्रेत है, जिसमें प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 में यथा परिभाषित जनहित के समाचार या टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों, लेकिन इससे ऐसा कोई प्रकाशन अभिप्रेत नहीं है, जिसमें मात्र किसी वर्ग विशेष के हित की सूचना अन्तर्विष्ट हो।

(5) 'श्रमजीवी पत्रकार' से समय-समय पर यथा संशोधित श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित कोई श्रमजीवी पत्रकार अभिप्रेत हैं।

(6) 'राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति' से तात्पर्य समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के सम्पादकों/संवाददाताओं, स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, व्यंग्य चित्रकार के अधिस्वीकरण के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए इन नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(7) 'सम्पादक' का अर्थ है वह व्यक्ति, जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत घोषित सम्पादक हो।

(8) 'समाचार एजेंसी' से तात्पर्य वह समाचार एजेंसी है, जो प्रदेश के न्यूनतम समाचार पत्रों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संस्थाओं को सशुल्क संवाद सेवाएं देती हो और जिसमें समाचार, फीचर्स या टिप्पणियां सम्मिलित हैं। समाचार स्केन सेवा भी मान्य होगी।

(9) 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' से तातपर्य ऐसी संस्था/संस्थान से है, जिसके द्वारा आडियो/वीडियो विजुअल माध्यम से समाचार प्रसारित होते हैं।

(10) 'स्वतंत्र पत्रकार' से तात्पर्य उन पत्रकारों से है, जो न्यूनतम 25 वर्षों तक पूर्णकालिक पत्रकारिता से जुड़े रहे हों और जिनकी आयु 50 वर्ष से कम न हो तथा किसी समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी से सम्बद्ध नहीं हों। *

(11) 'अनुभव' से पूर्णकालिक पत्रकारिता का सवैतनिक अनुभव अभिप्रेत हैं।

---

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प-9/98, दिनांक 31-5-2000 द्वारा आयु सीमा 45 वर्ष और पत्रकारिता का अनुभव 20 वर्ष निर्धारित।

3. **राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति का गठन और कार्यविधि संचालन**

(1) राजस्थान सरकार, इन नियमों में अधिकथित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, जिसका नाम राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति होगा।

(2) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति में सदस्यों का मनोनयन अधिस्वीकृत पत्रकारों/पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों में से किया जायेगा। अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या 9 होगी। **

(3) निदेशक राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के अध्यक्ष तथा संयुक्त निदेशक (समाचार) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(4) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति एक बार गठित हो जाने पर आदेशों की तारीख से दो वर्षों की कालावधि तक कार्य करेगी।

(5) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार या यदि आवश्यक समझा जाये तो अधिक बार आयोजित की जायेगी।

(6) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की होगी।

4. **अधिस्वीकरण**

(1) उन सम्पादकों/संवाददाताओं /प्रेस फोटोग्राफरों /व्यंग्य

** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प-9/98, दिनांक 31-5-2000 द्वारा समिति के सदस्यों की संख्या 11 कर दी गई है। इनमें से तीन प्रतिनिधि विभिन्न पत्रकार संगठनों से होंगे। गणपूर्ति अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों की होगी।

चित्रकारों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों, स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण दिया जा सकेगा, जिनके लिए राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति द्वारा सिफारिश की जाये।

(2) अधिस्वीकरण से समाचार पत्रों या समाचार एर्जेसी के प्रतिनिधियों को जनहित के समाचार देने को वृत्तिक पत्रकार के रूप में मान्यता मिलेगी और इसी रूप में उनकी पहचान होगी।

(3) किसी समाचार पत्र या समाचार एर्जेसी के लिए अधिस्वीकरण किये जाने वाले प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या इन नियमों में परिशिष्ट-'क' के अनुसार होगी।

(4) अधिस्वीकरण का उपयोग केवल पत्रकारिता सम्बन्धी प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा न कि अन्य प्रयोजन के लिए।

(5) अधिस्वीकरण के बल सम्बन्धित व्यक्ति जिसके लिए जारी किया गया है, के लिए ही होगा और यह हस्तान्तरणीय नहीं होगा।

5. अधिस्वीकरण के लिए पात्रता

(1) अधिस्वीकरण की कालावधि में राजस्थान में निवास आवश्यक होगा।

(2) आवेदक को पूर्णकालिक सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ा होना आवश्यक होगा।

(3) आवेदक को आवेदन करने की तारीख पर पूर्णकालिक पत्रकारिता का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(4) आवेदन पत्र की तारीख को आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होना आवश्यक होगा।

(5) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।* (शैक्षणिक योग्यता की शर्त केवल नये आवेदनकर्ताओं पर ही लागू होगी परन्तु 15 अगस्त, 1997 तक 25 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण के लिए आवेदनकर्ताओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी)

(6) आवेदक की आजीविका पत्रकारिता पर आश्रित होना आवश्यक होगा।

(7) आवेदक के आचरण के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट का सत्यापन आवश्यक होगा।

(8) नैतिक आचरण से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दंडित आवेदक अधिस्वीकरण का पात्र नहीं होगा। जिन नैतिक आचरण से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश हो गया हो उन आवेदकों के सम्बन्ध में निर्णय होने तक अधिस्वीकरण के लिए विचार नहीं किया जावेगा।

(9) केवल पाक्षिक नियतकालिकता तक के समाचार पत्रों से सम्बद्ध आवेदक ही अधिस्वीकरण के पात्र होंगे।*

---

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प-9/98, दिनांक 31-5-2000 द्वारा स्नातक स्तर की योग्यता निर्धारित।

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या प-9/98, दिनांक 31-5-2000 द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों सहित राष्ट्रीय साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्रों के राज्य में नियुक्त संवाददाता अधिस्वीकरण के पात्र होगें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों का स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण किया जा सकेगा। अधिस्वीकरण के नवीनीकरण के समय प्रतिवर्ष सक्रिय पत्रकारिता का प्रमाणीकरण निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क से कराया जायेगा।

(10) दैनिक समाचार पत्र नियमित रूप से न्यूनतम 6 माह प्रकाशित होने पर अधिस्वीकरण जारी करने पर विचार किया जा सकेगा।

(11) साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र न्यूनतम 12 माह नियमित रूप से प्रकाशित होने पर ही अधिस्वीकरण जारी करने पर विचार किया जा सकेगा।

टिप्पणी :-(अ) किसी समाचार पत्र को नियमित रूप से प्रकाशित किया गया तब माना जायेगा, जबकि-

(क) विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रकाशित उसके 90 प्रतिशत से अन्यून अंक नियत तरीख को निकल गये हैं।

(ख) उसका न्यूनतम संदत्त परिचालन-

(i) यदि वह दैनिक समाचार पत्र है तो 2000 प्रतियों का है,

(ii) यदि वह उपर्युक्त उपखण्ड (I) व (II) के अन्तर्गत नहीं आता है तो 600 प्रतियों का है।

(ग) समाचार पत्र की नियमितता प्रमाणित करने हेतु, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय अथवा सम्बन्धित जिला जनसम्पर्क कार्यालय में, नियमित उपस्थिति को आधार माना जायेगा।

6. **अधिस्वीकरण की प्रक्रिया**

1. समाचार समितियों/इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं राज्य से बाहर के समाचार पत्रों से सम्बद्ध आवेदक निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-'ख') में समाचार पत्र/संस्थान के प्रबन्धन के माध्यम से निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2. (क) राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों से सम्बद्ध आवेदक निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-'ख') में समाचार पत्र/संस्थान के प्रबन्धन के माध्यम से सम्बन्धित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(ख) जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा या पत्रकारिता के अनुभव तथा पूर्णकालिक पत्रकार होने के आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित (परिशिष्ट-'ग') जिला कलक्टर के माध्यम से निदेशक को अग्रेषित करेगा।

(ग) जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निदेशक को प्रेषित कर दिया जायेगा।

3. प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति द्वारा विचार करने के बाद समिति की संस्तुति निदेशक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित करने के पश्चात् राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् उस निर्णय का निदेशक द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा स्वीकृत प्रकरणों में अधिस्वीकरण कार्ड जारी किया जायेगा।

5. राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की बैठक होने तक अथवा 6 माह की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए अस्थाई अधिस्वीकरण निदेशक द्वारा दिया जा सकेगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि आवेदक स्थाई अधिस्वीकरण हेतु पूर्ण पात्रता रखता हो।

6. अधिस्वीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से निदेशक द्वारा आवेदक को सूचित किया जायेगा।

7. व्यथित आवेदक राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के माध्यम से राज्य सरकार को पुनः विचार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

7. अधिस्वीकृत कार्ड

(1) अधिस्वीकरण के प्रमाण स्वरूप अधिस्वीकृत प्रतिनिधि को एक कार्ड जारी किया जायेगा, जिस पर उसका आवक्ष छाया चित्र भी लगा होगा।

(2) अधिस्वीकृत कार्ड ऐसे विशेष समारोहों या सम्मेलनों, जहां प्रवेश निमंत्रण पत्रों और सुरक्षा अनुमति पत्रों द्वारा आवश्यक हो, में उपस्थित होने के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। अधिस्वीकृत कार्ड हस्तान्तरणीय भी नहीं होंगे।

(3) अधिस्वीकरण कार्ड निदेशक, अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक (समाचार) के हस्ताक्षरों से एक कलेण्डर वर्ष के लिए जारी किये जायेंगे। इनका नवीनीकरण वर्षानुवर्ष किया जा सकेगा।

8. अधिस्वीकरण कार्ड का नवीनीकरण

नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-'घ' में आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। अधिस्वीकरण कार्डों के नवीनीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(1) राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार एजेंसी से सम्बन्धित प्रतिनिधियों एवं स्वतंत्र पत्रकारों के कार्डों का नवीनीकरण सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(2) संवाददाताओं के अधिस्वीकरण कार्डों का नवीनीकरण संपादक/प्रबन्धक की अनुशंसा पर किया जायेगा।

(3) जिला स्थित राज्य स्तरीय एवं सम्भागीय तथा जिला स्तरीय समाचार पत्रों से सम्बन्धित प्रतिनिधियों को जारी अधिस्वीकरण कार्डों का नवीनीकरण सम्बन्धित जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में भी संवाददाताओं के कार्डों का नवीनीकरण सम्पादक/प्रबन्धक की अनुशंसा पर ही किया जायेगा।

(4) नवीनीकरण के लिए पत्र का नियमित प्रकाशन होना आवश्यक होगा। सम्बन्धित पत्र का वर्ष में न्यूनतम 90 प्रतिशत अंको का प्रकाशन आवश्यक होगा। नियमितता के सम्बन्ध में जांच राजस्थान विज्ञापन नियमों के अनुसार की जायेगी।

(5) स्थाई अधिस्वीकरण एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। 31 दिसम्बर के पश्चात् किये जाने वाले नवीनीकरण की अवधि नवीनीकरण की तिथि से मान्य होगी। अस्थाई अधिस्वीकरण नवीनीकरण की तिथि से 30 जून अथवा 31 दिसम्बर तक के लिए, जो भी पहले हो, मान्य होगा।

(6) अधिस्वीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर से पूर्व निर्धारित प्रपत्र-घ में आवेदन करना होगा। फरवरी माह के अन्त तक नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त न होने की अवस्था में नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) अधिस्वीकरण कार्ड के गुम हो जाने या चोरी हो जाने तथा नष्ट हो जाने की दशा में डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदक को इस आशय की पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की सत्य प्रतियों सहित निदेशक को पूर्ण विवरण सहित आवेदन करना आवश्यक होगा।

9. प्रेस प्रतिनिधियों के अधिस्वीकरण को निलम्बन/निरस्त करना

(1) अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि का सम्बद्ध समाचार पत्र/एजेंसी/इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाने की अवस्था में अधिस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) किसी समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतंत्र पत्रकार का अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त कर दिया जायेगा यदि-

(अ) वह उन सूचनाओं तथा सुविधाओं का उपयोग, जो उसे एक अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि के रूप में दी गयी हों, पत्रकारिता से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है या वह ऐसी शासकीय गोपनीयताओं को प्रकाशित करता है जिनका भंग न किया जाना सामान्य विवेक द्वारा स्वीकृत है।

(ब) वह अपने कर्तव्य पालन में अशोभनीय एवं वृत्तिक शिष्टाचार के प्रतिकूल व्यवहार करता है या

(स) वह उन शर्तों की उपेक्षा या उल्लंघन करता है, जिनके आधार पर सरकार, सूचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराती है और या

(द) यदि संगठन, जिसके निमित्त प्रतिनिधि को अधिस्वीकृत किया गया है, अपना प्रकाशन बन्द कर दे या संगठन तंत्र, औद्योगिक विवाद या प्राकृतिक विपदाओं के कारण कालावधि के लिए काम बन्द कर दिये जाने के अलावा काम करना बन्द कर दे तो अधिस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(य) प्रेस प्रतिनिधि के विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी मामलों में चालान प्रस्तुत किये जाने की दशा में निदेशक द्वारा प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निलम्बित किया जा सकेगा। न्यायालय द्वारा दंडित अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

10. **प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त करने की प्रक्रिया**

(1) जिस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण वापस लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, सर्वप्रथम उसे निदेशक द्वारा नोटिस दिया जायेगा एवं 15 दिवस में स्थिति को स्पष्ट करने बाबत सूचित किया जावेगा।

(2) उक्त नोटिस के उत्तर में प्राप्त अभ्यावेदन की जांच के पश्चात् अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त करने का निर्णय निदेशक द्वारा लिया जायेगा।

(3) सम्बन्धित प्रेस प्रतिनिधि से निर्धारित समय में अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में निदेशक द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) निदेशक द्वारा अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त करने के संदर्भ में लिये गये सभी निर्णय पुष्टि हेतु राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति द्वारा विचार करने के बाद समिति की संस्तुति निदेशक की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित की जायेगी।

(6) राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् सम्बन्धित प्रेस प्रतिनिधि का अधिस्वीकरण निलम्बन/निरस्त माना जायेगा।

11. विशिष्ट प्रकरणों में प्रेस प्रतिनिधियों के अधिस्वीकरण/उसका निलम्बन/निरस्त करना सरकार, किसी समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी प्रेस प्रतिनिधि या स्वतन्त्र पत्रकार को विशिष्ट प्रकरणों में अधिस्वीकार दे सकेगी। साथ ही राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में इन नियमों के अन्तर्गत जारी अधिस्वीकरण का निलम्बन/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

12. इन नियमों में राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति की सिफारिशों पर संशोधन/परिवर्तन/उपान्तरण किया जा सकेगा।

13. निरसन और व्यावृत्तियां

इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रयुक्त राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1986 और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित आदेश, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

परिशिष्ट-क

अधिस्वीकरण के लिए समाचार पत्रानुसार संख्या का निर्धारण

क्र. सं.	समाचार पत्रों का वर्गीकरण (राज. विज्ञापन नियम, 1995 में निहित प्रावधानों के अनुसार)	राज्य स्तर	सम्भागीय स्तर	जिला स्तर
1	2	3	4	5
1.0	समाचार पत्रों की संख्या का निर्धारण			
(अ)	दैनिक समाचार पत्र			
	1. राष्ट्र स्तर के समाचार पत्र	2	6	-
	2. राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनका प्रकाशन/मुद्रण राजस्थान में होता हो।	6	6	31
	3. राज्य स्तरीय समाचार पत्र	6*	6	31
	4. सम्भाग स्तरीय समाचार पत्र	3	6	सम्भाग में जिलों की संख्यानुसार
	5. जिला स्तरीय समाचार पत्र			

* सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या एफ-6(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./78, दिनांक 3 फरवरी, 2001 के द्वारा कालम नम्बर 3 एवं 4 में अंकित संख्या 12-12 कर दी गई है।

1	2	3	4	5
	श्रेणी (अ)	1	1	सम्भाग में जिलों की संख्या अनुसार
	श्रेणी (ब)	1	-	1
(ब)	साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्र	1	-	-
(स)	व्यंग चित्रकार	1	-	-
(द)	प्रेस छायाकार	1	-	-
(य)	समाचार एजेंसी**	6**	6**	-
(ट)	इलेक्ट्रानिक मीडिया	1	-	-

2.0 समाचार पत्रों का वर्गीकरण

निम्नांकित मापदण्डों के अन्तर्गत राजकीय विज्ञापन जारी करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, सम्भाग स्तरीय तथा जिला स्तरीय के रूप में श्रेणीकृत किया जायेगा।

(क) राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्र

जो दैनिक समाचार पत्र कम से कम दो महानगरों में मुद्रित एवं प्रकाशित

** सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश संख्या एफ-6(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./78, दिनांक 3 फरवरी, 2001 के द्वारा कालम नम्बर 3 एवं 4 में अंकित संख्या 12-12 कर दी गई है।

1	2	3	4	5
	होता हो (न्यूनतम दो संस्करण) और जिसके एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 75 हजार हो तथा संयुक्त संस्करण में कोई दो संस्करणों की समूल्य प्रसार संख्या 1.25 लाख हो, को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता हो :- 1. न्यूनतम बारह पृष्ठ में मुद्रित होता हो। 2. न्यूनतम आकार 22"x32"/2 हो। 3. मानक चौड़ाई के आठ कालम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कालम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों। 4. आफसेट पद्धति से मुद्रण होता हो। 5. जयपुर में संवाददाता नियुक्त हो। 6. वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो। 7. प्रात:कालीन दैनिक समाचार पत्र हो।			

1	2	3	4	5
	8. समाचार समितियों की सेवायें प्राप्त करता हो।			
	9. राजस्थान में पाठकों की पर्याप्त संख्या हो।			
(ख)	राज्य स्तरीय समाचार पत्र			
	राजस्थान के जयपुर सहित किन्हीं दो स्थानों से मुद्रित एवं प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, जिसकी एक संस्करण की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 50 हजार हो और समस्त संस्करणों की न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या एक लाख हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करता हो :-			
	1. न्यूनतम आठ पृष्ठ में मुद्रित होता हो।			
	2. न्यूनतम आकार 22"x32"/2 हो।			
	3. मानक चौड़ाई के आठ कालम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कालम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों।			
	4. आफसेट पद्धति से मुद्रण होता हो।			

1	2	3	4	5
	5. राज्य के एक तिहाई जिलों में संवाददाता नियुक्त हो।			
	6. वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।			
	7. राज्य के आधे से अधिक जिलों में प्रसार एवं पर्याप्त पाठक संख्या हो।			
	8. प्रातःकालीन दैनिक हो।			
	9. समाचार समितियों की सेवायें प्राप्त करता हो।			
(ग)	सम्भाग स्तरीय समाचार पत्र			
	राज्य के किसी भी जिले से मुद्रित एवं प्रकाशित ऐसा दैनिक समाचार पत्र, जिसकी न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या 25 हजार हो एवं जिसका प्रसार सम्बन्धित सम्भाग के अधिकतम जिलों में हो, को इस श्रेणी में रखा जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तें भी पूरा करता हो :-			
	1. न्यूनतम 6 पृष्ठ में मुद्रित होता हो।			
	2. न्यूनतम आकार 22"x32"/2 हो।			

1	2	3	4	5
	3. मानक चौड़ाई के आठ कालम अथवा अधिक चौड़ाई के कम संख्या में कालम जो कि पत्र के उपरोक्त माप में आते हों।			
	4. आफसेट पद्धति से मुद्रण होता हो।			
	5. सम्बन्धित सम्भाग के आधे से अधिक जिलों में संवाददाता नियुक्त हों।			
	6. वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सम्पादकीय अनुभाग हो।			
(घ)	जिला स्तरीय समाचार पत्र			
	राजस्थान के किसी भी जिले से प्रकाशित एवं मुद्रित समाचार पत्र जो राज्य स्तरीय एवं सम्भाग स्तरीय श्रेणी में नहीं आयेंगे, इस श्रेणी में सम्मिलित किये जायेंगे।			

टिप्पणी : 1. समाचार पत्रों का ऊपर उल्लेखित वर्गीकरण मात्र विज्ञापन वितरण के लिए ही किया जायेगा।

2. यहां विज्ञापन वितरण के लिए समाचार पत्र के 'मुद्रण' से तात्पर्य घोषणा पत्र में उल्लिखित मुद्रणालय से पत्र के समस्त पृष्ठों के मुद्रण से है।

परिशिष्ट-ख

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

(अधिस्वीकरण हेतु आवेदन पत्र)

फोटो

राजपत्रित अधिकारी द्वारा
आवेदक का प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/इलेक्ट्रानिक मीडिया का नाम/स्वतन्त्र पत्रकार
4. समाचार पत्र की नियतकालिता
5. आवेदक का पद नाम
6. जन्म तिथि (सैकण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
8. पत्रकारिता का अनुभव (अवधि) पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. सम्पादक द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र की तिथि व वर्ष (छाया प्रति संलग्न करें)
10. समूल्य प्रसार संख्या
11. आर.एन.आई. प्रमाण-पत्र का नम्बर, वर्ष व तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
12. समाचार पत्र के प्रकाशन के प्रारम्भ होने की तिथि

13. वेतन-भत्ते

14. पत्रकारिता के अलावा आजीवन का अन्य साधन

15. टेलीग्राफ/फैक्स/टेलेक्स आथोरिटी नम्बर

16. स्थाई पता

17. पत्राचार का पता

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... सम्पादक/संवादाता .... पता .... द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

श्री .... समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रानिक मीडिया में संवादाता के रूप में वर्ष .... से नियोजित है।

हस्ताक्षर

नियोजनकर्ता

परिशिष्ट-ग

राजस्थान सरकार

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय

क्रमांक : दिनांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिनांक .... से .... पद पर कार्यरत है।

श्री .... को .... वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त है। मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं जांच के अनुसार इनकी आजीविका पत्रकारिता पर निर्भर है।

श्री .... द्वारा अधिस्वीकरण हेतु दिये गये आवेदन पत्र (परिशिष्ट-ख) में दी गयी सूचना मेरे द्वारा सत्यापन करने पर ही सही पायी गयी है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

प्रतिहस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर

परिशिष्ट-घ

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आवेदक का पद नाम
4. समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/इलेक्ट्रानिक मीडिया का नाम/स्वतन्त्र पत्रकार
5. समाचार पत्र की नियतकालिता
6. जन्म तिथि
7. शैक्षणिक योग्यता
8. गृह जिला
9. अधिस्वीकरण कार्ड संख्या
10. प्रथम अधिस्वीकरण की तिथि
11. पत्रकारिता का अनुभव (वर्षों में)
12. पत्रकारिता के अलावा आजीविका का अन्य साधन
13. वाहन संख्या (यदि कोई हो तो)
14. टेलीफोन संख्या (यदि कोई हो तो)
15. स्थाई पता
16. पत्राचार का पता

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....
निवासी ....
समाचार पत्र/समाचार एर्जेसी/इलेक्ट्रानिक मीडिया में ....
पद पर दिनांक ....से अब तक नियोजित है। इनके अधिस्वीकरण कार्ड के नवीनीकरण की अनुशंसा की जाती है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : नियोजनकर्ता

आज्ञा से

विशिष्ट शासन सचिव/उपशासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

बांसवाड़ा जिले में संचालित आंगनबाड़ी-केन्द्र

284. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना द्वारा आंगनबाड़ियों के माध्यम से बालकों व गर्भवती माताओं को पोषाहार दिया जाता है ? यदि हां, तो योजना चलाने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में आंगनबाडियां संचालित हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष से यह योजना शुरू हुई व वर्तमान में कितनी आंगबाड़ियां संचालित हैं ? सूची गांव का नाम, पंचायत व पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में संचालित आंगनबाडियों के भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उनकी संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं को पूरक पोषाहार का वितरण किया जाता है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
- बाल मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
- बाल विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं को बच्चों के पोषाहार तथा सामान्य स्वास्थ्य की जरूरतों की पूर्ति हेतु योग्य बनाना।

(2) जी, हां। यह योजना राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में 2 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गई थी। बांसवाड़ा जिले में सभी 8 पंचायत समितियों में बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इनके अधीन कुल 1234 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। वर्तमान में सभी आंगनबाड़ी चल रही हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	बाल विकास परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	आंगनबाड़ी केन्द्र	
			स्वीकृत	संचालित
1	गढी	1975-76	239	239
2	कुशलगढ	1982-83	134	134

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

1	2	3	4	5
3	घाटोल	1983-84	138	138
4	तलवाड़ा	1983-84	138	138
5	पीपलखूंट	1986-87	157	157
6	आनन्दपुरी	1986-87	111	111
7	बागीदोरा	1986-87	184	184
8	सज्जनगढ़	1984-85	133	133
	योग		1234	1234

गांव का नाम पंचायत व पंचायत समितिवार सूची (परिशिष्ट-"अ) पर संलग्न है।

(3) जिला बांसवाड़ा में आईसीडीएस-तृतीय के अन्तर्गत 392 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध जिला परिषद द्वारा 353 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसमें से 339 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं तथा 7 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विवादित होने के कारण प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं तथा 7 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन 7 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर सम्भाग के स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण वितरण

285. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 सितम्बर, 2004 को सरकार द्वारा उदयपुर सम्भाग के स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया था ? यदि हां, तो कितने समूहों को किस-किस संस्था से ऋण दिया गया एवं कुल कितना ऋण वितरित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋण किस कार्य हेतु दिया गया ? क्या स्वयं सहायता समूहों को जिस उद्देश्य हेतु ऋण दिया गया वह उद्देश्य पूर्ण हुआ ? ऋण उपलब्ध कराने के बाद अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई हैं ? किस समूह द्वारा किस कार्य हेतु ऋण लिया गया ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28 सितम्बर, 2004 को उदयपुर सम्भाग में आने वाले जिले क्रमशः उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चितौडगढ़ एवं राजसमन्द के 749 स्वयं सहायता समूहों को 187.488 लाख रुपये (एक करोड़ सत्यासी लाख अडतालीस हजार आठ सौ रुपये) का ऋण बैंकों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए वितरित किया गया। विवरण (परिशिष्ट-अ) पर उपलब्ध है।

(2) महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं एवं आर्थिक गतिविधियों यथा कृषि एवं पशुपालन, व्यवसाय एवं कुटीर उद्योगों के लिए ऋण दिलवाया गया है। जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोडकर, उन्हें सशक्त बनाना है। इस कार्य से महिलाओं में आत्म विश्वास का संचार हुआ है। उदयपुर सम्भाग के स्वयं सहायता समूहों की सूची जो उक्त तिथि को लाभान्वित हुए हैं, का ऋण लेने का उद्देश्य दर्शाते हुए परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु आबंटित राशि

286. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासी जनजाति वर्ग को कृषि कनेक्शन के लिये देय डिमान्ड राशि का आधा भुगतान सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के रूप में किया जाता है ? यदि हां, तो विभाग के पास किस-किस तहसील के लिये कितनी-कितनी राशि के हस्तान्तरण के लिये मांग पत्र प्राप्त हुआ और किस-किस तहसील के लिये कितनी-कितनी राशि माह जनवरी, 2005 तक हस्तान्तरित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपयोजना क्षेत्र में आने वाली तहसीलों में घरेलू कनेक्शन देने के लिये सरकार की क्या योजना है ? इसके लिये बजट में कितना प्रतिशत का प्रावधान है ? वर्ष 1998 से चालू वित्तीय वर्ष तक आबंटित राशि का वर्षवार ब्यौरा मय उपयोजना क्षेत्र के कुल गांवों की संख्या व अविद्युतिकृत गांवों की तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासी जनजाति वर्ग को कृषि कनेक्शन के लिए देय डिमाण्ड राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये दोनों में से जो भी कम हो सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के रूप में वित्तीय वर्ष 2004-05 में संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत किए जाने का प्रावधान है। जिला चित्तौडगढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद के क्रमशः 531 व 893 आवेदकों हेतु राशि रुपये 136 लाख की मांग प्राप्त हुई है अन्य जिलों से सूचना प्राप्त होना शेष है। राशि रुपये 21.12 लाख के अनुदान भुगतान के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। स्वीकृति पत्र व विभागीय स्तर से प्रसारित अनुदान भुगतान के आदेश क्रमशः परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) जी नहीं। उपयोजना क्षेत्र में आने वाली तहसीलों में घरेलू कनेक्शन देने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की प्रथक से कोई योजना नहीं है। अपितु ऊर्जा विभाग द्वारा तय नीति अनुसार विद्युतिकृत घोषित गांव के आवेदक घरेलू विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करता है।

उपयोजना क्षेत्र के कुल ग्रामों की संख्या एवं अविद्युतिकृत ग्रामों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 2(11)(17)/टीएडी/95-96 जयपुर, दिनांक 29-10-2004

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : सिंगल पोल, निल पोल आउट आफ टर्न योजनान्तर्गत पूर्व वर्षों की बचत राशि रुपये 21.12 लाख का उपयोग कृषि कूप उर्जीकरण योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2004-05 में व्यय करने की अनुमति बाबत।

प्रसंग : अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर का पत्रांक एफ.5/अभि/सीटीडी/कृ.कू.उर्जी./2002-03/12866 दिनांक 24-6-2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार इस कार्यालय की स्वीकृति क्रमांक 71/94-95, 67/94-95, एवं 108/95-96 से सिंगल पोल, निलपोल आउट आफ टर्न योजना अन्तर्गत रुपये 79.58 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृतियों में स्वीकृति संख्या 71/94-95 में

रुपये 2.52 लाख एवं 108/95-96 में रुपये 18.60 लाख कुल रुपये 21.12 लाख की राशि अनुपयोगी बचत रही है। उक्त बचत राशि रुपये 21.12 लाख को वित्तीय वर्ष 2004-05 में कृषि कूप उर्जीकरण योजना में व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि जिलेवार लक्ष्यों को निर्धारण कर जिलों की मांग के अनुपात में राशि की पुष्टि इस कार्यालय से करवाई जावें एवं राशि का उपयोग कृषि कूप उर्जीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावे।

शेष शर्ते यथावत ही रहेंगी।

भवदीय

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-2

राजस्थान-सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

क्रमांक:- एफ. 5/अभि./सीटीएडी/कृ.कू.उर्जी./2002-03/22353-61

दिनांक : 5-11-2004

<u>आदेश</u>

कृषि कूप ऊर्जीकरण अनुदान योजना के तहत शासन ने पूर्व स्वीकृति संख्या 71/94-95 तथा 108/95-96 में विभिन्न जिलों के पास बचत रही राशि क्रमश: 2.52 लाख एवं 18.60 लाख कुल रुपये 21.12 लाख का व्यय इस वित्तीय वर्ष में करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि के उपयोग स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि उपलब्ध राशि से उन कृषकों को तत्काल लाभन्वित किया जावे जिन्होंने निगम द्वारा जारी मांग पत्र की 50 प्रतिशत राशि स्वयं के संसाधन से जमा करवा दी है।

विभागीय पत्र समसंख्यक क्रमांक:- 16486-90 दिनांक : 6-8-2004 द्वारा जो सूचना चाही गयी थी कि कृषि कूप उर्जीकरण योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों में से उन कृषकों की सूची प्रेषित करावें जिन्होंने प्राप्त डिमाण्ड

नोट की राशि में से अपने हिस्से की राशि जमा करा दी है। इस पर निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार उपयोजना क्षेत्र से कुल 280 आवेदकों की सूची प्राप्त हुई :

क्र. सं.	जिला	पत्र संख्या	आवेदकों की संख्या
1	उदयपुर	1230 दिनांक 21-8-2004	119
2	बांसवाड़ा	2937 दिनांक 25-8-2004	88
3	डूंगरपुर	3086-88 दिनांक 4-10-2004 3234-35 दिनांक 15-10-2004	57
4	सिरोही	131 दिनांक 31-3-2004 व 247 दिनांक 18-9-2004	16

जिलों द्वारा प्रस्तुत सूचना में उनके मांग पत्र की राशि दर्शाई गई है वह अब नवीन कृषि नीति 18 सितम्बर, 2004 के अनुसार निगम द्वारा संशोधित कर दी जावेगी व नवीन मांग पत्र आवेदित विद्युत भार पर आधारित होगी। अतः एतद् द्वारा सम्बन्धित परियोजना/उप परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व प्रस्तुत सूची के कृषकों के संशोधित मांग पत्र निगम से प्राप्त कर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उनके निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध संसाधन से करें व वास्तविक व्यय की सूचना शीघ्र उपलब्ध करावें ताकि अन्तर जिला व्यवर्तन करवाया जा सके।

उप परियोजना अधिकारी. प्रतापगढ़ से इस क्रम में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निगम 170 आवेदकों को मांग पत्र प्रसारित कर चुका है परन्तु कृषक अनुदान स्वीकृति की प्रतीक्षा में अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कराई है अतः एतद् द्वारा उप परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 170 कृषकों के

संशोधित मांग पत्र निगम से प्राप्त कर अनुदान का भुगतान करें व वास्तविक व्यय की सूचना विभाग को पढावें ताकि राशि की व्यवस्था की जा सके।

समस्त परियोजना/उप परियोजना अधिकारी उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र करावेंगे ताकि चालू रबी फसल में ही कृषक कृषि सम्बन्ध प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस कार्यवाही में किसी भी प्रकार की ढिलाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतिरिक्त आयुक्त

परिशिष्ट-3

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में अविद्युतिकृत ग्रामों की स्थिति

क्र. सं.	पंचायत समिति	जिला	कुल ग्रामों की संख्या	अविद्युतिकृत ग्रामों की संख्या
1	घाटोल	बांसवाड़ा	222	8
2	गढ़ी		166	0
3	तलवाड़ा		221	14
4	बागीदौरा		137	0
5	सज्जनगढ़		186	19
6	कुशलगढ़		210	1
7	पीपलखूंट		197	47
8	आनन्दपुरी		123	0
		उप योग	1462	89
1	प्रतापगढ़	चित्तौडगढ़	353	26
2	अरनोद		174	2
		उप योग	527	28
1	गिर्वा	उदयपुर	81	1
2	कोटड़ा		304	89

1	2	3	4	5
3	धरियावाद		246	13
4	झाड़ोल		256	40
5	खैरवाड़ा		242	11
6	सराड़ा		155	0
7	सलूम्बर		233	15
		उप योग	1517	169
1	डूंगरपुर	डूंगरपुर	158	0
2	सीमलवाड़ा		220	0
3	सागवाड़ा		154	0
4	आसपुर		144	0
5	बिच्छीवाड़ा		174	0
		उप योग	850	0
1	आबूरोड	सिरोही	81	0
		कुल योग	4437	286

अतारांकित प्रश्न संख्या-287

(स्थगित)

आयुर्वेद चिकित्सालय कालानला (बूंदी) हेतु चिकित्सालय भवन

288. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सालयों हेतु भवन तथा चिकित्सकों हेतु पर्याप्त आवास नहीं होने से चिकित्सालयों के सुचारू संचालन में विघ्न उत्पन्न होता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेद चिकित्सालय कालानला (नैनवां) जिला बूंदी में चिकित्सालय भवन तथा कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था नहीं होने से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन ज्ञापन करने वाले उक्त दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सालय का वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्याप्त भवन व्यवस्था कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। स्कूल भवन के एक कमरे में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय में क्षेत्र के सभी निवासियों को चिकित्सा लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2004-05 में एक कमरा मय लेटबाथ के निर्माण हेतु 1.37 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सालय हीरापुरा (जयपुर) का अन्यत्र स्थानान्तरण

289. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय को सरकार द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो कहां एवं क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में प्रतिदिन 400 बीमार उपचार कराते थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को पुनः हीरापुरा जयपुर में प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त चिकित्सालय स्थानान्तरित ही नहीं किया गया है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाढ़कलां (गंगापुर सिटी) के चिकित्सक का बकाया वेतन प्रकरण

290. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस को व नहीं तो क्यों ?

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

(3) जिन चिकित्सकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वेतन भुगतान में अनावश्यक विलम्ब के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के ग्राम बाढ कलां में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक जिन्हें ट्रिब्यूनल न्यायालय जयपुर से स्थगन प्राप्त हैं, को गत दस माह से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब उक्त चिकित्सक को कब तक वेतन भुगतान करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में 42 आयुर्वेद चिकित्सक न्यायालय के स्थगन आदेश में कार्यरत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) एक आयुर्वेद चिकित्सक को छोडकर शेष सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को वेतन का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है, जो न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यरत हैं।

(3) केवल एक आयुर्वेद चिकित्सक श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, आयुर्वेद औषधालय बाढ़कलां (सवाई माधोपुर) को वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आयुर्वेद चिकित्सक श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा को अब तक वेतन का भुगतान नहीं करने के प्रकरण की जांच करायी जा रही है, यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(आयुर्वेद मंत्री)

(5) जी हां। प्रकरण ध्यान में आने पर वेतन आहरण की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। अब शीघ्र वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा।

न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों का विवरण

क्र. सं.	नाम आयुर्वेद चिकित्सक	औषधालय का नाम जहां स्थगन से कार्यरत है
1.	श्री चन्द्रशेखर जैमिनी	कोनररा-बांडमेर
2.	श्री साधुराम शर्मा	अस्तावन-भरतपुर
3.	श्री धनेशचन्द शर्मा	सैह-भरतपुर
4.	श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी	कुटक्या-दौसा
5.	श्री नाथूलाल शर्मा	"अ श्रेणी सवाई माधोपुर
6.	श्री उमाशंकर शर्मा	अतेवा-करौली
7.	श्री अशोक कुमार यादव	हरसौली-अलवर
8.	श्री दीपसिंह	जगर-करौली
9.	श्री गोपाल लाल	सूरोठ-करौली
10.	श्री शंकर लाल शर्मा	खिरनी-सवाई माधोपुर

1	2	3
11.	श्री विजय प्रकाश गौतम	छाप- सवाई माधोपुर
12.	श्री गोपीनाथ शर्मा	सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी सवाई माधोपुर
13.	श्री चतुर्भुज प्रसाद	कोट-दौसा
14.	श्री राजेश जैमन	खोह-भरतपुर
15.	श्री प्रमाश मोहन शर्मा	पीगोरा-भरतपुर
16.	श्री प्रहलाद सहरिया	मदनपुर-भरतपुर
17.	श्री केशवदेव कटारा	नई मण्डी-भरतपुर
18.	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	हाथकी-टोंक
19.	श्री राजाराम मिश्रा	नोहर-हनुमानगढ़
20.	श्री सत्यपाल शर्मा	ढाणीलालखाँ-हनुमानगढ़
21.	श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा	भोजपुरा कलां-जयपुर (अभियन्ता)
22.	श्री महेशचन्द्र शर्मा	धोर-भरतपुर
23.	श्रीमती मीना भारद्वाज	खैरथल-अलवर
24.	श्री रामबाबू शर्मा	विरहरू-भरतपुर
25.	श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा	ढाणीबोराज-जयपुर (ब)
26.	श्री मधुसूदन शर्मा	कौशलया दास की बावडी-जयपुर (ब)

1	2	3
27.	श्रीमती रविलता जैन	नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर
28.	श्री प्रेमकुमार वशिष्ठ	नींदड-जयपुर
29.	श्री उमाकान्त पाराशर	कांचरोली-करौली
30.	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	बाडकलां-सवाई माधोपुर
31.	श्री घनश्याम मथूरिया	फालियावास-जयपुर
32.	श्री कैलाशचन्द	निवाई-टोंक
33.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	लहावत-करौली
34.	श्री दिलीप कुमार शर्मा	अचरोल-जयपुर
35.	श्री विनोद कुमार शर्मा	नांगल जैसा बोहरा-जयपुर
36.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	बांदी कुई-दौसा
37.	श्री जगदीशचन्द पारीक	झोटवाडा-जयपुर
38.	श्री सुरेशचन्द शर्मा	सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर
39.	श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल	अलावडा-अलवर
40.	श्री दौलतराम वर्मा	जवाहर नगर-गंगानगर
41.	श्री श्यामलाल मिश्र	सिंहरावट-सीकर
42.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	"अ श्रेणी गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 167 से सम्बन्धित विवरण

वर्ष 1990-99 तक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालयों में क्रय किये गये कागज का विवरण

वर्ष 1990-91

क्र. सं.	पेपर का नाम	मात्रा (मैट्रिक टन में)	राशि	फर्म का नाम
1.	कीमवो पेपर	150	25,95,000/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर
2.	पल्प बोर्ड	60	6,24,000/-	मैसर्स हैण्डमेड पेपर सागांनेर जयपुर
3.	कलर पेपर	30	4,62,750/-	मैसर्स राबल पेपर मिल्स रायबरेली

वर्ष 1991-92

1.	पल्प बोर्ड	150	19,50,000/-	एन.एस.आई.सी. संघेरिया
2.	कीमवो पेपर	1700	2,94,10,000/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर
3.	डुप्लीकेटिंग पेपर	445	77,20,750/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर

1	2	3	4	5
4.	एज्युर्लेड पेपर	160	26,38,400/-	मैसर्स रावल पेपर मिल्स रायबरेली
5.	रंगीन पेपर	50	8,44,000/-	मैसर्स कामरूप पेपर मिल्स गोहाटी
6.	पल्प बोर्ड	100	20,54,000/-	मैसर्स कामरूप पेपर मिल्स गोहाटी
7.	रेपिंग पेपर	50	5,00,000/-	मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली
8.	काफ्ट पेपर	60	11,10,000/-	मैसर्स अलोरा पेपर मिल्स बम्बई
9.	स्ट्रा बोर्ड	50	2,75,000/-	मैसर्स सन राइज पेपर बोर्ड औरंगाबाद
10.	कीमवो पेपर	350	66,32,500/-	मैसर्स बलारपुरा इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली

(2)

वर्ष 1992-93

1.	कीमवो पेपर	2685	5,89,86,171/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर
2.	डुप्लीकेटिंग पेपर	384	86,02,178/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर

1	2	3	4	5
3.	टाइप पेपर	234	53,91,754/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर
4.	मैपलिथो पेपर	52	12,72,280/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर
5.	व्रेपर पेपर	205	24,77,384/-	मैसर्स कामरूप पेपर मिल्स गोहाटी
6.	पल्प बोर्ड	100	21,36,160/-	मैसर्स कामरूप पेपर मिल्स गोहाटी

वर्ष 1993-94

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर द्वारा इस अवधि में कोई क्रयादेश जारी नहीं किया गया।

वर्ष 1994-95

1.	पल्प बोर्ड	75	16,08,000/-	मैसर्स कामरूप पेपर मिल्स गोहाटी
2.	एल्युलेंड पेपर	100	20,70,000/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
3.	टाइप पेपर	300	67,80,000/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली

1	2	3	4	5
4.	कीमवो पेपर	1668	3,57,78,600/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
5.	रंगीन पेपर	632	1,41,56,800/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
6.	डुप्लीकेटिंग पेपर	200	43,84,000/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली

वर्ष 1995-96

1.	कीमवो पेपर	725	2,11,37,000/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड चण्डीगढ़

(3)

वर्ष 1996-97

1.	डुप्लीकेटिंग पेपर	175	47,73,825/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड चण्डीगढ़
2.	टाइप पेपर	100	30,36,300/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड चण्डीगढ़
3.	मैपलिथो पेपर	12	3,42,606/-	मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जयपुर
4.	फोटो कोपियर पेपर	145	29,00,000/-	देहली पेपर प्रो. नई दिल्ली

1	2	3	4	5
5.	डुप्लीकेटिंग पेपर	300	69,65,100/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
6.	आफसैट पेपर	100	25,43,000/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
7.	मैपलिथो पेपर	15	3,49.500/-	मैसर्स सेतिया पेपर मिल मुक्तसर पंजाब
8.	मैपलिथो पेपर	54	12,58,200/-	मैसर्स सेतिया पेपर मिल मुक्तसर पंजाब

वर्ष 1997-98

1.	कीमवो पेपर	550	1,18,80,125/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
2.	एज्युलेंड पेपर	52	1,33,926/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
3.	काफ्ट पेपर	40	7,78,140/-	मैसर्स माती लाल नथमल जयपुर
वर्ष 1998-99				
1.	आफसैट पेपर	81	18,95,400/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिम्मिटेड नई दिल्ली

1	2	3	4	5
2.	कार्टिज पेपर	10	2,33,600/-	मैसर्स सेतिया पेपर मिल मुक्तसर पंजाब
3.	मैपलिथो पेपर	20	4,83,671/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
4.	सफेद कीमवो पेपर	400	87,34,000/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड चण्डीगढ़
5.	टाईप पेपर	50	10,50,500/-	मैसर्स सिक्का पेपर
6.	फाटो कापीयर पेपर	25000 रिम	25,80,000/-	मैसर्स राशनल बिजनिस कॉ. नई दिल्ली
7.	आफसैट पेपर	105	25,27,115/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
8.	एज्युर्लेड पेपर	40	9,10,000/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड नई दिल्ली
9.	डुप्लीकेटिंग पेपर	100	23,00,000/-	मैसर्स देहली पेपर प्रो. नई दिल्ली
10.	टाइप पेपर	75	19,68,525/-	मैसर्स देहली पेपर प्रो. नई दिल्ली

(4)

वर्ष 1-4-1999 से 30-3-2000 तक

1	2	3	4	5
1.	टाइप पेपर	30	7,50,000/-	मैसर्स देहली पेपर प्रोडेक्ट नई दिल्ली
2.	पल्पबोर्ड	60	14,39,400/-	मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज नोयड़ा
3.	सफेद कीमवो पेपर	62	13,99,736/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड चण्डीगढ़
4.	सफेद कीमवो पेपर	600	1,35,45,834/-	मैसर्स वीरेन्द्र एग्रो. लिमिटेड चण्डीगढ
5.	फाटो कापीयर पेपर	25000 रिम	26,41,600/-	मैसर्स तिरूपति स्टेशनर्स प्रा. लिमिटेड कानपुर
6.	कलर पेपर	170	47,94,000/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली
7.	कलर पेपर	170	47.94,000/-	मैसर्स श्रेयांस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली

वर्ष 1990 से 1999 तक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर में निम्न लिखित कर्मचारी भण्डारपाल के पद निम्नांकित अवधि में कार्यरत रहे हैं :-

क्र. सं.	वर्ष	अवधि	भण्डारपालों का नाम
1.	1990-91	1990-91	श्री राधेश्याम देवड़ा क. लिपिक
2.	1991-92	1991-92	श्री रामगोपाल विजय क. लिपिक
3.	1992-93	1-4-1992 से 3-11-1992	श्री रामगोपाल विजय क. लिपिक
4.	1992-93	4-11-1992 से 3-1-1993	श्री मांगीलाल बैरवा क. लिपिक
5.	1992-93	4-1-1993 से 10-5-1993	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता व. लिपिक
6.	1993-94	11-5-1993 से 5-6-1993	श्री मधु सूदन माथुर क. लिपिक
7.	1994-95	पूरे वर्ष	श्री महेश चन्द पारीक व. लिपिक
8.	1994-95	-	श्री प्रेमचन्द चौहान क. लिपिक
9.	1994-95	-	श्री हरीसिंह क. लिपिक
10.	1995-96	-	श्री हरीसिंह/विनोद कुमार क. लिपिक
11.	1995-96	-	श्री महेश चन्द पारीक व. लिपिक
12.	1995-96	-	श्री प्रेम चन्द चौहान क. लिपिक
13.	1995-96	-	श्री महेश चन्द पारीक व. लिपिक
14.	1996-97	-	श्री महेश चन्द पारीक व. लिपिक
15.	1997-98	-	श्री विनोद कुमार क. लिपिक
16.	1998-99	-	श्री विनोद कुमार क. लिपिक
17.	1999-2000	-	श्री अरूण कुमार गोयल व. लिपिक

वर्ष 1990 से 1999 की अवधि में स्टाक एवं स्टोर के लेखे तैयार नहीं होने के कारण यह मामला प्रकाश में नहीं आया। परन्तु उक्त अवधि से सम्बन्धित मामले कागज के स्टाक एवं स्टोर के लेखे वर्ष 2002 से 2004 की अवधि में प्राप्त होने पर प्रकाश में आये जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	स्टोर एवं स्टाक लेखा वर्ष	लेखे प्राप्त होने का पत्र क्रमांक एवं दिनांक	कागज के गबन का मामला कम/अधिक पाई गई सामग्री का मूल्य	उक्त अवधि से सम्बन्धित भण्डारपालों के नाम
1.	1991-92	559/17-4-02	17,00,000 (रु. सत्रह लाख)	श्री रामगोपाल विजय (पदच्युत)
2.	1992-93	1625/22-11-03	(कम 1,40,99,046) (रु. एक करोड़ चालीस लाख निन्नानवे हजार छियालीस) (अधिक 70,28,020) (रु. सत्तर लाख अठ्ठाईस हजार बीस)	श्री रामगोपाल विजय (पदच्युत) श्री मांगी लाला बैरवा (निलम्बित) श्री कृष्ण गोपाल (सेवानिवृत्त)

1	2	3	4	5
3.	1993-94	518/24-4-04	(कम 3,16,825) (रु. तीन लाख सोलह हजार आठ सौ पच्चीस) (अधिक 64,400) (रु. चौसठ हजार चार सौ)	श्री मधुसूदन माथुर
4.	1994-95	518/24-4-04	1,230 (एक हजार दो सौ तीस)	श्री महेश चन्द पारीक एवं श्री प्रेम चन्द चौहान क.लि. (पदच्युत) एवं श्री हरीसिंह क.लि. (निलम्बित)
5.	1995-96	3218/8-6-04	15,256 (रु. पन्द्रह हजार दो सौ छप्पन)	श्री हरीसिंह व.लि. (निलम्बित) श्री विनोद कुमार क. लिपिक श्री महेश चन्द पारीक क. लि. श्री प्रेम चन्द चौहान (पदच्युत)

1	2	3	4	5
7.	1996-97	3218/8-6-04	7,525 (रु. सात हजार पांच सौ पच्चीस)	श्री महेश चन्द पारीक
8.	1997-98	3218/8-6-04	447 (रुपये चार सौ सैंतालीस)	श्री विनोद कुमार क.लिपिक
9.	1998-99	3461/16-6-04	506 (रुपये पांच सौ छः)	श्री विनोद कुमार क.लिपिक

कागज के गबन का मामला लेखे प्राप्त होने के पश्चात् सामने आया। ये लेखे क्रमशः 17-4-02, 22-11-03 एवं 24-4-04 को प्राप्त हुए लेखे प्राप्त होने के पश्चात् भण्डारपालों के विरुद्ध कागज की कमी के संदर्भ में जो जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई वह वर्षवार निम्नप्रकार से है :-

वर्ष 1991-92 - भण्डारपाल श्री रामगोपाल विजय (पदच्युत व. लिपिक):- वर्ष 1991-92 की अवधि में कागज की पाई कमी के लिये अधीक्षक भण्डार राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1382 दिनांक 19-9-02 को थाना प्रभारी थाना अशोक नगर सी-स्कीम जयपुर को तत्कालीन भण्डारपाल श्री रामगोपाल विजय पदच्युत व. लिपिक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया अधीक्षक भण्डार द्वारा पुनः पत्र संख्या 1579 दिनांक 17-11-02 द्वारा प्रकरण हुई प्रगति से अवगत कराने हेतु लिखा गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 6826-27 दिनांक 13-12-02 के द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने हेतु लिखा गया। अधीक्षक भण्डार जयपुर द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त न होने पर थाना अधिकारी से पुनः दिनांक 20-7-03 को सम्पर्क किया और तब अशोक नगर थाना जयपुर में एफ.आई.आर. संख्या 191/3 दिनांक 20-7-03 दर्ज की गई। थाना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में 31-12-03 को अन्तिम रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ खण्ड) नम्बर-11 जयपुर शहर में प्रस्तुत की गई। अधीक्षक द्वारा सूचित किया है कि इसमें न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र दिया गया है अगली पेशी दिनांक 30-3-05 है।

इस प्रकरण में विभागीय जांच हेतु श्री एस.के. पुरोहित को प. संख्या 7753-56 दिनांक 18-10-04 द्वारा नियुक्त किया गया है। जांच कार्यवाही जारी है।

वर्ष 1992-93 - भण्डारपाल श्री रामगोपाल विजय (पदच्युत व. लिपिक) (1-4-1992 से 3-11-1992)

श्री मांगीलाल बैरवा (निलम्बित क. लिपिक) (4-11-1992 से 3-1-1993)

श्री कृष्ण गोपाल (सेवा निवृत व. लिपिक) (4-1-1993 से 10-5-1993)

वर्ष 1992-93 में कागज की कमी राशि रुपये 14099046/- की स्टोर एवं स्टाक लेखा प्राप्त होने पर ध्यान में आई इससे पूर्व निदेशक निरीक्षण विभाग के जांच दल द्वारा दिनांक 16-10-92 को कागज भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या-4 में जांच द्वारा 99557 रिम कागज की अधिक एवं 27425 रिमें कम पाई गई किन्तु निरीक्षण के समय का लेजर गुम हो जाने के कारण अधिक पाई रिमों का इन्द्राज नहीं पाया गया।

निरीक्षण विभाग के निरीक्षण के पश्चात् निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के आदेश क्रमांक 168 दिनांक 15-1-1993 के अन्तर्गत एक कमेटी नियुक्त की जाकर श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता व. लिपिक को पेपर भण्डार का चार्ज दिलाया गया एवं दुबारा कागज भण्डार वर्ष 1992-93 को लेजर बनवाया गया किन्तु लेजर श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता द्वारा लिये गये चार्ज की सूची के अनुसार न होकर 9244442/- रुपये के कागज की कमी पाई गई। इसमें निदेशक निरीक्षण विभाग के जांच दल के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या-4 में बताई गई 99557 रिमें अधिक पाई जाने की राशि अनुमानित 90 लाख रुपये जोड़ने पर कागज की अनुमानित कमी करीब 1.82 करोड़ रुपये मानकर अधीक्षक भण्डार द्वारा थाना प्रभारी अशोक नगर सी-स्कीम जयपुर को श्री रामगोपाल विजय पदच्युत व. लिपिक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु पत्र संख्या 1571 दिनांक 11-11-02 द्वारा लिखा गया। थाना अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न करने पर निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अधीक्षक पुलिस दक्षिण जयपुर शहर को निवेदन किया जा चुका है।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर के कागज भण्डार का भौतिक सत्यापन निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा उनके सामने अंकित दिनांक को किया गया :-

क्र. सं.	वर्ष	भौतिक सत्यापन अधिकारी का नाम	दिनांक से
1.	1990-91	श्री मोतीलाल शर्मा, अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय अलवर	8-4-1991
2.	1991-92	श्री मोतीलाल शर्मा, अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय अलवर	16-4-1992
3.	1992-93	श्री बंकट लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी	नहीं किया
4.	1993-94	श्री सतीश चन्द माथुर, सहायक अधीक्षक जयपुर	9-5-1994
5.	1994-95	श्री छत्तर सिंह सहायक अधीक्षक अलवर	24-4-1995
6.	1995-96	श्री सतीश चन्द माथुर, सहायक अधीक्षक जयपुर	4-6-1996
7.	1996-97	श्री वेदप्रकाश सोनी सहायक लेखाधिकारी निदेशालय	नहीं किया
8.	1997-98	श्री सतीश चन्द माथुर, सहायक अधीक्षक जयपुर	27-4-1998
9.	1998-99	श्री प्रदीप कुमार सक्सैना, सहायक अधीक्षक उदयपुर	19-4-1999

उक्त भौतिक सत्यापन रेकार्ड पूर्ण होने के कारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया इसके लिए रिकार्ड पूर्ण संधारित नहीं करने के लिए तत्कालीन अधीक्षक/सहायक अधीक्षक मुद्रणालय जिम्मेदार थे। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(1) श्री भंवर पुरी अधीक्षक (स्वर्गवास हो चुका है)

(2) श्री राधेश्याम पुरोहित अधीक्षक (कार्यरत अवधि 16-9-1990 से 20-9-1991 तक) (सेवानिवृत्त)

(3) श्री मदनराज मेहता अधीक्षक (स्वर्गवास हो चुका है)

(4) श्री जुगल किशोर दवे अधीक्षक (कार्यरत अवधि 30-4-2001) (सेवानिवृत्त)

(5) श्री सतीश कुमार माथुर सहायक अधीक्षक (कार्यरत अवधि 16-6-1994 से 1-1-1995)

(6) श्री कमल नारायण माथुर अधीक्षक (स्वर्गवास हो चुका है)

श्री सतीश कुमार माथुर सहायक अधीक्षक का कार्यकाल केवल 6 माह का था और जब तक पूर्व वर्षों के लेखे नहीं बन जाते तब तक श्री माथुर वर्ष 1994-95 के लेखे नहीं बनवा सकते थे, फिर भी श्री माथुर को स्टाक लेखे तैयार नहीं करने के लिए विभागीय पत्र संख्या 2564 दिनांक 27-5-02 एवं 2758 दिनांक 2-6-2000 के द्वारा नोटिस दिया गया। श्री माथुर के जवाब दिनांक 3-6-2000 पर विचार कर व दिनांक 30-1-2002 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर श्री माथुर के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं व्यक्तिगत सुनवाई में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अपने कार्य के प्रति सचेत रहने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है।

वर्ष 1992-93 की अवधि का भौतिक सत्यापन श्री बंकट लाल सहायक लेखाधिकारी द्वारा कागज की स्टेकिंग सही नहीं होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। निदेशालय द्वारा कागज को सुव्यवस्थित ढ़ंग से रखने के लिए पत्र संख्या 6699-700 दिनांक 13-9-1993 को लिखा गया। परन्तु फिर भी तत्कालीन अधीक्षक (भण्डार) द्वारा कागज का सही स्टेकिंग नहीं किया गया। तत्कालीन अधीक्षक (भण्डार) श्री मदन राज मेहता जिम्मेदार थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है।

इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय को नियुक्त किया गया है जांच कार्यवाही जारी है। प्रकरण से सम्बन्धित श्री रामगोपाल विजय व. लिपिक को अन्य प्रकरण में पदच्युत किया जा चुका है तथा श्री मांगीलाल बैरवा क. लिपिक पूर्व से निलम्बित चल रहे हैं। श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता व.लिपिक की सेवानिवृति के उपरान्त मृत्यु हो चुकी है। अतः इनके कार्यकाल में कम पाई गई राशि के अपलेखन की कार्यवाही जारी है।

वर्ष 1993-94 - भण्डारपाल श्री मधुसूदन माथुर व. लिपिक :- इस अवधि में कम पाई गई सामग्री की जांच श्री करण सिंह खंगारोत अधीक्षक भण्डार द्वारा की जा रही है। जांच कार्यवाही जारी है।

वर्ष 1994-95 से 1996-97 - भण्डारपाल श्री महेश चन्द पारीक व. लिपिक :- श्री महेश चन्द पारीक को राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसके प्रत्युतर में श्री पारीक द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रति चाही है जो राजकीय व्यय पर उपलब्ध किया जाना सम्भव नहीं है। श्री पारीक को अवगत कराया जा चुका है एवं पुनः पत्र क्रमांक 7168 दिनांक 30-11-04 को अन्तिम नोटिस दिया गया है एवं पुनः स्तरण पत्र दिनांक 22-3-05 को दिया गया।

वर्ष 1994-95 से 1995-96 - भण्डारपाल श्री प्रेम चन्द चौहान (पदच्युत क. लिपिक) :- श्री प्रेमचन्द चौहान को राज्य सेवा से पृथम कर दिया गया है तथा कम पाई गई सामग्री की राशि जमा कराने हेतु पत्र क्रमांक 5813-17 दिनांक 29-9-04 द्वारा नोटिस दिया गया था पुन: अन्तिम नोटिस दिनांक 30-11-04 द्वारा दिया गया अन्तिम स्मरण पत्र दिनांक 22-3-05 को दिया गया। वसूली की कार्यवाही जारी है।

वर्ष 1994-95 से 1995-96 - भण्डारपाल श्री हरीसिंह (निलम्बित क. लिपिक) :- श्री हरीसिंह स्टेशनरी गबन प्रकरण में निलम्बित चल रहे हैं श्री हरीसिंह को पत्र क्रमांक 5813-17 दिनांक 21-9-04 के द्वारा नोटिस दिया गया है किन्तु अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पुन: पत्र क्रमांक 7170 दिनांक 30-11-04 के द्वारा अन्तिम नोटिस दिया गया कार्यवाही जारी है।

वर्ष 1997-98 से 1998-99 - भण्डारपाल श्री विनोद कुमार (क. लिपिक) :- पत्र क्रमांक 5813-17 दिनांक 21-9-2004 के द्वारा राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया किन्तु अभी तक श्री शर्मा कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पुन: पत्र क्रमांक 7171 दिनांक 30-11-2004 के द्वारा अन्तिम नोटिस दिया गया कार्यवाही जारी है।

वर्ष 1997-98 व 1998-99 की राशि बहुत होने के कारण बिना विभागीय जांच की लम्बी प्रक्रिया अपनाये वसूली के नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक भण्डारपाल की राशि के निर्धारण का मामला है। यह विस्तृत विभागीय जांच के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा कि कौन-कौन कर्मचारी कितनी-कितनी राशि के लिये दोषी है।

वर्ष 1996-97 की अवधि के भौतिक सत्यापन के लिए श्री वेद प्रकाश सोनी सहायक लेखाधिकारी को नियुक्त किया गया था। श्री वेद प्रकाश सोनी द्वारा पत्र संख्या 6206 दिनांक 5-8-1997 द्वारा कागज का भौतिक सत्यापन करना बताया, किन्तु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस सम्बन्ध में श्री वेद प्रकाश सोनी का स्पष्टीकरण पूछा गया, उसको अन्तिम स्मरण-पत्र दिनांक 23-3-05 दिया गया है। जवाब प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त में से क्रम संख्या-5 पर अंकित अधिकारी को छोड़कर सभी अधिकरी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या मृत्यु हो चुकी है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 7(2)(बी) के अनुसार घटना घटित होने के 4 वर्षों से अधिक समय हो जाने के कारण अब कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती।

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 167 की प्रतियां

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयुपर

विषय : पटवार सर्किल हीरापुरा के राजस्व गांव गिरधारीपुरा में स्थित सरकारी राजकीय भूमि गैर मुमकीन तलाई में भू-माफिया द्वारा अवैध निर्माण कर धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध कब्जा करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपसे निवेदन है कि वार्ड नम्बर 3 नगर निगम के अन्तर्गत पड़ने वाली दो सौ फीट बाइपास द्रोणपुरी रोड़ से गिरधारीपुरा तलाई की राजकीय भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध कब्जे कर राजकीय भूमि हड़पने में लगे हुये हैं। लोगों को डराते हैं धमकाते हैं। दादागिरी करते हैं। इन लोगों ने धार्मिक स्थल हेतु विधेयक निर्माण के तहत मंजूरी भी राज्य सरकार से नहीं ली है। कानून का इनको कोई डर नहीं है। इनमें कुछ लोग प्रमुख हैं जो निम्न प्रकार हैं :- 1. ओमप्रकाश (राजश्री बिल्डर्स का मालिक) द्रोणपुरी रोड़, 2. नारायण सिंह निवासी विकास नगर बी, 3. ओमप्रकाश शर्मा, मदनलाल शर्मा निवासी विकास नगर बी, 4. भुपेश कौशिक निवासी द्रोणपुरी जो न्यायालय में बाबू हैं, 5. बहादुर सिंह निवासी विकास नगर सी, ड्राईवर राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, 6. श्री ए.पी. शुक्ला, निवासी विकास नगर इनके साथ कुछ बदमाश भी हैं जो हमे डराते हैं धमकाते हैं। हम उनको सकल से जानते हैं विरोध करने वालों पर यह मार डालने की धमकीयां देते हैं। स्थानीय पुलिस थाना वैशाली नगर का भी इनको कोई डर नहीं है। कंट्रोल रूम से पुलिस भेजे जाने पर भी इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अब भी अवैध निर्माण चला रखा है।

यह नगर निगम के चुनाव का फायदा उठाते हुये रात दिन निर्माण कार्य चला रखा है और इनके घर से औरते भी गाली गलौच करने लग जाती हैं।

आपसे निवेदन है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही कर अवैध निर्माण व निर्माण सामग्री को, कुड़क करके कब्जे राजकर इन लोगों को पाबंद किया जाये। साथ ही राज्य सरकार में कर्मचारी रहते हुये इन लोगों द्वारा भू-माफिया के इस प्रकार के कृत्य करने वाले व धार्मिक स्थल विधेयक का खुल्लमखुल्ला मखौल उड़ाये जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये व हम निवासियों व राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षा करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाये।

दिनांक : 24-11-2004

प्रार्थीगण

निवासीगण ग्राम गिरधारीपुरा

Noted (130)

J.D.C

14/12/01

7814

सेवामें

Report Pl.

श्रीमान् नगरीय विकास मंत्री
राजस्थान सरकार, जयपुर।

AC(W.)

6.12.01

विषय- गिरधारीपुरा की तलाई के पुराने मंदिर को J.D.A. के कर्मचारियों द्वारा तोड़ने की कार्यवाही रूकवाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि-

(1) यह कि वाके शहर जयपुर, अजमेर रोड स्थित 200 फिट बाईपास पर गिरधारी पुरा की जमीन पर आवासीय कॉलोनी बस चुकी है तथा इसी गांव में करीब 15 बीघा क्षेत्र में चरागाह की जमीन स्थित है

(2) यह कि इस चरागाह की जमीन पर एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है जिसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय होने के कारण आसपास की कालोनियों के निवासियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया गया है।

(3) यह कि इस चरागाह की जमीन के बगल में श्री [illegible] शर्मा की [illegible] की जमीन है, तथा वह

--2

2 (139)

3- उपर्युक्त बात [illegible] का मेरा [illegible] पुलिस [illegible] साहब का P.S. [illegible] है, वह अपनी [illegible] इस [illegible] की [illegible] आगे कर रहा है/ [illegible] शामिल कर ली/

4- यह कि [illegible] होने के बाद [illegible] अपमानजनक [illegible] वोट देने की [illegible] वोट नहीं दिया [illegible] J.D.A के [illegible] होगा/

5- यह कि चुनावों के बाद [illegible] को [illegible] चाहता है/ जिसको [illegible] जाये/

6- यह कि यह [illegible] को [illegible] चाहता है, [illegible] बाद J.D.A के कर्मचारी [illegible] हो चुके हैं/ [illegible] मामले का [illegible] चाहते है/

3

उक्त निवेदन बिन्दुओं पर गौर फरमाई तथा उचित कार्यवाही कर संबंधित को [illegible] के आदेश प्रदान करे तथा श्री [illegible] के विरुद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

सादर

(समस्त कालोनी वासी)
विकास नगर B, C, डोंगपुरी, डोंगपुरी विस्तार, [illegible] विहार, [illegible] नगर आदि

ओम प्रकाश शर्मा
मदन लाल शर्मा
[illegible] शर्मा
अलोक शर्मा

[illegible]
[illegible]
सीताराम
[illegible]

(140)

[illegible]

श्रीमान् मुख्य निय. एवं अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर (राज.)

विषय :- ग्राम [illegible] पुरा में स्थित पुराना शिव मन्दिर के बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन निम्न प्रकार से है

(1) यह है कि ग्राम [illegible] पुरा [illegible] में शिव मन्दिर है जिसके एक चबूतरे पर स्थापित हुए [illegible] लगभग 300 वर्षों से भी पुराना है।

(2) यह है कि उक्त मन्दिर का इसके अतिरिक्त निर्माण नहीं किया है और न ही कोई फेरबदल किया है।

(3) यह है कि उक्त मन्दिर के सम्बन्ध में हम ग्रामवासियों ने व आस पास के लोगों ने मन्दिर के खिलाफ नहीं किया है। यदि यह परिवाद किया जाता है तो वह काल्पनिक, निराधार व झूठा व असत्य है।

(4) यह है कि यदि कोई परिवाद पेश किया जाता है जो हमारे ग्राम निवासियों के ओर से लगाए नहीं हैं और नहीं किये जायेंगे यदि किये जाते हैं तो वह झूठे व काल्पनिक हैं।

(5) यह है कि उक्त मन्दिर भी पुराना होने के कारण और हमारे [illegible] नहीं [illegible] के कारण। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
शिव मन्दिर [illegible]

(15)

अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और रिहायशी कालोनी [illegible] बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व आपत्ति जो हुई है उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावे अन्यथा रिहायशी कालोनी के विरुद्ध बहुत गंभीर अपराध होगा।

प्रार्थी

क्र.सं.	नाम	आपकी मकान कालोनी मकान नं.	
1	देवीलाल [illegible]	64 [illegible]	देवीलाल [illegible]
2	सुरेश यादव	65 " "	[illegible]
3	राजेश नागर	66A " "	राजेश
4	बहादुर सिंह 5136749	62 "	बहादुर सिंह
5	सिताराम यादव	68 "	[illegible]
6	मंगल चन्द चौपड़ा फोन 5175327	[illegible]	[illegible]
7	लोकेश कुमार [illegible] मो.नं. 9414403508	69 A/B [illegible]	[illegible]
8	[illegible] लाल [illegible]	58 [illegible]	[illegible]
9	ओम प्रकाश शर्मा	69 A [illegible]	[illegible]
10	[illegible]	270 [illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	R. K. [illegible] 9414[illegible]7354	45 [illegible]	[illegible]
13	A. P. [illegible] 9414441999	46 [illegible]	A. P. [illegible]
14	[illegible]	312 [illegible]	विनोद [illegible]
15	[illegible]	312 [illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व से सम्बन्धित किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में,

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में वर्ष 1958 में तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा 25 साल सोसायटिया स्थापित की गई थी। जिन्हें रकबा राज भूमि आरजी कास्त पर आंबटित की गई थी तत् पश्यचात सोसायटियों का नवीनीकरण नहीं हुआ और रकबा मौके पर काबिज कास्तकारों के नाम पुख्ता आबटित होता रहा, और राजस्व के बन्दोबस्त विभाग के द्वारा यह रकबा सोसायटियों के नाम खातेदारी दर्ज कर दिया गया। जिससे रकबा आबटित कास्तकारों के नाम अमलदराद नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सोसायटी भंग करवाई जावे और रकबा को आराजीराज रकबा संशोधित किया जावे व आबंटित रकबे को आबंटित के नाम अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमायें।

(श्री लालचन्द)
रायसिंह नगर

परिशिष्ट-4

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2005 को मध्यान्ह पश्चात् 3.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने दिनांक 28 मार्च, 2005 से 19 अप्रैल, 2005 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2005	1. अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2004-2005 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण; 2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण; एवं 3. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-2006 पर सामान्य वाद-विवाद
मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2005	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-2006 पर सामान्य वाद-विवाद
बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2005	बैठक नहीं होगी।
गुरूवार, दिनांक 31 मार्च, 2005	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-2006 पर सामान्य वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2005	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-2006

शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2005	पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2005 रविवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2005	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2005	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2005 बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2005	बैठक नहीं होगी।
गुरूवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2005 शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2005	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
शनिवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2005 रविवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2005	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2005 मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2005	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
गुरूवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2005	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल,2005	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान 1. अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

शनिवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2005	2. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 16 अप्रैल, 2005 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)

रविवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2005	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2005	
मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2005	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005 2. राजस्थन वित्त विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण।

नोट :- उपरोक्त कार्य बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिर्वतन किया जा सकेगा।

सदस्य सूची

सोमवार, 28 मार्च, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-बयाना किला (भरतपुर) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास 257

श्री अध्यक्ष

अनुपस्थिति अनुमति

-श्री प्रद्युम्न सिंह सदस्य को 24 मार्च 2005 से सत्रांत तक 45

घोषणा

-आय-व्ययक पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा 91

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांग

-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना, मांग संख्या-51 89

-अन्य कर, मांग संख्या-12 77

-आबकारी, मांग संख्या-13 77

-आवास मांग संख्या-20 80

-उद्योग, मांग संख्या-42 87

-कारागार, मांग संख्या-17 79

-कृषि, मांग संख्या-37 86

-क्षेत्र का विकास, मांग संख्या-22 81

-ग्रामीण रोजगार, मांग संख्या-50 89

-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या-28 83

-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, मांग संख्या-26 82

नाम	पृष्ठ संख्या
-जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या-30	83
-जनसम्पर्क, मांग संख्या-18	79
-जिला प्रशासन, मांग संख्या-4	74
-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, मांग संख्या-29	83
-नागरिक आपूर्ति, मांग संख्या-32	84
-निर्वाचन, मांग संख्या-7	75
-न्याय प्रशासन, मांग संख्या-6	74
-पर्यटन, मांग संख्या-47	88
-पशुपालन एवं चिकित्सा, मांग संख्या-39	86
-पुलिस, मांग संख्या-16	79
-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, मांग संख्या-15	78
-पेयजल, मांग संख्या-27	82
-प्रशासनिक सेवाएं, मांग संख्या-5	74
-प्राकृतिक आपदाओं से राहत, मांग संख्या-34	84
-बिक्री कर, मांग संख्या-14	78
-राज्य कर्मचारियों को ऋण, मांग संख्या-45	88
-राज्य विधान मंडल, मांग संख्या-1	73
-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण, मांग संख्या-38	86
-लेखन सामग्री एवं मुद्रण, मांग संख्या-44	87
-लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या-19	80
-वन, मांग संख्या-9	76
-विद्युत, मांग संख्या-48	89
-विविध सामाजिक सेवाएं, मांग संख्या-11	77
-विविध सामान्य सेवाएं, मांग संख्या-10	76
-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं, मांग संख्या-35	85
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति मांग, संख्या-24	81
-श्रम और रोजगार, मांग संख्या-23	81

नाम	पृष्ठ संख्या

-सचिवालय, मांग संख्या-3 73

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या-21 80

-सहकारिता, मांग संख्या-36 85

-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, मांग संख्या-33 84

-सामुदायिक विकास, मांग संख्या-41 87

-सिंचाई, मांग संख्या-46 88

विधेयक का पारण

-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005 91

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

-कारूभाई मीणा श्री, पूर्व सदस्य 44

स्थगन प्रस्ताव

-श्री जीतमल खांट सदस्य की ओर से सी.टी.ओ. आबूरोड द्वारा नियमों को ताक में रखकर 12,000/- रुपये की जबरन वसूली करने के संबंध में 45

-श्री जुबेर खान एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि के कारण किसानों की तैयार फसल के बरबाद होने के संबंध में 46

-श्री बाबूलाल नागर एवं 1 अन्य सदस्य की ओर से पुलिस थाना जैतारण के गांव भेडकला में एक दलित युवक की दिन-दहाड़े हत्या की घटना के संबंध में 46

-श्री संयम लोढ़ा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से सोजत में साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 45

-श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में तूफान व ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के संबंध में 45

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

अतारांकित प्रश्नोतर

स्वायत्त शासन

-उप नगर नियोजक एवं अधिशासी अधिकारियों की पदोन्नति 208

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सीकर जिले में मन्दिर माफी की भूमि पर कब्जा काश्तकारों को खातेदारी अधिकार	229
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण	13
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपलब्ध निःशुल्क चिकित्सा सुविधा में सुधार	186
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण	10
श्रीमती उषा पूनिया (मूंडवा), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-पाली जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास	37
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. का वर्ष 2001-2002 का 23वां प्रतिवेदन	63

नाम	पृष्ठ संख्या
एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वक्फ	
-भिवाड़ी ग्राम (अलवर) की वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण	230
श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	
-राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में कागज क्रय में किये गये गबन राशि की वसूली	7
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
जन संपर्क	
-जन सम्पर्क सेवा के अधिकारियों को अधिस्वीकरण सुविधा	259
याचिका	
-किशनपुरा एवं गुढा मीणा (बस्सी क्षेत्र) को पक्की सड़क से जोड़ने बाबत	66
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-थानागाजी के पर्यटन स्थल	257
याचिका	
-नारायणपुर एवं प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत (थानागाजी) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन	67
-हाईवे संख्या-55 (थानागाजी) किशोरी बाला रोड़ का पुनर्निर्माण बाबत	67
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण	19

नाम पृष्ठ संख्या

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-नदबई (भरतपुर) हेतु बाइपास मार्ग निर्माण 4

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की अवाप्त भूमि 217

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-कृषि सहकारी समिति, गीदपट्टा (बारां) की भूमि का आबंटन 6

श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-चौमूं में विद्युत अभियन्ता कार्यालय 2

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-नोखा के स्व. श्री जैठाराम डूडी स्टेडियम के विकास हेतु व्यय 199

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण 16

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कार्मिकों के सेवा विवाद निस्तारण हेतु गठित समझौता समिति	99
श्री जीतराम (मालपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राजकीय चिकित्सालयों के अपशिष्टों का निस्तारण	233
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-जयपुर नगर निगम के सी एवं डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार	197
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण	11
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-बाढकलां (गंगापुर सिटी) के आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सक का बकाया वेतन प्रकरण	295
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 की ब्यावर शहर क्षेत्र में चौड़ाई	237

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु आवंटित राशि	287
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-जनजाति विकास हेतु गठित मंत्री मण्डलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन	175
श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-कानूजा ग्राम गारद ग्राम (अजमेर) सड़क का डामरीकरण	251
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-बांसवाड़ा जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	283
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	
-राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में कागज क्रय में किये गये गबन राशि की वसूली	7
श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-जनजाति कन्या छात्रावास (बांसवाड़ा) के निर्माण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही	150

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री निर्भय लाल (रुपवास)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-जाटव समाज के छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु भूमि 199

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-बाली विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्ताव 127

याचिका

-गोरिया से पदराड़ा (वाया-बीस्या) सड़क का डामरीकरण बाबत 66

-जवाई बांध कैचमेंट एरिया में एनीकट बेरीकेट्स/सब फेस बेरियर निर्माण करवाने बाबत 66

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण 21

श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री

विधेयक का पुर:स्थापन

-राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 71

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-बारां जिले के ग्रामों का विधुतीकरण 254

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-बारां जिले के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन 234

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
देवस्थान	
-गोगामेड़ी (नोहर) तीर्थ स्थल की आय से विकास कार्य	148
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-होम्योपैथिक चिकित्सालय हीरापुरा (जयपुर) का अन्यत्र स्थानान्तरण	295
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	95
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-जयपुर शहर के सैटेलाइट चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं	236
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-सावन-भादो ग्राम (कोटा) की क्षतिग्रस्त सड़कें	247
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
याचिका	
-राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में टेलीकार्डियोलॉजी परियोजना की स्वीकृति बाबत	67
-राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत करने बाबत	67

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री मंगलाराम गोदारा (श्री डूंगरगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

-पेंशनरों को उपलब्ध नि:शुल्क औषधियों की वर्तमान व्यय सीमा में प्रस्तावित वृद्धि 183

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-जवाई बांध स्टेशन से जवाई बांध (पाली) सड़क का डामरीकरण 253

तारांकित प्रश्नोतर

पर्यटन

-पाली जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास 37

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

समिति का गठन

-वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव 68

समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार

-कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन 72

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र के वार्डो का पुनर्गठन 213

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण 15

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2003-2004 का 40वां प्रतिवेदन	63
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-उदयपुर संभाग के स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण वितरण	285
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु आबकारी नीति	165
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद	160
श्री रमेश खींची (कठूमर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण	20
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-परबतसर नगरपालिका द्वारा नीलामी द्वारा बेचे गये भू-खण्डों की बकाया राशि	162

नाम	पृष्ठ संख्या
याचिका	
-गच्छीपुरा ग्राम (परबतसर) को उप तहसील घोषित करने बाबत	68
-परबतसर उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजन बाबत	68
-परबतसर क्षेत्र में नये राजस्व ग्राम की घोषणा बाबत	68
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-नगर परिषद सीकर के अपूर्ण कार्य	202
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-नदबई (भरतपुर) हेतु बाइपास मार्ग निर्माण	4
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सिंगारा ग्राम अजमेर के लम्बित तकासमा प्रकरण	227
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण	18
-राज्य में एक ही स्थान पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता	139
नगरीय विकास एवं आवासन	
-गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण	30

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण	18
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-छत्तरगढ़ (बीकानेर) के किसानों को आबंटित भूमि के विवादों का निस्तारण	42
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आयुर्वेद	
-कालानला (बून्दी) के आयुर्वेद चिकित्सालय हेतु चिकित्सालय भवन	294
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	152
श्री रामलाल (बनेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बनेड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद	178
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-चौमूं में विद्युत अभियन्ता कार्यालय	1

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की अवाप्त भूमि 217

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-बैराठ एवं आमेर की राजकीय काश्त भूमि पर काबिज कृषक 173

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायत्त शासन

-अजमेरी गेट जयपुर के पद मार्ग पर अतिक्रमण 201

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-बिलौंची ग्राम (आमेर) का अपूर्ण सब-ग्रिड स्टेशन 253

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण 23

सार्वजनिक निर्माण

-आमेर (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण 165

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-नगर विकास प्रन्यास क्षेत्र उदयपुर के परिधीय ग्रामों में भू-नियमन 218

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005	91
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005	71
-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005	90
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2005	90
श्री विजय बंसल (भरतपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-पाली जिले के चिकित्सकों का एनेस्थीसिया प्रशिक्षण प्रकरण	230
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-छत्तरगढ़ (बीकानेर) के किसानों को आबंटित भूमि के विवादों का निस्तारण	41
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
आय व्ययक	
-आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद	92
समिति प्रतिवेदन : राजकीय उपक्रम	
-राजकीय उपक्रम समिति 2004-2005 क्र.सं. 18 से 26	64
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-अजमेर जिले की स्वायत्तशासी संस्थाओं की विकास योजनाओं में जन-पतिनिधियों की सहभागिता	147

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-वर्ष 2005-06 हेतु आबकारी नीति	189
पर्यटन	
-राजस्थान दिवस समारोह आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधान	257
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण	27
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-पुरानी चुंगी, अजमेर रोड़, जयुपर की श्मशान भूमि हेतु आवश्यक सुविधाएं	225
श्री समर्थ लाल (राजगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-रैणी (अलवर) उप तहसील का क्रमोन्नयन	151
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-पाली जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास	40
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-गिरधारीपुरा (जयपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण	33

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-पाली जिले के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास	40
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-राजस्थान आवासन मण्डल की समझौता समिति द्वारा लिए गए निर्णय	181
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु	61
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-हिण्डौली की सड़कों का डामरीकरण	248
श्री हीरा लाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही	214